चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 01 मई– 07 मई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मई में बनेगी नई पार्टी

मुलायम जेपी बनेंगे

संतोष भारतीय

विपक्षी एकता को ग्रहण लगा हुआ है. एकता हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कौन करेगा, नहीं करेगा, किसके साथ करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे और इसके केंद्र में कौन होगा, ये सारे सवाल हैं. यह ग्रहण उत्तर प्रदेश की वजह से लगा है, उत्तर प्रदेश के नेताओं की वजह से लगा है, जिन्होंने सारे देश के विपक्षी नेताओं को भ्रम में डाल रखा है.

विपक्षी एकता के गुनहगार

बिहार विधानसभा चुनावों से छह महीने पहले की बात है. मुलायम सिंह यादव के घर में नीतीश कुमार, लालू यादव, अभय चौटाला, एचडी देवेगौड़ा और कमल मोरारका की बैठक हुई. इस बैठक में यह फैसला हुआ कि सभी दल मिलकर एक नई पार्टी बनाएं और उस पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को बनाया जाए. झंडा समाजवादी पार्टी का हो, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष भी मुलायम सिंह यादव हों और पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल ही हो. दरअसल, विपक्ष की एकता के लिए इससे बड़ा कोई क़दम नहीं उठाया जा सकता था और इस क़दम को उठाने में सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोगों ने मुलायम सिंह यादव को माला पहनाकर घोषणा कर दी और इसके लिए क़दम उठाने का अधिकार भी मुलायम सिंह यादव को दे दिया. उसके बाद बिहार चुनाव का दौर शुरू हुआ. नीतीश कुमार ने और लालू यादव ने प्रस्ताव रखा कि जल्द से जल्द विपक्षी एकता की बात को सिरे चढ़ाया जाए और एक नया दल बने, जिसके नाम और चुनाव चिन्ह पर बिहार में चुनाव लड़ा जाए. सारी टिकटें नए अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के दस्तखत से बांटी जाएं. लेकिन मुलायम सिंह ने संदेश दिया कि पहले बिहार में चुनाव हो जाए, उसके बाद हम एक दल बनाने की बात करेंगे.

इसकी जड़ में प्रोफेसर रामगोपाल यादव थे, जो शुरू से नहीं चाहते थे कि विपक्षी एकता हो. बाद में अखिलेश यादव ने इस चाहत को अपना समर्थन दिया. उन्होंने सोचा कि ये सारे नेता ऐसे हैं, जिनका उत्तर प्रदेश में कोई दख़ल नहीं है. अगर एक दल बन गया तो ये सब उत्तर प्रदेश में अपना हक़ मांगेंगे, अपने लिए सीटें मांगेंगे, परिणाम यह होगा कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी तो, लेकिन उसमें बहुत सारे नेताओं का हिस्सा होगा. शायद, इसके पीछे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की यह सोच थी कि ये नाम बड़े हैं, चाहे वो लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, देवेगौड़ा हों या चौटाला हों, इनके मुक़ाबले उनकी हैसियत पार्टी में कमजोर रहेगी. मुलायम सिंह यादव के इस फैसले ने बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को परेशान कर दिया. दोनों ने मुलायम सिंह यादव से कहा कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करें. लेकिन मुलायम सिंह यादव ने पुनर्विचार करने से मना कर दिया. मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव इस फैसले के खिलाफ थे कि एक पार्टी बने और मुलायम सिंह यादव उसके अध्यक्ष रहें. शायद इसके पीछे उनके सलाहकार भी थे और प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी थे. बाद में जब समाजवादी पार्टी का झगड़ा शुरू हुआ, तब यह बात शिवपाल यादव ने भी कार्यकर्ताओं के सामने रखी और मुलायम सिंह यादव ने भी रखी कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने परिवार पर आई हुई एक विपत्ति को आधार बनाकर विपक्षी एकता नहीं होने दी और भारतीय जनता पार्टी इस आशा में इसे समर्थन देती रही कि अगर विपक्षी एकता नहीं हुई तो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव चुनाव हार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी. ऐसा कुछ नहीं हुआ. बिहार का प्रयोग अप्रत्याशित रूप से बहुत सफल रहा और भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे आ गई. इसके बावजूद, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में इस प्रयोग को दोहराने के खिलाफ थे. उनका मानना था कि वो हर हालत में दो तिहाई सीटें फिर से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे. जितने भी लोगों ने राय दी, सलाह दी, वो सलाह अखिलेश यादव को, रामगोपाल यादव को पसंद नहीं आई. उस युद्ध के दौरान ही यह पता चला कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव विपक्षी एकता के हामी थे, लेकिन उनके परिवार के दो प्रमुख सदस्य इसके हामी नहीं थे. अचानक अखिलेश यादव और कांग्रेस का समझौता हो गया, लेकिन उसमें से सभी विपक्षी दल बाहर रहे. मायावती से सम्पर्क करने की कोई कोशिश नहीं हुई और नीतीश कुमार को इससे दूर रखा गया. हालांकि, नीतीश कुमार की रणनीति थी कि उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का वो हिस्सा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ परंपरागत रूप से था, उसे वहां से निकालकर विपक्षी एकता के ढांचे में महत्वपूर्ण स्थान देकर, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वही परिणाम दिलवाने की कोशिश की जाए, जैसा बिहार में हुआ.

मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया और मुलायम सिंह यादव ने अपने नजदीकी लोगों से इस बारे में बातचीत शुरू कर दी. हालांकि उन्होंने जिन लोगों से भी बातचीत की, उन्हें अभी मुलायम सिंह यादव पर सिर्फ 90 प्रतिशत भरोसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गए, उस दिन मुलायम सिंह अपना ये फैसला बदल सकते हैं. लेकिन घटनाएं दूसरी तरह से घट रही हैं. मुलायम सिंह ने अपने भाई शिवपाल यादव को पूर्ण अधिकार दे दिया है कि वो देश के विपक्षी नेताओं से बात करें.

पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार नहीं किया. शिवपाल यादव को चुनाव हराने की कोशिश हुई. अफवाह है कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने 15 करोड़ रुपए शिवपाल यादव को हराने में ख़र्च किए. दूसरी तरफ, अखिलेश यादव ने इटावा जाकर सार्वजनिक बयान दिया, जिसका मतलब लोगों ने निकाला कि वो शिवपाल यादव को हराने की अपील कर रहे हैं. शिवपाल यादव चुनाव जीते, अखिलेश यादव के 180 से ज़्यादा उम्मीदवार हार गए, सिर्फ़ 47 लोग चुनाव जीते. चुनाव परिणाम आने से पहले ही अखिलेश यादव ने बयान दिया कि वो मायावती के साथ भी सरकार बनाने के लिए बातचीत कर सकते हैं.

अब फिर विपक्षी एकता की कोशिशें शुरू हुई हैं. ये कोशिशें भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई हैं और इन कोशिशों में दो बयान सामने आए हैं. अखिलेश यादव का बयान और फिर मायावती का बयान. मायावती ने कहा कि अगर संभव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के साथ जो हाथ मिलाना चाहे, वो उसका स्वागत करेंगी. उन्होंने यह नहीं कहा कि वो किससे हाथ नहीं मिलाएंगी. उन्होंने यह कहा कि जो भी हाथ मिलाना चाहेगा, वो उससे हाथ मिलाएंगी. अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से जाकर बातचीत करने की कोशिश की. शरद पवार की किताब के उद्घाटन से एक दिन पहले होने वाले भोजन समारोह में वो शामिल हुए और उन्होंने यह छाप छोड़ने की कोशिश की, संदेश देने की कोशिश की कि वो विपक्षी एकता में रुचि रखते हैं. लेकिन अखिलेश यादव की राजनीतिक अपरिपक्वता यहीं नज़र आई, जब अगले दिन शरद पवार की किताब के उद्घाटन समारोह में वो मंच पर नहीं गए. अगर वो मंच पर जाते तो लोग इसका अर्थ निकालते कि उनमें राजनीतिक परिपक्वता आई है और वो सचमुच राजनीतिक एकता चाहते हैं.

मुलायम बनाएंगे नई पार्टी

लेकिन पर्दे के पीछे घटनाएं दूसरे ढंग से घट रही हैं. मुलायम सिंह यादव ने यह तय कर लिया है कि वो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे. उस राजनीतिक पार्टी के निर्माण के पीछे सिद्धांत और कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने चर्चाएं शुरू कर दी हैं. मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की यह हार इतनी बुरी लगी कि वो अभी तक उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं.

मुलायम सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाकर अखिलेश यादव को नरेंद्र मोदी से भी मिलवाया. इससे पहले एक और महत्वपूर्ण घटना हुई. जैसे ही परिणाम आया कि अखिलेश यादव 47 सीटें जीते हैं, वैसे ही मुलायम सिंह यादव स्वयं अखिलेश यादव के घर चले गए. वहां वे ये (शेष पृष्ठ 2 पर)

योगी हैं नीतीश की काट | P-3

आरएसएस क्या है | P-4

अयोध्या समस्या विकल्प क्या है | P-5

मुलायम जेपी बनेंगे

पृष्ठ 1 का शेष

सोच कर गए थे कि अखिलेश बहुत दुखी होंगे. मुझे उसे ढांढ़स बंधाना चाहिए. दरअसल पुत्र के प्रति पिता का प्रेम हमेशा जोर मारता रहता है. लेकिन पता नहीं वो क्या कारण है कि पिता के प्रति पुत्र का प्रेम कहीं दिखाई नहीं देता. शायद मुलायम सिंह यादव को ये लगा होगा कि इस हार के बाद अखिलेश यादव उनसे कहेंगे कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद फिर से संभाल लें. लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं कहा. मुलायम सिंह वहां से ये इंप्रेशन लेकर के आए कि अखिलेश यादव अभी अपने मंसूबों की दुनिया में हैं और वे किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह यादव को दोबारा राजनीति में ही नहीं देखना चाहते. इसके संकेत तब मिले जब अखिलेश यादव के नजदीकी लोगों ने राजनीतिक परिक्षेत्र में ये अफवाह फैलानी शुरू की या इस चर्चा को जन्म दिया कि मुलायम सिंह यादव को अब संन्यास लेकर अपने बेटे को सारे दायित्व सौंप देने चाहिए.

यहीं से मुलायम सिंह यादव ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया और मुलायम सिंह यादव ने अपने नजदीकी लोगों से इस बारे में बातचीत शुरू कर दी. हालांकि उन्होंने जिन लोगों से भी बातचीत की, उन्हें अभी मुलायम सिंह यादव पर सिर्फ 90 प्रतिशत भरोसा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पत्नी के साथ मुलायम सिंह यादव के पास पहुंच गए, उस दिन मुलायम सिंह अपना ये फैसला बदल सकते हैं. लेकिन घटनाएं दूसरी तरह से घट रही हैं. मुलायम सिंह ने अपने भाई शिवपाल यादव को पूर्ण अधिकार दे दिया है कि वो देश के विपक्षी नेताओं से बात करें. हमारी जानकारी के हिसाब से शिवपाल यादव की उत्तर प्रदेश के नेताओं में अजित सिंह से बातचीत हो चुकी है और शायद मायावती जी के साथ भी उनका सम्पर्क हो गया है. मुलायम सिंह का संदेश देवेगौड़ा जी, चौटाला जी, नीतीश कुमार और लालू यादव के पास भी पहुंच चुका है. इन सभी लोगों को इस सत्य पर विश्वास है कि अभी भी उत्तर प्रदेश के गांवों में अगर किसी की राजनीतिक साख है, तो मुलायम सिंह यादव की है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार न करने का परिणाम ही है कि 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलीं.

मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक दिन और एक रात गुजारना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश के हर मंडल के उन नेताओं के पास यह संदेश पहुंच चुका है, जो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हैं, कि मुलायम सिंह यादव वहां आकर कार्यकर्ताओं की बात सुनना चाहते हैं. शायद ये पहला कदम है. इसके बाद मुलायम सिंह पार्टी बनाने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. मुलायम सिंह के पार्टी बनाने की घोषणा का समय भी मुलायम सिंह ने लगभग तय कर लिया है. मई के आखिरी सप्ताह में एक बड़े सम्मेलन में पार्टी बनाने की घोषणा होगी. पार्टी की घोषणा के साथ पार्टी के पहले अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे और न शिवपाल यादव होंगे. पार्टी के पहले अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक सबसे वरिष्ठ नेता होगा, जिसका चेहरा सभी को स्वीकार्य है और जो उम्र में, अनुभव में, प्रशासनिक अनुभव में सबसे वरिष्ठ है. मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सम्मेलन में संरक्षक के रूप में रहेंगे और वो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, मध्यप्रदेश में होने वाले सम्मेलनों में पार्टी के संरक्षक की हैसियत से शामिल होंगे.

मुलायम सिंह की कमज़ोरी रहे हैं रामगोपाल यादव

दूसरी तरफ अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव किसी भी कीमत पर मुलायम सिंह को सक्रिय नहीं होने देना चाहते हैं. मुलायम सिंह यादव की सख्त नाराजगी प्रोफेसर रामगोपाल यादव से है और अभी कुछ नेताओं का एक हिस्सा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को ये समझाने में लगा है कि अगर प्रोफेसर रामगोपाल यादव को राजनीति से थोड़ा अलग रखा जाए और मंच पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव आएं तो 2019 में बड़ा फायदा होगा. लेकिन अखिलेश यादव इस राय को नहीं मान रहे हैं. वो प्रोफेसर रामगोपाल यादव का अपने मुख्यमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मानते हैं और उस अहसान को वो भूल नहीं पा रहे हैं. जब समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें छह या सात लोग शामिल थे और जिसमें ये तय हुआ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ये घोषणा कर चुके थे कि नेताजी ही मुख्यमंत्री होंगे. जब ये सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो सबसे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ये कहा कि अखिलेश यादव ही बनेंगे और कौन बनेगा? मुलायम सिंह जी की उपस्थिति में सारे लोग अचानक सन्न रह गए और मुलायम सिंह के पुत्र का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित हुआ था, इसलिए कोई बोला ही नहीं. लेकिन शिवपाल यादव ने दबी जुबान से कहा कि फैसला सही है, लेकिन इस फैसले को साल भर के लिए टाल देना चाहिए. शुरू के पहले साल खुद मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहें, अखिलेश यादव उनके साथ मंत्री रहें, प्रशासन के तरीके सीखें, लोगों को समझें, लोगों को जानें, उसके बाद मुलायम सिंह जी इस्तीफा दे दें और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनें. मुलायम सिंह ने इस बात को यहीं रोक दिया और कहा कि हम इस पर दो दिन बाद फैसला करेंगे. दो दिनों में मुलायम सिंह यादव पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बहुत दबाव डाला, तब मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव से कहा कि हमारे ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है, इसलिए अखिलेश को ही मुख्यमंत्री बना देते हैं.

दरअसल, प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुलायम सिंह की शुरू से कमजोरी रहे हैं. प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुलायम सिंह यादव के सगे भाई नहीं हैं, सगे चचेरे भाई हैं. लेकिन वो अपनी बात करने की शैली से, अपने अभिजात्य से, लोगों से सम्पर्क करने की कला की वजह से मुलायम सिंह के अतिप्रिय रहे और दिल्ली की पूरी राजनीति में, पहले अमर सिंह को साधना, फिर अमर सिंह को दूर भगाना, दूसरे नेताओं से संपर्क, ये सारे काम प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह के लिए किए. मुलायम सिंह यादव का इतना ज्यादा भरोसा रामगोपाल यादव के ऊपर था कि वो उनकी बात को बिना सोचे-समझे मान लेते थे. इसीलिए, भारत की राजनीति में पहली बार एक नेता को सबने एक साथ, सामूहिक रूप से पब्लिक के सामने माला पहनाई. एक नई पार्टी की घोषणा हो गई. नई पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह को बना दिया गया, लेकिन उसको भी तोड़ने की बात जब प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव से कही, कारण चाहे जो रहे हों, मुलायम सिंह यादव ने उसे एक सेकेंड में मान लिया. आज मुलायम सिंह यादव और उनके साथी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अगर वो पार्टी बनी होती तो किसी प्रदेश में कोई चुनाव ही नहीं था. बिहार में जो परिणाम आया, उससे भी अच्छा परिणाम आता और बाकि राज्यों में बिहार दुहराया जाता. तब वो नेता, जिनमें ममता बनर्जी हैं, नवीन पटनायक हैं, ये सारे लोग मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनने वाले नए विपक्षी दल का सहयोगी हिस्सा होते.

मुलायम सिंह कब मायावती से मिलेंगे?

अभी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव विपक्षी एकता के सही नक्शे को अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं. उनकी कोशिश है कि सिर्फ वो और मायावती मिल कर उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव लड़ें, लेकिन मायावती को ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में यादव वोट पर अखिलेश यादव का नहीं, मुलायम सिंह यादव का

मानसिक राज है. जब मुलायम सिंह यादव खड़े होंगे तभी यादव समाज पूरे तौर पर मायावती के साथ खड़ा होगा. इसका दूसरा परिणाम ये निकलेगा कि अति पिछड़ा वर्ग, जो मायावती और मुलायम सिंह यादव से भी दूर चले गए और भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए, वो सब वापस मुलायम सिंह और मायावती के साथ चले आएंगे. प्रश्न ये है कि मुलायम सिंह यादव कब मायावती से फोन पर बात करेंगे या कब मायावती से मिलेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ मुलायम सिंह और मायावती के पास है. लेकिन, ऐसा होना अगले दिसंबर तक अवश्यंभावी है. मायावती का हर वाक्य ये बता रहा है कि वो भी कोई रास्ता तलाश रही हैं, जिससे वे नए सिरे से अपने राजनीतिक आधार को वापस पा सकें.

मुलायम सिंह यादव अब न प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं न मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं. मुलायम सिंह यादव अब जयप्रकाश नारायण बनना चाहते हैं. मुलायम सिंह चाहते हैं कि सारे लोग एक साथ आएं और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें. लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रोफेसर रामगोपाल यादव को डराने के कई हथियार हैं. बड़े परिवारों के या जो सत्ता में परिवार हैं, उनके लड़कों द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं, जिनकी जांच केंद्र सरकार सीबीआई के जरिए करा सकती है. सीबीआई का इस्तेमाल वो एक तरफ मायावती को किनारे रखने में और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव को डराने में कर सकती है. प्रोफेसर रामगोपाल यादव के ऊपर ये आरोप लग चुका है कि उन्होंने सीबीआई से बचने के लिए मुलायम सिंह यादव को विपक्ष से अलग कर दिया. अखिलेश यादव के बनाए हुए कई काम, जिनमें गोमती रिवर फ्रंट, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे जैसे काम प्रमुख हैं, जिनकी जांच उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री तेजी से करा सकते हैं.

विपक्षी एकता में क्या होगा, कैसे होगा, क्या अखिलेश यादव विपक्षी एकता के केंद्र बनेंगे या मुलायम सिंह दुबारा केंद्र बनेंगे, इस बात का फैसला होना बाकी है. प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को किसी भी कीमत पर विपक्षी एकता का केंद्र नहीं बनने देंगे. लेकिन, मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश होगी कि अखिलेश यादव उस विपक्षी एकता के केंद्र में दोबारा रहें. हालांकि, मुलायम सिंह के दूसरे पुत्र प्रतीक यादव, प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव और मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता, उनके संकेत कुछ अलग तरह के हैं. इससे लोगों में ये भ्रम फैल रहा है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नजदीक जाने की जल्दी में हैं. हो सकता है कि ये सही भी हो या सही नहीं भी हो, क्योंकि बिना मुलायम सिंह के किसी भी कदम का कोई मतलब नहीं है. बिना मुलायम सिंह के न उनकी पत्नी की हैसियत है, न उनके बेटे की हैसियत है, न उनकी बहू की हैसियत है. जो हैसियत है, मुलायम सिंह की हैसियत है.

मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के हर मंडल में एक दिन और एक रात गुजारना चाहते हैं. उत्तर प्रदेश के हर मंडल के उन नेताओं के पास यह संदेश पहुंच चुका है, जो मुलायम सिंह यादव के पक्ष में हैं, कि मुलायम सिंह यादव वहां आकर कार्यकर्ताओं की बात सुनना चाहते हैं. शायद ये पहला कदम है. इसके बाद मुलायम सिंह पार्टी बनाने की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं. मुलायम सिंह के पार्टी बनाने की घोषणा का समय भी मुलायम सिंह ने लगभग तय कर लिया है.

मजबूत विपक्ष न होने का दोषी भाजपा या खुद विपक्ष

इसलिए अभी ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होगा, जिसकी बुनियाद में मुलायम सिंह यादव का विचार होगा. जनवरी आते-आते मायावती सहित उन सभी ताकतों का सहयोग इस पार्टी के साथ होगा, जो 2019 में नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना चाहती है. मुलायम सिंह यादव के खड़े होने के बाद, निश्चित तौर पर लालू यादव, नीतीश कुमार, एचडी देवेगौड़ा, चौटाला और कमल मोरारका, ये सब भी कहीं न कहीं हिस्सा बनेंगे.

लेकिन, ये काम बहुत मुश्किल है. ये काम हिमालय पर्वत को काट कर रास्ता बनाने जैसा है. एक समय ये काम इतना आसान था कि सब नेता मुलायम सिंह के घर इकट्ठे हो गए थे और अगर उस समय प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव ने साथ दिया होता तो आज हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास दूसरा होता. लेकिन, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को तश्तरी में रख कर, मिठाई के साथ, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है, वो इतिहास की महान बुद्धिमानी का अमिट नमूना बन कर लोगों को हमेशा सीख देता रहेगा. लेकिन, राजनीति में कहीं भी पूर्ण विराम नहीं होता है. हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की इस नई मुहिम के साथ अखिलेश यादव भी जुड़ें और शिवपाल यादव की राजनीतिक कार्यकुशलता की वजह से एक नया इतिहास प्रारंभ हो.

लेकिन, इन सारी घटनाओं के बीच में किंतु-परंतु है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आ भी रहा है, लोग ले भी रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं होने दे रही है. प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए. भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी अन्य लोगों को सत्ता से दूर रखना चाहती है. ठीक उसी तरीके से, जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना चाह रही है. अब होशियारी के इस शतरंज में अगर भारतीय जनता पार्टी सटीक ढंग से अपने पासे फेंक रही है और सामने वाले को बार-बार शह दे रही है तो दोष भारतीय जनता पार्टी को न देकर उसका मुकाबला करने वाले विपक्षी दलों को देना चाहिए, जो मात तो दूर शह देने के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. ये अलग बात है कि भारत की जनता को इस बिसात पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा समझदार दिखाई दे रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक राज कर चुके समस्त विपक्षी दल अपनी साख इतनी नीचे ले गए हैं और किए गए वादे को पूरा करने में इतनी बुरी तरह असफल हुए हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं छोटी असफलताएं लगती हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 09 अंक 09
01 मई- 07 मई 2017
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-65500786
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

यूपी में तेज़ हो रहा शराबबंदी का आंदोलन, महिलाओं की व्यापक भागीदारी

योगी हैं नीतीश की काट

'संघ मुक्त-शराब मुक्त' के नीतीश-फॉर्मूले से चिढ़ा संघ हड़प रहा है शराबबंदी आंदोलन

यूपी के धार्मिक स्थलों पर पूर्ण शराबबंदी, ढिलाई पर अफसरों को मिलेगी सख्त सज़ा

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विकास के साथ शराबबंदी का मुद्दा तो नहीं चला, लेकिन चुनाव के बाद प्रदेश में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, वैसे ही शराबबंदी का मसला यूपी में व्यापक आंदोलन की तरह तेजी पकड़ने लगा. अलग-अलग जिलों में महिलाओं ने शराबबंदी आंदोलन को आगे बढ़ाया और शराब के खिलाफ आज हालात इतने परिपक्व हो गए हैं कि सरकार को शराबबंदी के बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है. अब विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी महिलाओं का साथ देना शुरू कर दिया है. अब प्रदेश सरकार पर इतना दबाव है कि यूपी में भी शीघ्र शराबबंदी लागू हो सकती है. यूपी के बाद भाजपा शासित सभी राज्यों में शराबबंदी लागू होने का रास्ता यक-ब-यक खुल जाएगा.

सवाल उठता है कि शराब के खिलाफ अचानक माहौल कैसे बनने लगा? शराबबंदी के पक्ष में पूरे प्रदेश में माहौल कैसे गहराया और कितना गहराया, इस पर तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह समझते चलें कि जो मसला विधानसभा चुनाव में नहीं उठा, वह चुनाव के बाद कैसे पूरे राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य पर हावी होता चला गया. शराबबंदी का मसला उठाने के पीछे भाजपा की सोची-समझी राजनीति है. बिहार में शराबबंदी लागू करने के कारण वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में हीरो के रूप में प्रोजेक्ट होने लगे. जबकि गुजरात जैसे राज्य और महाराष्ट्र के कुछ खास जिलों में शराबबंदी पहले से लागू थी. लेकिन शराबबंदी आंदोलन का श्रेय नीतीश कुमार ने झटका और उन्होंने इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए पूरे देश में समा बांधने की कवायद भी तेज कर दी. नैतिक मसलों को उठाने में भाजपा अपना एकाधिकार मानती रही है. लिहाजा, नैतिकता से जुड़ा इतना बड़ा मसला नीतीश के हाथ में सिमट जाए, भाजपा को यह गवारा नहीं था. यूपी में सत्ता में आते ही और योगी आदित्यनाथ जैसे संत के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश में शराब के खिलाफ आंदोलन अचानक तेज हो गया. सत्ता में आते ही छेड़खानी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों से योगी की छवि भी एक कट्टरपंथी से अलग नैतिक स्टैंड पर खड़ी होनी शुरू हो गई थी. अवैध बूचड़खानों पर रोक का सिलसिला भी तेज हुआ और वैसे ही शराबबंदी लागू करने के लिए सरकार पर नैतिक दवाब की प्रक्रिया भी तेजी से शुरू हो गई. इसमें अंदर ही अंदर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका रही. शराबबंदी की मांग का आंदोलन अभी और गहराएगा. यह इतना चर्चित होगा कि देश भर में यूपी चर्चा में आएगा. तब उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू होगी और तभी भाजपा शासित सभी राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का रास्ता प्रशस्त होगा. संघ से जुड़े एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में शराब के खिलाफ हो रहे आंदोलनों को ढीला करने की समानांतर कोशिशें भी हो रही हैं. इसमें शराब माफिया और कुछ राजनीतिक दलों के नेता और सदस्यों के साथ पुलिस-प्रशासन के लोग भी शामिल हैं. उक्त पदाधिकारी ने दावा किया कि संघ ऐसा होने नहीं देगा. शराबबंदी की मांग में महिलाओं को अधिक से अधिक तादाद में शामिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर जन-सम्पर्क अभियान भी चलाया जा रहा है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तब से खफा है, जब नीतीश ने उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर संघ और शराब के खिलाफ व्यापक संघर्ष शुरू करने की बात कही थी. संघ को यह नागवार लगा कि कभी भाजपा के साथ रहे नीतीश कुमार ने संघ को शराब के साथ जोड़ दिया. तभी से संघ शराबबंदी को लेकर नीतीश की हीरोगीरी को पंक्चर करने की जुगत में लगा है. योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनते ही संघ को यह मौका मिल गया. आप याद करते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले मिर्जापुर, वाराणसी, कानपुर, घाटमपुर और लखनऊ की सभाओं में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जोरदार हमला बोला था और कहा था कि गाय की सुरक्षा का नारा देने वाले संघ के लोग जानवरों की खाल का जूता पहनकर घूमते हैं और गायों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं. नीतीश ने कहा था कि संघ को चाहिए कि वह शाखा लगाने के बजाय गोरक्षा शाखा लगाए. नीतीश ने यह भी कहा था कि देश को संघ मुक्त और शराब मुक्त बनाने की जरूरत है. यह काम जदयू करेगा. जदयू ने संघ को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया है. नीतीश ने मिर्जापुर की रैली में तो मुख्य रूप से संघ मुक्त-शराब मुक्त समाज का ही नारा दिया था. नीतीश ने यह सवाल उठाया था कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर शराबबंदी लागू क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश कुमार ने मोदी को भाजपा शासित राज्यों में शराबबंदी लागू करने की सीधी चुनौती दी थी और देश के लोगों को संघ और शराब दोनों से निजात दिलाने का वादा किया था. वाराणसी की धरती पर नीतीश का यह कहना कि हम संघ मुक्त भारत और शराब मुक्त समाज चाहते हैं, इसे संघ ने अपने और मोदी के लिए चुनौती माना था.

योगी ने कदम आगे बढ़ाते हुए पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 8,544 शराब दुकानों को रिहाइशी बस्ती, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल और अस्पताल से दूर हटाने का सख्त आदेश जारी किया. फिर वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवा शरीफ, देवबंद, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा श्रीकृष्ण जन्म स्थल और इलाहाबाद में संगम परिधि के चारों ओर शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश जारी किया. मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट कहा कि शासन के निर्देश का कड़ाई से पालन नहीं करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा. योगी अब प्रदेश में नई आबकारी नीति भी बनाने जा रहे हैं.

शराब के खिलाफ यूपी में आम लोगों की नाराजगी अब ऐसे मोड़ तक पहुंच गई है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरने लगी हैं और शराब के ठेके बंद कराने की मांग कर रही हैं. शराब के ठेके तोड़ने में भी महिलाएं बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. यहां तक कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हजरतगंज इलाके की शराब की तीन दुकानों में महिलाओं ने पिछले दिनों जमकर तड़फोड़ की और दुकानें बंद करा दीं. सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को तोड़फोड़ पर उतारू होता देख कर शराब की दुकान के कारिंदे वहां से भाग निकले. महिलाओं का कहना था कि मंदिर के बगल में शराब की तीन दुकानें चलना असामाजिक, अवैध और अनैतिक कृत्य है. इन ठेकों पर शराबखोरी के कारण उनका घर बर्बाद हो रहा है. अन्य जिलों का भी यही हाल है. संभल शहर में तो लाठी डंडे लेकर महिलाओं ने कोतवाली इलाके स्थित शराब की एक दुकान पर पिछले दिनों धावा बोला और तोड़फोड़ की. वहां दो स्कूलों के पास शराब की दुकान खुल गई थी. संभल जिले के चन्दौसी कोतवाली के देवरिया खेड़ा गांव में देसी शराब की दुकान पर सैकड़ों महिलाएं लाठी डंडे लेकर जुटीं और उन लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी. महिलाओं ने शराब की दुकान को आग के हवाले भी कर दिया. बागपत में भी महिलाओं ने शराबबंदी के लिए मुहिम छेड़ रखी है. वहां भी महिलाओं ने पिछले दिनों शराब के एक ठेके पर धावा बोला और शराब बेचने वालों को डंडों और थप्पड़ों से पीटा. इसी तरह बुलंदशहर में पिछले दिनों महिलाओं ने देवीपुरा फर्स्ट इलाके में सरकारी शराब के ठेके और आसपास के मोहल्ले के ठेकों पर धावा बोल दिया. सरकारी व प्राइवेट शराब के ठेकों को बंद कराने के लिए महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और ठेके में घुस कर वहां रखी शराब के पाउच सड़कों पर फेंक दिए. महिलाओं ने बुलंदशहर, शिकारपुर और डिबाई में शराब की बिक्री के खिलाफ आंदोलन गरमाया और शराब के ठेकों पर जमकर तोड़फोड़ की. नाराज महिलाओं ने शिकारपुर के आंचरू कला गांव में शराब के ठेके को आग भी लगा दी. डिबाई के धरमपुर गांव में भी सैकड़ों महिलाओं ने शराब के ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की. लखनऊ के करीब हरदोई में भी पिछले दिनों महिलाओं और बच्चों ने मिल कर शराब की दुकानों पर हमला किया और शराब की बिक्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आंदोलनकारियों ने शराब ठेके की निर्माणाधीन दीवार ढाह दी और ठेका बंद करा दिया. शहर कोतवाली इलाके में नघेटा रोड पर सेंट जेवियर्स और आरआर इंटर कॉलेज के ठीक सामने शराब के दो नए ठेके खोले जाने के विरोध में मुहल्ले की महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतर पड़े थे. ये शराब के ठेके रिहाइशी इलाकों और स्कूलों के पास खोले गए हैं, जिन्हें तत्काल बंद कराने की मांग की जा रही है. मुरादाबाद में भी मझोला थाने के रामतलैया इलाके में महिलाओं ने शराब के एक ठेके को आग के हवाले कर दिया. शराब के खिलाफ महिलाओं का विरोध मुरादाबाद जनपद में लगातार जारी है. मैनपुरी में दन्नाहार थाने के लालपुर सगौनी गांव में भी महिलाओं ने शराब की दुकानों का विरोध किया और शराब के ठेके की गुमटी जला डाली. मौके पर पहुंचे शराब ठेकेदार संजीव यादव को भी लाठी डंडों से पीटा. जौनपुर शहर में तो देसी और विदेशी शराब की दुकानों पर हल्ला बोलकर आग लगाने वाली महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कोतवाली पुलिस ने करीब 20 महिलाओं को हिरासत में ले लिया. महिलाओं ने आलम खां मोहल्ला स्थित देसी शराब की दुकान पर भी हमला किया और सारी शराब सड़क पर फेंक दी. उधर, आजमगढ़ के छिड़वा भादी में भी महिलाओं ने हमला कर शराब की दुकान नष्ट कर दी. पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों के साथ वाराणसी शहर के गांवों तक शराबबंदी की मुहिम रफ्तार पकड़ रही है. शराबियों के आतंक से परेशान महिलाओं ने रविंद्रपुरी और शिवाला स्थित देसी शराब की दुकानों में पिछले दिनों जमकर तोड़फोड़ की थी. यह घटना मोदी के संसदीय कार्यालय से महज तीन सौ मीटर की दूरी पर घटी. उग्र महिलाओं ने मोदी के संसदीय कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया. महिलाओं की मांग पर पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा. सेवापुरी के जंसा थाना क्षेत्र के हरसोस में भी सरकारी शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए जिला पंचायत सदस्य सीमा पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं और बड़ी संख्या में पुरुषों ने प्रदर्शन किया. दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर नहीं बल्कि गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी लागू किए जाने की मांग की जा रही है. इस मांग के अपने खास निहितार्थ हैं. आदित्य नगर में भी नाराज महिलाओं ने चितईपुर-करौंदी मार्ग जाम कर शराबबंदी के लिए आवाज उठाई. लोहता के मंगलपुर में शराब की दुकान फूंकने का प्रयास करने के आरोप में पुलिस ने 35 महिलाओं को गिरफ्तार किया. करीब दो दर्जन महिलाएं जेल में हैं. सारनाथ के पंचकोशी चौराहे के नजदीक सरकारी देसी शराब की दुकान पर भी महिलाओं ने पिछले दिनों तोड़फोड़ की और शराब की बोतलें सड़क पर फेंक दी. इस काम में बच्चे भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं.

एक तरफ यह आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूरे प्रदेश में तेज गति से गहराता जा रहा है, तो दूसरी तरफ शराब के खिलाफ बढ़ते जन-आक्रोश पर पानी डालने के लिए दूसरा हथकंडा अपनाया जा रहा है. प्रदर्शनकारी महिलाओं पर शराब की दुकान पर हमला कर लूटपाट करने का आपराधिक केस दर्ज कराया जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार कराया जा रहा है. आंदोलन से जुड़े लोगों पर पुलिस उत्पीड़न का हथकंडा आजमाया जा रहा है. इस काम में शराब माफिया और पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मिलीभगत से काम कर रहे हैं. शराब माफियाओं को अपना धंधा और पुलिस को अपना हफ्ता बंद होता नजर आ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

रिहाइशी इलाके को शराब की मंडी बना डाला

लखीमपुर के जिला आबकारी अधिकारी पंकज यादव का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जिसने शहर के रिहाइशी इलाके को शराब की मंडी बना डाला. भारी जन विरोध के बावजूद जिला आबकारी अधिकारी ने चार विद्यालयों और एक मंदिर के बीच शराब की चार दुकानें खुलवा दीं. इससे समूचे क्षेत्र में भारी आक्रोश है. गत वर्ष हनुमान मंदिर के सामने भी आबकारी विभाग के अधिकारियों की वजह से देसी शराब की दुकान खुल गई थी. क्षेत्रवासियों ने इसका विरोध किया और जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक अधिकारियों को लिखा, लेकिन आबकारी अधिकारियों को समाज और देश से क्या लेना-देना. क्षेत्रवासियों की आवाज दबा दी गई. इससे आबकारी अधिकारियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि पूरे गढ़ी रोड को शराब मंडी में ही तब्दील कर दिया. इसके विरोध में महिला सम्मान समिति ने आवाज उठाई. इसमें गढ़ी रोड के निवासियों ने भी साथ दिया, लेकिन जिला प्रशासन ने लोगों की मांग अनसुनी कर दी. विवश होकर महिला सम्मान समिति ने क्रमवार अनशन शुरू किया. लेकिन प्रशासन की आपराधिक उपेक्षा के कारण क्रमिक अनशन अब आमरण अनशन में बदल गया है. इसके बावजूद प्रशासनिक अराजकता कायम है. रिहाइशी इलाके को शराब मंडी में बदलने का अपराध आबकारी निरीक्षक पंकज यादव ने किया है. उसने तय मानकों को ताक पर रख कर शराब की दुकानें खुलवाईं. क्षेत्रवासियों ने अनशनकारियों की शव यात्रा निकालकर व्यस्ततम चौराहे पर जाम भी लगाया, लेकिन स्थानीय प्रशासन शराब माफियाओं की पैरवी में ही लगा है. ■

-अजय गुप्ता

आरएसएस क्या है?

मधु लिमये

मैं ने राजनीति में 1937 में प्रवेश किया. उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी. मैंने मैट्रिक की परीक्षा जल्दी पास कर ली थी, इसलिए कॉलेज में भी मैंने बहुत जल्दी प्रवेश किया. उस समय पूना में आरएसएस और सावरकरवादी लोग एक तरफ और राष्ट्रवादी व विभिन्न समाजवादी और वामपंथी दल दूसरी तरफ थे. मुझे याद है कि 1 मई 1937 को हम लोगों ने मई दिवस का जुलूस निकाला था. उस जुलूस पर आरएसएस के स्वयंसेवकों और सावरकरवादी लोगों ने हमला किया था और उसमें प्रसिद्ध क्रान्तिकारी सेनापति बापट और हमारे नेता एसएम जोशी को भी चोटें आई थीं. उसी समय से इन लोगों के साथ हमारा मतभेद था.

हमारा संघ से पहला मतभेद था राष्ट्रीयता की धारणा पर. हम लोगों की यह मान्यता थी कि जो भारतीय राष्ट्र है, उसमें हिन्दुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को समान अधिकार है. लेकिन आरएसएस के लोगों और सावरकर ने हिन्दू राष्ट्र की कल्पना सामने रखी. जिन्ना भी इसी किस्म की सोच के शिकार थे-उनका मानना था कि भारत में मुस्लिम राष्ट्र और हिन्दू राष्ट्र दो राष्ट्र हैं और सावरकर भी यही कहते थे. दूसरा महत्वपूर्ण मतभेद यह था कि हम लोग लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना चाहते थे और आरएसएस के लोग लोकतंत्र को पश्चिम की विचारधारा मानते थे और कहते थे कि वह भारत के लिए उपयुक्त नहीं है. उन दिनों आरएसएस के लोग हिटलर की बहुत तारीफ करते थे. गुरुजी संघ के न केवल सरसंघचालक थे, बल्कि आध्यात्मिक गुरु भी थे. गुरुजी और नाजी लोगों के विचारों में आश्चर्यजनक साम्य है. गुरुजी की एक किताब है 'वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड' जिसका चतुर्थ संस्करण 1947 में प्रकाशित हुआ था. गुरुजी एक जगह कहते हैं, 'हिन्दुस्तान के सभी गैर हिन्दू लोगों को हिन्दू संस्कृति और भाषा अपनानी होगी, हिन्दू धर्म का आदर करना और हिन्दू जाति और संस्कृति के गौरवगान के अलावा कोई और विचार अपने मन में नहीं लाना होगा. एक वाक्य में कहें तो वे विदेशी होकर रहना छोड़ें नहीं तो उन्हें हिन्दू राष्ट्र के अधीन होकर ही यहां रहने की अनुमति मिलेगी- विशेष सुलूक की तो बात ही अलग है, उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, उनके कोई विशेषाधिकार नहीं होंगे- यहां तक कि नागरिक अधिकार भी नहीं.' तो गुरुजी करोड़ों हिन्दुस्तानियों को गैर-नागरिक के रूप में देखना चाहते थे. उनके नागरिकता के सारे अधिकार छीन लेना चाहते थे और यह कोई उनके नए विचार नहीं हैं. जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय से आरएसएस वाले हिटलर के आदर्शों पर ले चलना चाहते थे. उनका मत था कि हिटलर ने यहूदियों की जो हालत की थी, वही हालत यहां मुसलमानों और ईसाइयों की करनी चाहिए.

नाजी पार्टी के विचारों के प्रति गुरुजी की कितनी हमदर्दी है, यह उनकी 'वी' नामक पुस्तिका के पृष्ठ 42 से, मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा- 'जर्मनी ने जाति और संस्कृति की विशुद्धता बनाए रखने के लिए सेमेटिक यहूदियों की जाति का सफाया कर पूरी दुनिया को स्तंभित कर दिया था. इससे जातीय गौरव के चरम रूप की झांकी मिलती है. जर्मनी ने यह भी दिखला दिया कि जड़ से ही जिन जातियों और संस्कृतियों में अंतर होता है, उनका एक संयुक्त घर में रूप में विलय असंभव है. हिन्दुस्तान में सीखने और बहस करने के लिए यह एक सबक है.'

आप यह कह सकते हैं कि वह एक पुरानी किताब है- जब भारत आजाद हो रहा था, उस समय की किताब है. इनकी दूसरी किताब है 'ए बंच ऑफ थॉट्स'. मैं उदाहरण दे रहा हूं उसके 'लोकप्रिय संस्करण' से, जो नवंबर 1996 में प्रकाशित हुआ. इसमें गुरुजी ने आंतरिक खतरों की चर्चा की है और तीन आंतरिक खतरे बताए हैं. एक हैं मुसलमान, दूसरे हैं ईसाई और तीसरे हैं कम्युनिस्ट. सभी मुसलमान, सभी ईसाई और सभी कम्युनिस्ट भारत के लिए खतरा हैं, यह राय है गुरुजी की. इस तरह की इनकी विचारधारा है.

गुरुजी के साथ, मतलब आरएसएस के साथ, हमारा दूसरा मतभेद यह है कि गोलवलकर जी और आरएसएस वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं और मेरे जैसे समाजवादी वर्ण-व्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन हैं. मैं अपने को ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूं. मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जब तक वर्ण-व्यवस्था और उस पर आधारित विषमताओं का नाश नहीं होगा, तब तक

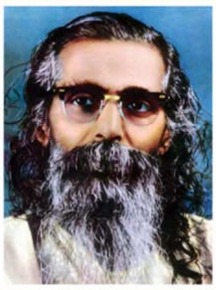

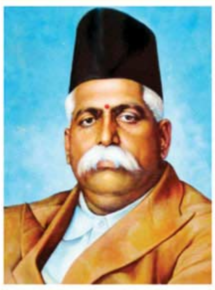

भारत में आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं आ सकती है. लेकिन गुरुजी कहते हैं कि 'हमारे समाज की दूसरी विशिष्टता थी वर्ण-व्यवस्था, जिसे आज जाति प्रथा कह कर उपहास किया जाता है.' आगे वे कहते हैं कि 'समाज की कल्पना सर्वशक्तिमान ईश्वर की चतुरंग अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी, जिसकी पूजा सभी को अपने-अपने ढंग से और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार करनी चाहिए. ब्राह्मण को इसलिए महान माना जाता था, क्योंकि वह ज्ञान-दान करता था. क्षत्रिय भी उतना ही महान माना जाता था, क्योंकि वह शत्रुओं का संहार करता था. वैश्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि वह कृषि और वाणिज्य द्वारा समाज की आवश्यकताएं पूरी करता था और शूद्र भी, जो अपने कला-कौशल से समाज की सेवा करता था. इसमें बड़ी चालाकी से शूद्रों के बारे में कहा गया है कि वे अपने हुनर और कारीगरी द्वारा समाज की सेवा करते हैं.' लेकिन इस किताब में चाणक्य के जिस अर्थशास्त्र की गुरुजी ने तारीफ की है, उसमें यह लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का सहज धर्म है. इसकी जगह पर गुरुजी ने चालाकी से जोड़ दिया- समाज की सेवा.

हमारे मतभेद का चौथा बिंदु है भाषा. हम लोग लोक भाषा के पक्ष में हैं. सारी लोकभाषाएं भारतीय हैं, लेकिन गुरुजी की क्या राय है? गुरुजी की यह राय है कि बीच में सुविधा के लिए हिंदी को स्वीकारा, लेकिन अंतिम लक्ष्य यह है कि राष्ट्र की भाषा संस्कृत हो. 'बंच ऑफ थॉट्स' में उन्होंने कहा है, 'संपर्क भाषा की समस्या के समाधान के रूप में जब तक संस्कृत स्थापित नहीं हो जाती, तब तक सुविधा के लिए हमें हिन्दी को प्राथमिकता देनी होगी.' सुविधा के लिए हिन्दी, लेकिन अंत में वे संपर्क-भाषा चाहते हैं संस्कृत. हमारे लिए यह शुरू से मतभेद का विषय रहा. महात्मा गांधी की तरह, लोकमान्य तिलक की तरह हम लोग लोक भाषाओं के समर्थक रहे. हम किसी के ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहते. लेकिन हम चाहते हैं कि तमिलनाडु में तमिल चले, आंध्र में तेलुगु चले, महाराष्ट्र में मराठी चले, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा चले. अगर गैर-हिन्दी भाषी राज्य अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वे करें. हमारा उनके साथ कोई मतभेद नहीं. लेकिन संस्कृत इने-गिने लोगों की भाषा है, एक विशिष्ट वर्ग की भाषा है. संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का मतलब है देश में मुट्ठी भर लोगों का वर्चस्व, जो हम नहीं चाहते.

पांचवीं बात, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में संघ-राज्य की कल्पना को स्वीकार किया गया था. संघ-राज्य में केन्द्र के जिम्मे निश्चित विषय होंगे, उनके अलावा जो विषय होंगे, वह राज्यों के अंतर्गत होंगे. लेकिन मुल्क के विभाजन के बाद राष्ट्रीय नेता चाहते थे कि केन्द्र को मजबूत बनाया जाए, इसलिए संविधान में एक समवर्ती सूची बनाई गई. इस समवर्ती सूची में बहुत सारे अधिकार केन्द्र और राज्य दोनों को दिए गए. जो विशिष्ट अधिकार हैं, वे पहले तो राज्य को मिलने वाले थे, लेकिन केन्द्र को मजबूत करने के लिए केन्द्र को दे दिए गए. बहरहाल, संघ-राज्य बन गया. लेकिन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आध्यात्मिक गुरु गोलवलकर- इन्होंने हमेशा भारतीय संविधान के इस आधारभूत तत्व का विरोध किया. ये लोग 'ए यूनियन ऑफ स्टेट्स' संघ-राज्य की जो कल्पना है, उसकी खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान में यह जो संघ-राज्य वाला संविधान है, उसको खत्म कर देना चाहिए. गुरुजी 'बंच ऑफ थॉट्स' में कहते हैं, 'संविधान का पुनरीक्षण होना चाहिए और इसका पुनः लेखन कर शासन की एकात्मक प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए.' गुरुजी एकात्मक प्रणाली यानी केन्द्रानुगामी शासन चाहते हैं. वे यह कहते हैं कि ये जो राज्य वगैरह हैं, ये सब खत्म होने चाहिए. इनकी कल्पना है कि एक देश, एक राज्य, एक विधायिका और एक कार्यपालिका. यानी राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के मंत्रिमंडल सब समाप्त. यानी ये लोग डंडे के बल पर अपनी राजनीति चलाएंगे. अगर डंडा इनके हाथ में आ गया राजदंड, तो केन्द्रानुगामी शासन स्थापित करके छोड़ेंगे.

इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन का राष्ट्रीय झंडा था तिरंगा. तिरंगे झंडे की इज्जत के लिए, शान के लिए सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, हजारों लोगों ने लाठियां खाईं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानता. वह तो भगवा ध्वज को ही मानता था और कहता था, भगवा ध्वज हिन्दू राष्ट्र का प्राचीन झंडा है. हमारा वही आदर्श है, हमारा वही प्रतीक है.

जिस तरह संघ-राज्य की कल्पना को गुरुजी अस्वीकार करते थे, उसी तरह लोकतंत्र में भी उनका विश्वास नहीं था. लोकतंत्र की कल्पना पश्चिम से आयात की हुई कल्पना है और पश्चिम का संसदीय लोकतंत्र भारतीय विचार और संस्कृति के अनुकूल नहीं है, ऐसी उनकी धारणा है. जहां तक समाजवाद का सवाल है, उसको तो वे सर्वथा पराई चीज मानते थे और कहते थे कि यह जितने 'इज्म' हैं यानी डेमोक्रेसी हो या समाजवाद, यह सब विदेशी है और इनका त्याग करके हमको भारतीय संस्कृति के आधार पर समाज रचना करनी चाहिए. जहां तक हमारे जैसे लोगों का सवाल है हम लोग तो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, समाजवाद में विश्वास रखते हैं और यह भी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से और महात्मा जी के सृजनात्मक सिद्धांत को अपना कर हम लोकतंत्र की प्रतिष्ठापना करें, सामाजिक संगठन बनाएं और समाजवाद लाएं.

जब कांग्रेस के एकतंत्रीय शासन के खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही थी, तो हमारे नेता डॉ. राममनोहर लोहिया कहते थे कि जिस कांग्रेस ने चीन के हाथ भारत को अपमानित करवाया, उस कांग्रेस को हटाने के लिए और देश को बचाने के लिए हमको विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए. इस विषय पर डॉक्टर साहब से मेरी बहुत चर्चा होती थी. दो साल तक बहस चली. आखिर तक मैं यह कहता रहा कि आरएसएस और जनसंघ के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठेगा. अंत में डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे नेतृत्व को तुम मानते हो या नहीं? मैंने कहा- हां, मैं मानता हूं. वे बोले, क्या यह जरूरी है कि सभी प्रश्नों पर तुम्हारी और मेरी राय मिले या सभी प्रश्नों पर मैं तुमको सहमत करूं. एक-आध प्रश्न ऐसा भी रहे जो हम दोनों के बीच मतभेद का विषय हो और मैं तो इस तरह का तालमेल चाहता हूं एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए, तो इस मामले में तुम मान जाओ, इसको 'ट्रायल' दे दो. हो सकता है कि अंत में आरएसएस और डॉक्टर राममनोहर लोहिया की विचारधारा में संघर्ष हो कर रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

अयोध्या समस्या विकल्प क्या है

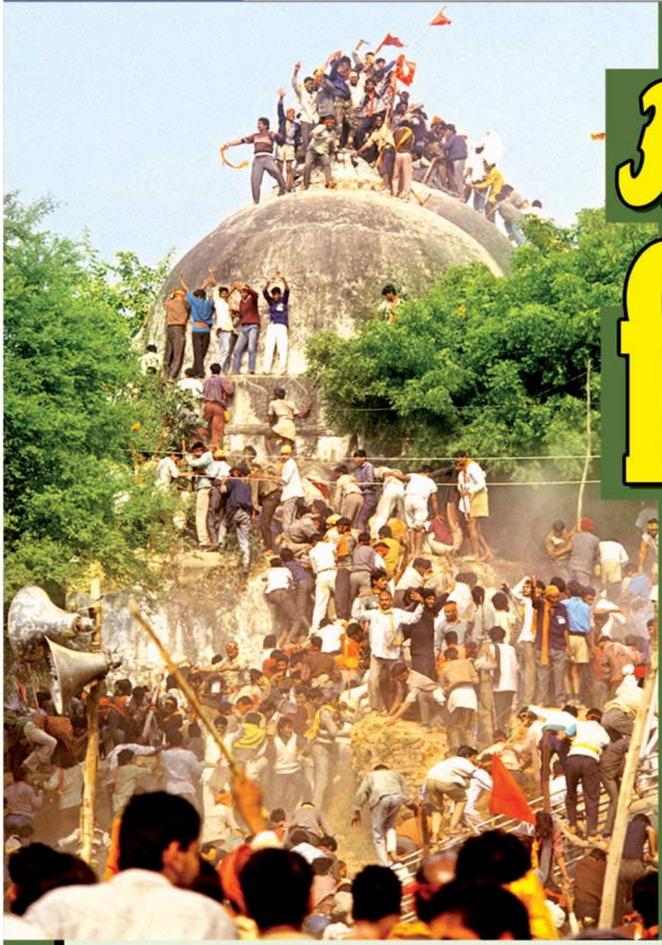

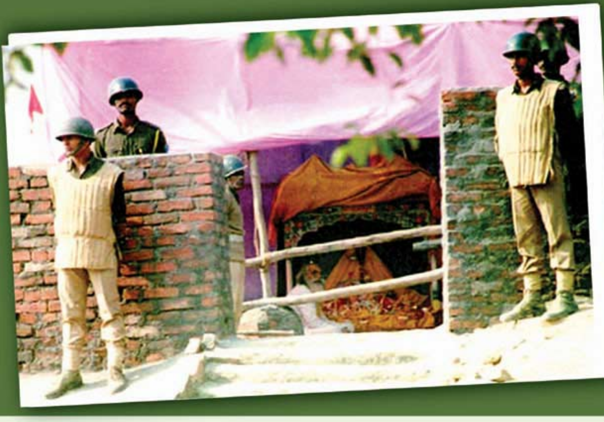

मधु लिमये

सभी आधुनिक राज्यों में किसी-न किसी प्रकार का सीमाकारी कानून (लॉ ऑफ लिमिटेशन) होता है. इसके बिना मुकदमेबाजी पर कोई रोक नहीं रहेगी, पुराने जख्म बार-बार हरे होंगे, समाज में भयंकर क्षोभ पैदा होगा और व्यवस्थित राज्य का रख-रखाव असंभव हो जाएगा. सीमाकारी कानून बहुत पुराने दावों और उन पर आधारित मुकदमों को बार-बार उठाने को रोकता है क्योंकि ये मुकदमे कटुता पैदा करते हैं और सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं. इसीलिए सीमाकारी कानून को शांति और सुस्थिरता का कानून कहा जाता है. यह लोकनीति का अनिवार्य तत्व माना जाता है.

सीमाकारी कानून

दुनिया में शायद ही कोई बड़ा देश होगा जिसने अपने अतीत में बाहरी हमलों, आंतरिक क्रांतियों और शासन के उग्र परिवर्तनों का सामना न किया हो. इस प्रकार की प्रत्येक उथल-पुथल के बाद चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व बदलता रहा है. सीमाकारी कानून के अभाव में सभ्य शासन-व्यवस्था को बनाए रखना असंभव होगा. अगर हमलावर भिन्न धर्म को मानने वाला हुआ या आंतरिक उथल-पुथल में धार्मिक परिवर्तन भी हुए तो धार्मिक संपत्ति का प्रभावित होना भी निश्चित होता है.

जब अरब सेनाओं ने स्पेन पर अधिकार किया और वहां अपना शासन स्थापित किया तो ईसाई गिरजों को मस्जिदों में परिवर्तित किया गया. जब कैथलिक स्पेनियों ने अरब-नियंत्रित हिस्सों पर दोबारा कब्जा किया तो मस्जिदों को फिर गिरजों में बदला गया.

भारत में भी यह निर्विवाद तथ्य है कि यहां धार्मिक क्रांतियां हुईं, जैसे बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान आदि. सबसे बड़े परिवर्तन अरब और तुर्की हमलों के फलस्वरूप हुए. बड़ी संख्या में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया. मंदिरों से संबंधित संपत्ति को जब्त किया गया और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गईं. यदि धर्मशास्त्रियों और धार्मिक कट्टरपंथियों का यह तर्क मान लिया जाता है कि मंदिरों, मस्जिदों और गिरजों आदि का प्रतिकूल स्वामित्व हो ही नहीं सकता और ये पूजा-स्थल तथा इनसे जुड़ी संपत्ति पहले की तरह मंदिर, मस्जिद या गिरजे के रूप में ही बनी रहेगी, चाहे वे टूटी-फूटी स्थिति में हों, नष्ट किए गए हों या उन पर निर्माण हुआ हो तथा इस भूमि के साथ किसी प्रकार की कोई बाध्यकारी परंपरा है, जिसे किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जा सकता, तो यह निश्चित ही विपत्ति का कारण होगा. उच्च न्यायालयों ने इस तरह की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है.

बेतुकी मान्यता

यह मान्यता ही इतनी बेतुकी है कि यदि इसे सामान्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया- जैसा कि कुछ मुसलमान और हिंदू मांग कर रहे हैं-कि एक दफा ईश्वर या खुदा को समर्पित संपत्ति हमेशा के लिए और हर स्थिति में अपना मूल विशिष्ट धार्मिक स्वरूप बनाए रखेगी या उस संपत्ति के स्वामी का फर्ज है कि वह उसके मूल धार्मिक स्वरूप को बनाए रखे तो यह कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से बिल्कुल हानिकारक होगा. अगर इस मान्यता को स्वीकार किया गया तो यह ईश्वर को समर्पित सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू होगी. यह नियम हिंदू मंदिरों पर भी लागू होगा. इससे एक अजीब और खतरनाक स्थिति पैदा होगी. जहां मुसलमानों ने ईश्वर को समर्पित हिंदू मंदिरों को अपने कब्जे में लिया, उन्हें गिरा कर उन स्थानों पर मस्जिदें बनाईं, वहां मुसलमानों का यह फर्ज माना जाएगा कि वे उस भूमि का वह पवित्र स्वरूप बनाए रखें जो हिंदुओं की नजर में उनका है.

जैसा कि एक अंग्रेज जज ने कहा था कि इस सामान्य नियम को स्वीकार किया गया तो एक ही जगह पर एक ही समय तीन तरह की पूजा होने लगेगी और यह कानून व्यवस्था को बनाए रखने के खिलाफ बात होगी. यह स्पष्ट है कि यह बात सामान्य नियम के तौर पर स्थापित हो गई कि ईश्वर को समर्पित भूमि का प्रतिकूल स्वामित्व नहीं हो सकता और सीमाकारी कानून लागू नहीं होगा तो फिर इस देश में हिंदू मंदिर के स्थान पर बनी कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिसे अब हिंदू वापस नहीं ले सकते.

विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार की अन्य संस्थाओं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के तर्कों को अपना कर न केवल मथुरा और बनारस के दो मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर कब्जा करने के अधिकार का दावा किया है, बल्कि 30000 अन्य पूजा-स्थलों पर अधिकार का भी दावा किया है. अगर इस कपोल-कल्पित दावे को व्यवहार में बदला गया तो स्थिर शासन अतीत की वस्तु बन जाएगी, जंगल का कानून लागू होगा और देश अराजकता की स्थिति में चला जाएगा.

संसद द्वारा बनाया गया कानून

संसद ने यथास्थिति बनाए रखने तथा हिंसा को रोकने के लिए पूजा-स्थलों का कानून बनाया है. यह कानून वस्तुतः अनावश्यक था. इसने उसी बात को दोहराया है जो सीमाकारी कानून में कही गई है. इस अधिनियम के तहत पुराने दावों के आधार पर कब्जा लेने के सभी मुकदमों पर रोक लगी है और वर्तमान स्थिति को केवल नंगे बल-प्रयोग से ही बदला जा सकता है.

पूजा-स्थलों के नये कानून के अंतर्गत अयोध्या का विवाद नहीं आता. सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने बाबरी मस्जिद के प्रतिकूल कब्जे का जो मुकदमा दायर कर रखा है, वह नियमानुकूल है अथवा नहीं, इस बात का फैसला अदालत ही कर सकती है.

विश्व हिंदू परिषद के महासचिव अशोक सिंघल ने 1990 में जोर देकर कहा था कि वे बाबरी मस्जिद भूमि का वह 80 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा टुकड़ा चाहते हैं, जो रामजन्म स्थान है. उन्होंने कहा था कि इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता. यह भूमि इस समय विहिप के लोगों के पास है. 1990 के बाद विहिप की भूख बढ़ गई है.

किसी पक्ष से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे यह फैसला स्वीकार्य होगा अथवा नहीं. सबसे बड़ी अदालत में एक बार फैसला हो जाने के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाए. अदालत के फैसले का सरकार को पूरी ताकत के साथ समर्थन करना होगा. मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह कानून या तकनीक का सवाल नहीं है. यह राजनैतिक इच्छा का सवाल है. क्या सत्ताधारियों में इन गैर-संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था की रक्षा करने की इच्छा-शक्ति है?

अदालत से बाहर का समाधान

अगर इस विवाद को अदालत से बाहर हल करना है तो इसका तरीका इस प्रकार होगा-

मुस्लिम संस्थाएं बाबरी मस्जिद के एक हिस्से को, जिसमें केंद्रीय गुम्बद है और जिसमें मूर्तियां रखी गई हैं, हिंदुओं को स्वेच्छा से दे दें. इसके बदले में उन्हें पश्चिम की ओर मस्जिद से लगी भूमि दी जा सकती है और उस पर तीन नए गुम्बद बनाए जा सकते हैं, ताकि दोनों पूजा-स्थल अगल-बगल में बने रहें.

अथवा

मुसलमान उस जगह को बिल्कुल छोड़ दें और अयोध्या में किसी और जगह भूमि ले लें जहां नई मस्जिद बनाई जा सकती है. अगर जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जैसे असंदिग्ध समभाव रखने वाले नेता मूर्तियों को नहीं हटवा सके तो मुसलमानों का यह सोचना समझदारी नहीं होगा कि वर्तमान छोटे कद के नेता यह काम कर सकेंगे.

अथवा

उच्चतम न्यायालय सारे मुकदमों की सुनवाई करे और फैसला दे. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवाद के मुद्दे तैयार किए हैं. सभी मुद्दों को देने के बजाय यहां प्रमुख मुद्दों को संक्षेप में दिया जा रहा है.

प्रमुख मुद्दे

वाद सं. 1-बी (सी) : क्या इमारत का इस्तेमाल प्राचीन काल से मुसलमानों द्वारा नमाज के लिए किया जाता था? यदि किया जाता था तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

वाद सं. 2 : क्या वादी के पास 1949 तक इस संपत्ति का कब्जा रहा और जैसा कि शिकायत में कहा गया है, उसे 1949 में उस संपत्ति से वंचित किया गया?

वाद सं. 3 : क्या मुकदमा समय की सीमा में है?

वाद सं. 4 : क्या हिंदुओं को आमतौर पर और भगवान श्रीराम के भक्तों को खासतौर पर कानून में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक उस स्थल को प्रतिकूल कब्जे में लगातार रखने के कारण, आदेश के तौर पर वहां पूजा का अधिकार मिल गया है जैसा कि प्रतिवादियों ने कहा है?

वाद सं. 11 (सी) : क्या विवादित इमारत के निर्माण से पूर्व उसका कोई भाग हिंदुओं द्वारा पूजा के काम में लाया जाता था? यदि इसका उत्तर सकारात्मक हो तो क्या विवादित स्थान पर इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार वहां कोई मस्जिद नहीं बन सकती थी? अगर मुस्लिम संस्थाएं और विश्व हिंदू परिषद मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर होने या न होने की जांच के आधार पर विवाद हल करना चाहें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन पुरातत्वविदों की एक समिति बनाई जाए जिसमें एक पुरातत्वविद् विश्व हिंदू परिषद, एक मुस्लिम संगठन और एक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर सरकार नियुक्त करे और वहां खुदाई कराई जाए जिससे यह समिति अपनी सुविचारित राय बना सके. यदि पहले के ढांचे के कोई साक्ष्य न मिलें तो यह स्थल मुसलमानों को दे दिया जाए. यदि पहले के ढांचे का साक्ष्य मिल जाए तो मुसलमान यह स्थल हिंदुओं को सौंप दें तथा इसमें किसी भी तरह की धार्मिक बहस को न लाया जाए.

किसी से पूछने की जरूरत नहीं

किसी पक्ष से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि उसे यह फैसला स्वीकार्य होगा अथवा नहीं. सबसे बड़ी अदालत में एक बार फैसला हो जाने के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाए.

अदालत के फैसले का सरकार को पूरी ताकत के साथ समर्थन करना होगा. मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह कानून या तकनीक का सवाल नहीं है. यह राजनैतिक इच्छा का सवाल है. क्या सत्ताधारियों में इन गैर-संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था की रक्षा करने की इच्छा-शक्ति है? ■

feedback@chauthiduniya.com

वैराग्य और समर्पण के समन्वित रूप: मधु जी

स्व. मोहन सिंह

मैं मधु जी को 1964 में पहली बार मिला. उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था. वे लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए थे. बिहार के मुंगेर लोकसभा से निर्वाचन के बाद ही समाजवादी आंदोलन की दो शाखाओं समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी (प्रसोपा) की एकता के प्रयास चल रहे थे. समाजवादी पार्टी की ओर से डॉ. राम मनोहर लोहिया जी की पहल पर राजनारायण, मधु लिमये आदि इसमें सक्रिय थे. प्रजा समाजवादी खेमे की ओर से एस.एम जोशी, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन आदि पहल कर रहे थे. प्रजा समाजवादी दल में अशोक मेहता, चंद्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी, आदि ने कांग्रेस पार्टी में जाने का मन बना लिया था. अशोक जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाने वाला था. पार्टी के एकता प्रस्तावों में संभावित पार्टी की नीति, सिद्धांत का आधार क्या हो? इसकी समिति के संयोजक मधु जी थे. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रजा समाजवादी पार्टी में बिखराव को देखते हुए शीघ्र बिना शर्त एकता के पक्षधर थे. लेकिन उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि वाराणसी में आयोजित होने वाले स्थापना सम्मेलन में वे तभी जाएंगे, जब सम्मेलन प्रस्ताव पास कर उन्हें वहां जाने का प्रस्ताव करे. कुछ लोग इसे व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला सुझाव कह कर इस वक्तव्य की आलोचना कर रहे थे. इससे एकता के लिए जो उत्साह पैदा होना चाहिए, उसमें निराशा का प्रवेश हो गया. मधु जी बिहार से रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहे थे. मेरे जैसे दर्जनों नई उम्र के कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलाहाबाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर उन्हें घेरकर उनका विचार जानना चाहा. हमलोगों से अधिक निराश वे स्वयं थे. उन्होंने कहा, प्रसोपा के अधिकांश नेता कांग्रेस में चले गए. एकता के बाद डॉक्टर साहब के अलावा कोई नेता नहीं है. उन्हें ऐसा वक्तव्य देने की आवश्याकता नहीं थी. नई पार्टी के गठन के बाद जिस वातावरण और उत्साह की अपेक्षा थी, उसमें कमी आ जाएगी और प्रसोपा खेमें में काफी निराशा होगी. कांग्रेस की तो रणनीति है, समाजवादी आंदोलन में बिखराव पैदा करो. हमलोग अपने आचरण से उस बिखराव को गति दे रहे हैं. गाड़ी थोड़ी देर रुकने के बाद चली गई. मधु जी के आकर्षक व्यक्तित्व की मेरे ऊपर छाप पड़ी. मैंने उनसे पत्राचार का सिलसिला शुरू किया और 1967 के बाद हमारी समीपता बढ़ गई, जो 8 जनवरी 1995 अर्थात उनके जीवन के अंतिम सांस तक बनी रही.

वे उच्च कोटि के विद्वान, अपने विचारों के लिए पूर्ण समर्पित, सच्चे राष्ट्रभक्त और समाज के अंतिम आदमी के दुख दर्द को अपना दुख मानते थे. उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था. 1 मई, 1922 को महाराष्ट्र के पुणे नगर में उनका जन्म हुआ था. उनके पिता इस नगर के एक स्कूल में अध्यापक थे. उनके पिता अंग्रेजी और संस्कृत के श्रेष्ठ अध्यापकों में थे.

1955 में गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था. मधु जी की नई-नई शादी हुई थी और नन्हा-मुन्ना बच्चा भी हो गया था. किन्तु वे परिवार छोड़कर गोवा मुक्ति संग्राम में कूद पड़े. पूर्तगाली शासन उनके अनुसार ज्यादा बर्बर और निष्ठुर था. वे महाराष्ट्र की सीमा पार कर गोवा की सरहद में अपने सत्याग्रही साथियों के साथ पहुंचे ही थे कि उनके साथियों पर गोवा पुलिस आक्रमणकारी की तरह टूट पड़ी उनका पूरा शरीर लाठियों से तोड़ दिया गया. लहूलुहान मधु जी को अदालत में पेश किए बिना जेल में डाल दिया गया. जहां बिना किसी अपराध के 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई. किन्तु भारत सरकार की पहल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पुर्तगाल की सरकार ने दो वर्ष के बाद सभी भारतीय कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया. इस तरह मधु जी का विचार उपनिवेशवाद विरोधी था और उन्होंने अपने जीवन में कठिन प्रयास से पूरी शक्ति और सामर्थ्यभर सम्राज्यवादी शासन का विरोध किया.

1971 का चुनाव मधु जी हार गए. मैंने गुरुद्वारा रकाबगंज की कोठी से उनका सब सामान निकाला. एक छोटे ट्रक से उनका सभी सामान बांद्रा स्थित चम्पाजी को फ्लैट में भेज दिया गया. उस समय संसद भवन में स्टेट बैंक की शाखा नहीं थी. पार्लियामेंट स्ट्रीट के मेन ब्रांच में संसद सदस्यों का खाता हुआ करता था. मधु जी ने 200 रुपए का चेक काटकर मुझे दिया कि तुम घर वापस चले जाना. मैंने खाते से पैसा निकाला, तो कैशियर ने कहा, मधु जी से कहना 80 रुपए ही बचे हैं. मैने उनको बताया, तो हंसने लगे, इतना काफी है. जैसे निजी दौलत से उन्हें पूरा वैराग्य था. उस दौर में उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती थी. उत्तर प्रदेश के दौरे में हम और हमारे मित्र मुख्तार अनीस बारी-बारी से उनके साथ रहते थे.

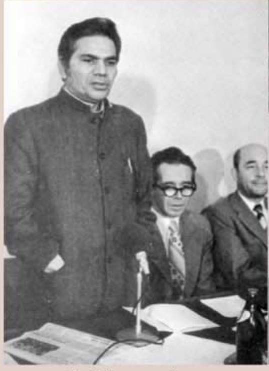
मॉस्को में भाषण करते हुए

गोविंद तलवलकर के साथ मधु लिमये

मॉस्को में नंदिनी सत्पथी के साथ

मास्को में मधुजी

मधुजी की पुस्तक 'पॉलिटिक्स ऑफ्टर फ्रीडम' के रिलीज के अवसर पर
मधुजी, चंद्रशेखर मिश्र, तारकेश्वरी सिन्हा, रमा मित्रा और लैला फर्नांडिस

क्योंकि हम दोनों उनकी तकलीफ और दिनचर्या से परिचित थे. मैं स्लीपर क्लास में उनका आरक्षण कराता था. वे प्राय: बीच की सीट पर सोते थे. नीचे मैं रहता था. स्लीपर क्लास में गद्दे नहीं थे. मैं उनके लिए एक मोटी दरी रखता था और बर्थ पर बिछा देता था. वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर से दमे के मरीज थे तथा गोवा जेल और बिहार के चुनाव में उनपर आक्रमण से उनके शरीर की सारी हड्डियां चोटिल थी. ट्रेन के डिब्बे में धूल बहुत आती थी, तो उठकर नाक ढककर बैठ जाते थे. पुरवाई हवा चले तो हड्डियां बहुत दर्द करती थीं. हांफते और दर्द से कराहते मधु जी अपने सभी कार्यक्रम पूरे करते थे. 1974 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए किसी बड़े व्यक्ति ने उन्हें 50,000 रुपए दिए. उन्होंने मुझे बुलाया और उनमें से 2,000 रुपए उनके साथ दौर पर हमारे खर्च के लिए थमाए. फिर मुझसे 24 उम्मीदवारों की सूची बनवाई जो पार्टी के पुराने साधन विहीन कार्यकर्ता थे. उन्हें दो-दो हजार रुपए दिए गए. उनके लिए मधु जी की तरफ से 2,000 बहुत बड़ी रकम थी. आज के उम्मीदवार और नेताओं की ओर देखकर पुरानी बातें सोचकर व्यथा होती है. हमारा लोकजीवन कहां से कहां पहुंच गया. जब संसद सदस्यों की पेंशन शुरू हुई, तो उसका उन्होंने विरोध किया. जीवन भर कष्ट झेले, लेकिन सांसद के कार्यकाल के एवज में पेंशन स्वीकार नहीं की. वे राष्ट्रीय आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे, किन्तु इसके एवज में पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया. भारत सरकार ने कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के लिए स्वत: पेंशन देने की घोषणा कर दी. लेकिन मधु जी ने उसे भी विनम्रतापूर्वक वापस कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय कर्तव्य की पूर्ति के लिए पेंशन की क्या आवश्याकता है? उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं था. पुस्तकें लिखकर उनकी रॉयल्टी और अखबारों में छपे लेखों के मेहनताने से उन्होंने अपना निजी खर्च चलाया. वे विदेशी वस्तुओं के उपयोग के सर्वथा विरोधी थे. 1978 में हम और हमारे मित्र मुख्तार अनीस उनके दोनों चहेते, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो गए थे. अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगा हो गया था. उन्होंने बुलावा भेजा. हम दोनों के साथ ही अलीगढ़ जाना चाहते थे. सवेरे उनकी कोठी पंडारा रोड पहुंचे. उन्होंने कहा तुम लोगों की सरकारी गाड़ी में तो मैं बैठूंगा नहीं. मैंने अपने पीए से कहा, जनपथ जा कर टैक्सी लाओ. वह टैक्सी लेकर आ गया. मैंने कहा, मधु जी टैक्सी आ गई, आप चलिए. बोले, पर सरकारी दस्ता साथ नहीं होना चाहिए. हमलोगों ने अपने पीए, चपरासी हटा दिए. बहुत खुश होकर नीचे उतरे गाड़ी में बैठने के लिए. ज्योंही दरवाजा खोला, गुस्से में अपना बैग लिए वापस अपने कमरे में चले गए. हम दोनों बहुत हतप्रभ हुए. बहुत माथा-पच्ची के बाद बात समझ में आई कि टैक्सी तो विदेशी कार थी. मैंने तुरंत गाड़ी वापस कराई और एंबेसडर कार मंगाई. फिर ऊपर जाने की हिम्मत की. उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था. मेरे ऊपर जब कभी नाराज होते थे, तो अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए बेगम अख्तर के गाने का तवा लगाकर चरपाई पर लेट जाते थे. मैं अपनी गलती पर पछतावा करता था और वे तुरंत खुश हो जाते थे. ऐसी प्यार भरी अदा मुझे आजतक तकलीफ पहुंचाती है. किसी तरह उन्होंने दरवाजा खोला. मैंने गलती के लिए माफी मांगते हुए कहा, टैक्सी एम्बेसडर आ गई. किसी तरह गाड़ी में बैठे. गाजियाबाद पार करते ही ढाबे पर गाड़ी रोकी, हंसकर बोले, तुमलोगों को मेरे व्यवहार से कष्ट पहुंचा इसलिए तुमलोगों को कुछ खिलाता हूं. अपने कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ भी उनका मित्रवत व्यवहार था. उनके घर में देश के तमाम बड़े लोगों को मैंने चाय पिलाई, खाना खिलाया. सभी से मेरा परिचय उन्होंने अपने मित्र के रूप में कराया. मन, वचन और कर्म की यौगिक एकता उनमें थी.

वे मुझे बार-बार कहते थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? संसद में मैं उनके आदेश पर आया. सायंकाल रोजाना उनके घर पहुंचना मेरी दिनचर्या थी. छोटे से घर में कुछ भी अतिरिक्त नहीं था. कभी टीवी फ्रिज आदि पहुंचाने की कोशिश की, तो डांट लगाते थे. कोशिश तो हमेशा करते थे कि वे अपने हाथ से ही चाय बनाकर पिलावें. बिना किसी आडम्बर के उस छोटे कमरे के घर में उन्होंने अपने जीवन के 13 वर्ष बिताए. जब कभी देश तोड़ने का कोई प्रयास हो, तो वे उत्तेजित होने लगते थे. बाबरी-मस्जिद प्रकरण हो या मंडल-कमीशन की संस्तुतियों को लेकर उठा विवाद, उस छोटे से फ्लैट से सारी रात जागकर लंबा पत्र तैयार करते और उसे टाइप कराकर मैं उचित स्थान पर पहुंचाता था. बाबरी मस्जिद प्रकरण पर अलग से फॉर्मूला बनाकर आडवाणी जी, वीपी सिंह, मुलायम सिंह, सभी को समझाने की भरपूर कोशिश की. नरसिम्हा राव को तो काफी संदेश भेजे. मंडल-कमीशन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायधीशों को पत्र लिखे. उनके पत्रों का सभी लोग आदर करते थे और उनमें लिखी बहुत सी बातें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हिस्सा बनीं.

भारत में 1975 में जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई, उस दिन उनका रायपुर का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील स्टे के लिए लंबित थी. उनको अहसास था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर इंदिरा जी के मामले में सशर्त स्टे देंगे. मैंने उन्हें रायपुर के लिए हवाई अड्डा छोड़ा. उन्होंने पहले ही एक वक्तव्य लिखकर दे दिया था. उस वक्तव्य को लेकर मैं यूएनआई के कार्यालय में बैठा था. चार बजे तक टेलीप्रिंटर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और तभी मैंने मधु जी की प्रतिक्रिया दी, जो उस समय के नेताओं में सबसे पहली प्रतिक्रिया थी. वे समय की चाल को ठीक से समझकर आगे की बात का आकलन कर लेते थे और उसी हिसाब से कदम आगे करने के पक्षधर थे. उनकी रायपुर में ही गिरफ्तारी हो गई. रकाबगंज रोड की कोठी पर पुलिस का छापा पड़ा. मैं पीछे के दरवाजे से फरार हो गया. 10 दिन बाद मेरी भी गिरफ्तारी हुई. हम दोनों को 6 महीने बाद पता चला कि मधु जी नरसिंहगढ़ जेल में हैं और मैं बरेली केंद्रीय कारागार में हूं. वे मुझे बांके बिहारी के नाम से पत्र लिखते थे. उनकी हस्तलिपि से मैं मधु जी का पत्र समझता था

भारत में 1975 में जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई, उस दिन उनका रायपुर का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था. इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील स्टे के लिए लंबित थी. उनको अहसास था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर इंदिरा जी के मामले में सशर्त स्टे देंगे. मैंने उन्हें रायपुर के लिए हवाई अड्डा छोड़ा. उन्होंने पहले ही एक वक्तव्य लिखकर दे दिया था. उस वक्तव्य को लेकर मैं यूएनआई के कार्यालय में बैठा था. चार बजे तक टेलीप्रिंटर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और तभी मैंने मधु जी की प्रतिक्रिया दी, जो उस समय के नेताओं में सबसे पहली प्रतिक्रिया थी. वे समय की चाल को ठीक से समझकर आगे की बात का आकलन कर लेते थे और उसी हिसाब से कदम आगे करने के पक्षधर थे. उनकी रायपुर में ही गिरफ्तारी हो गई. रकाबगंज रोड की कोठी पर पुलिस का छापा पड़ा. मैं पीछे के दरवाजे से फरार हो गया. 10 दिन बाद मेरी भी गिरफ्तारी हुई. हम दोनों को 6 महीने बाद पता चला कि मधु जी नरसिंहगढ़ जेल में हैं और मैं बरेली केंद्रीय कारागार में हूं. वे मुझे बांके बिहारी के नाम से पत्र लिखते थे. उनकी हस्तलिपि से मैं मधु जी का पत्र समझता था. समय और परिस्थिति के हिसाब से वे संपूर्ण विपक्ष की एकता के पक्षधर थे. जेल से छूटने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसे बनाने में उनका पूरा योगदान था. किंतु मंत्री बनने का प्रधानमंत्री का आग्रह वे लगातार ठुकराते रहे. वे समझते थे कि ये प्रयोग लंबा नहीं चलेगा. वे राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दों को मजबूती से उठाते थे. उन मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी. वे निजी जीवन में भी धार्मिक नहीं थे. तर्क की कसौटी पर जिस बात को सच मानते थे उसी पर आचरण करते थे. लोकतंत्र, समतामूलक समाज, राष्ट्रीयता और सर्वधर्म सम्भाव उनके जीवन में कूट-कूट कर भरा था, जिसे ईमानदार साधक की तरह उन्होंने अपने अमूल्य जीवन की निधि के रूप में संजो कर रखा था.

मधु जी स्वाभवत: निर्बैर और निर्मोही थे. दल और विचार से दूर जाने वाले व्यक्ति का त्याग करने में उन्हें समय नहीं लगता था. प्रारंभ काल से अपने बहुत करीबी और अच्छे संबंध वालों का उन्होंने सैद्धांतिक प्रश्न उपस्थित होने पर विरोध किया. त्याग तो उनके व्यक्तित्व का श्रृंगार था. संवेदनशीलता उनके रोम-रोम में व्याप्त था. वे निजी जीवन की दुर्बलता से बहुत ऊपर थे. स्त्री सम्मान और उन्हें आगे लाने की वे सदैव प्रेरणा देते थे. उन्होंने आर्थिक प्रभाव व साधन के प्रभाव में केवल विद्वता और त्याग की बदौलत श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी. निजी गाड़ी तो कभी उन्हें मयस्सर नहीं हुई. बार-बार आग्रह करने पर एक ही उत्तर, गाड़ी रखना खर्चीला काम है. टैक्सी और थ्री-व्हीलर से काम चल जाए, तो निजी गाड़ी अनुपयोगी है. वे सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने पर बल देते थे. जीवन में कभी भी आदमी द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे पर नहीं बैठे. इसे अधभाई का काम कहते थे. 1972 की बात है, समाजवादी पार्टी में झगड़े थे. वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे. मैं उनकी सहायता के लिए साथ था. उन्हें देवरिया से आजमगढ़ ले जाना था. प्रात:काल तीन बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी देवरिया सदर-गोरखपुर से आती, जो मऊ होते हुए वाराणसी जाती थी. उग्रसेन जी उस दौर के, उस अंचल के प्रसिद्ध नेता थे. उन्होंने किसी को जीप देकर मधु जी को देवरिया लोक निर्माण विभाग के डाकबंगले से देवरिया स्टेशन छोड़ने का जिम्मा दिया था. रात के ढाई बजे नींद खुली, देखा कि संबंधित व्यक्ति नहीं आया था. मैंने कहा ट्रेन का समय तो हो गया. गाड़ी नहीं आई, क्या रिक्शा बुला लें? मधु जी नाराज होकर बोले, खुद ढोने भर का सामान लेकर चलना चाहिए. मैं अपना सामान लेकर पैदल चल देता हूं, कितनी दूरी है. मैंने कहा, दो किलोमीटर. एक होल्डाल, एक अटैची, आपका एक बड़ा बैग और मेरे सामान का झोला कैसे जाएगा? इतने में उन्होंने अपना सामान उठा लिया. मैंने जिद करके उनके हाथ से छीना, होल्डाल कंधे में लटकाया और चमड़े की अटैची को दूसरे हाथ में लिया. मेरा झोला, जिसमें काफी सामान था और अपना बैग दोनों हाथ में उन्होंने लटका लिया. साथ में तेजी से चले, ताकि कहीं ट्रेन छूट न जाए. एक किमी चलने पर एक पांव रिक्शा दिखा. मैंने आग्रह किया, इसे रोकता हूं, इस पर सामान रख देता हूं और पीछे से ढकेलते हुए हमलोग पैदल चलते हैं. उन्हें ये फॉर्मूला पसंद आया और काफी दूर तक रिक्शा को खुद भी ढकेलते आए. स्टेशन पहुंचने के साथ ही ट्रेन आ गई. हमारा एक साथी तीसरी श्रेणी का टिकट लेकर स्टेशन पर खड़ा था. किसी तरह मऊ स्टेशन उतर कर आजमगढ़ की ट्रेन से आजमगढ़ पहुंचे. विख्यात नेता होने का दर्प तो उन्हें दूर-दूर तक नहीं छू सका था. उन्होंने अपने निजी जीवन के आचरण से हमलोगों पर ऐसी छाप छोड़ी, जो विद्वता, ज्ञान, त्याग और राजनीति की ऊंचाई को छूने की सात्विक सीढ़ी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मधु लिमये: एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व

कुरबान अली

मधु लिमये एक पक्के राष्ट्रप्रेमी और सच्चे देशभक्त थे. मधु लिमये के प्रति मेरे मन में यह श्रद्धा उनकी भारतीय राष्ट्र की अवधारणा और उसे बचाए रखने के उनके अथक प्रयासों के वास्तविक अर्थों को लेकर है.

1993 में लिखे गए एक लेख में मधु लिमये ने लिखा कि सदियों से भारतीयों में मजबूत और स्थायी राज्य की स्थापना द्वारा राष्ट्रीय एकता के महान आदर्श को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की प्रवृत्ति का अभाव रहा है. राज्य या एकीकृत राजनीति समाज के विचार को कभी भली-भांति समझा ही नहीं गया. भारतीयों की सोच का दायरा परिवार, जाति, उपजाति, गांव या स्थानीयता से आगे बिरले ही बढ़ा और इसी कारण 2,500 वर्षों से ज्ञात इतिहास में, 500 वर्षों को छोड़कर, बाकी समय भारत हमेशा आपस में लड़ने-भिड़ने वाले बड़े, मध्यम और छोटे राज्यों में विभाजित रहा. मधु लिमये लिखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय एकता की चेतना पैदा की और विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही ढांचे को हटा कर जनता की इच्छा से चलने वाले राज्य से उसे प्रतिस्थापित किया. वे आगे लिखते हैं कि आधुनिक भारतीय राज्य अपने जन्म से ही अव्यवस्था और अराजक शक्तियों से घिरा रहा, देश विभाजन के समय की स्थिति और पांच सौ से अधिक देशी रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता के हटते ही प्रभुसत्ता संपन्न बनने के जो सपने देखने शुरू कर दिए थे, इससे भारत राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया था. लेकिन महात्मा गांधी की नैतिक शक्ति और देश भर में फैले कांग्रेस संगठन के जाल के कारण ही अराजकता की शक्तियों पर काबू पाया जा सका और एक प्रशासनिक तंत्रवाला लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा तैयार किया जा रहा है. उनका यही दर्द हमें उनकी राष्ट्रवादिता और देशप्रेम के प्रति उनके नजरिये को सोचने पर मजबूर कर देता है.

मधु लिमये ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से की थी, इसलिए उनकी सोच पर राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप थी. पुणे के साने गुरु जी के प्रभाव के कारण साम्प्रदायिक राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से वे शुरू से ही सहमत नहीं थे. इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे इसके खिलाफ जेहाद छेड़े रहे. अयोध्या में बाबरी-मस्जिद को गिराए जाने की घटना और उसके बाद बंबई में हुए बम विस्फोटों के बाद मधु लिमये ने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था 'राष्ट्रीयता के दुश्मन संकीर्ण व बिकाऊ हिंदू और धर्मांध मुसलमान.' इस लेख में उन्होंने लिखा कि संघ परिवार पांच एकताओं वाले हिंदू राष्ट्र के आदर्श का प्रचार करता है, जो मुख्यत: जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई हैं, पर वह कभी हिंदुओं को देश से प्रेम करने वाला जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पाया, वह केवल उनमें मुसलमान विरोधी भावनाओं को भड़काने में कामयाब रहा है. एमएस गोलवलकर की किताब 'वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड' को उद्धृत करते हुए मधु लिमये ने लिखा है कि देश के गैर-हिंदुओं के बारे में उनकी राय थी कि विदेशी बनकर रहना बंद करें, अन्यथा उन्हें इस देश में हिंदू जाति के पूर्णत: अधीन होकर रहना होगा. हम प्राचीन राष्ट्र हैं और हमें इस देश में रहने वाली विदेशी जातियों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि सभी प्राचीन राष्ट्र करते हैं.

इस लेख में मधु लिमये ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना, उसके बाद बंबई बम विस्फोट की कड़ियों को मिलाते हुए लिखा कि दाउद इब्राहिम ने अपराध जगत के अपने अंतरंग साथियों से कहा था कि इसका बदला लेने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और तभी देश के पश्चिमी समुद्र तट पर सात हजार किलोग्राम आरडीएक्स उतारा गया, जिसे बाद में बंबई बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया. मधु लिमये लिखते हैं कि जो लोग समुद्र के रास्ते ये विस्फोटक सामग्री लाए थे, वे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं, बल्कि भारतीय मुसलमान ही थे, पर उनके काम कितने अनुचित और बुरे थे. उन्हें प्रेरणा बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों से ही मिली थी और वे धर्मांध हो गए थे. पर मधु लिमये ने सवाल किया है कि उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने इस सामग्री को उतारने, जमा करने, कस्टम चौकियों से पार कराने और बंबई तक ले जाने में मदद की. वे लिखते हैं कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोग हिंदू हैं और विभिन्न जातियों के हैं. मधु लिमये ने सवाल किया है कि इन लोगों के लिए शुद्ध लालच और स्वार्थ-पूर्ति के अलावा क्या प्रेरणा थी? अपने 50 वर्ष से भी अधिक लंबे सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में मधु लिमये ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को मजबूती से पकड़े रखा और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय व्यक्त करते रहे.

धूलिया में कार्यकर्ताओं के साथ

वे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा साम्प्रदायिक मुस्लिम राजनीति की मुखालफत की. लेकिन वे भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दोषी मानते थे. उनका अडिग विश्वास था कि यदि 1937 में हुए प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौ. खलीकुज्जमा को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चुन लेती, तो पाकिस्तान की नींव और देश विभाजन के बीज नहीं पड़ते. अपनी तीन खंडों वाली पुस्तक, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू: ए हिस्टोरिकल पार्टनरशिप में मधु लिमये ने राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति और उसमें ब्रिटिश हुकूमत की चालबाजियों का विस्तृत विश्लेषण किया है और देश विभाजन के पूर्व की राजनीति की व्यापक समीक्षा की गयी है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बाईबल का काम करेगी.

अपने नेता और कॉमरेड डॉक्टर राममनोहर लोहिया की तरह मधु लिमये भी 1948 में समाजवादियों के कांग्रेस छोड़ने के पक्षधर नहीं थे. लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस छोड़ने का निश्चय कर लिया, तो वे भी डॉक्टर लोहिया के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा की और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सरकार की क्या नीति हो, इस पर संसद में और संसद के बाहर जनांदोलन कर तथा अखबारों में लेख लिखकर अपनी राय व्यक्त की. बहुत कम लोगों को मालूम है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, मधु लिमये को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हुए भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनसे सलाह मशविरा करती थीं और पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेझनेव अपनी भारत यात्रा के दौरान किसी गैर-सरकार व्यक्ति से अगर मिले तो ये श्रेय भी मधु लिमये को ही जाता है.

मेरी कई बार उनसे समाजवादियों के गैर कांग्रेसवाद की राजनीति और उसके चलते संघ परिवार और उसकी राजनीतिक शाखा, पहले भारतीय जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भागीदारी दिलाने पर बातचीत हुई. इसे वे निरंकुश कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हटाने की एक रणनीति बताते थे. पर संघ परिवार की खतरनाक राजनीति को उन्होंने कभी अनदेखा नहीं किया और बार-बार वे संघ परिवार की इस राजनीति और दोहरी सदस्यता के सवालों को उठाते रहे और इसी कारण कुछ लोग उन्हें जनता पार्टी के तोड़क के रूप में देखते हैं. जनता पार्टी शासन काल के दौरान अलीगढ़ और जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे.

लंदन यात्रा के दौरान वी. मार्टिन, माइकल मॉरिस और डी. कोलमेन के साथ बातचीत करते हुए

मेरी कई बार उनसे समाजवादियों के गैर कांग्रेसवाद की राजनीति और उसके चलते संघ परिवार और उसकी राजनीतिक शाखा, पहले भारतीय जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भागीदारी दिलाने पर बातचीत हुई. इसे वे निरंकुश कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हटाने की एक रणनीति बताते थे. पर संघ परिवार की खतरनाक राजनीति को उन्होंने कभी अनदेखा नहीं किया और बार-बार वे संघ परिवार की इस राजनीति और दोहरी सदस्यता के सवालों को उठाते रहे और इसी कारण कुछ लोग उन्हें जनता पार्टी के तोड़क के रूप में देखते हैं. जनता पार्टी शासन काल के दौरान अलीगढ़ और जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे. मधु लिमये ने सत्ताधारी पार्टी का सदस्य और महासचिव होने के बावजूद दंगों में शामिल अपने दल के सदस्यों की कड़ी निंदा की और जब उन्हें लगा कि संघ परिवार की राजनीति का मुकाबला वे जनता पार्टी में रहकर नहीं कर पायेंगे, तो फिर उन्होंने जनता पार्टी के टूटने को ऐतिहासिक आवश्यकता बताया और जनता पार्टी (सेक्युलर) का गठन किया. जिसकी नीति वही थी, जो पूर्व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की थी. लेकिन अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि जिन लोगों को मधु लिमये ने आगे बढ़ाया, बाद में वही लोग उनकी नीयत पर शुबहा करने लगे. इन सारी बातों से खिन्न होकर और अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए 1982 में मधु लिमये ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट के एक छोटे से कमरे में रह कर लिखने-पढ़ने का काम शुरू किया. अखबार और पत्रिकाओं में नियमित लेख लिखने के अलावा उन्होंने डेढ़ दर्जन से भी अधिक बड़ी किताबें लिखीं और प्राय: उनकी हर किताब में राष्ट्र से जूझने वाली समस्याओं और उसके निराकरण का विषय स्थायी होता था. 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पंजाब और असम जैसी विषम समस्याओं के साथ-साथ शाहबानो प्रकरण ने भी बड़ा तूल पकड़ा और इस एक प्रकरण ने पूरे देश की राजनीति को झकझोर दिया. मधु लिमये इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गए फैसले के आलोचक थे. उनका मानना था कि किसी मुसलमान महिला को गुजारा भत्ता देने का फैसला करते समय किसी न्यायाधीश को यह हक हासिल नहीं हो जाता कि वह पवित्र कुरान के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करे. पर इसके साथ ही वे राजीव गांधी सरकार द्वारा मुसलमान महिलाओं से संबंधित विधेयक पास कराए जाने के भी विरोधी थे. उनका मानना था कि देश में समान नागरिक कानून बनाए जाने की पहल होनी चाहिए. पर इस पहल को किसी धर्म या समुदाय पर थोपा नहीं जाना चाहिए. बल्कि माहौल बनाने का प्रयास होना चाहिए कि सभी धर्मों और समुदायों की ओर से समान नागरिक कानून बनाए जाने की मांग की जाए.

मधु लिमये संवैधानिक मामलों के मर्मज्ञ थे और उन्हें भारतीय संविधान का एनसाईक्लोपीडिया कहा जाता है. इसमें कोई संदेह भी नहीं है. मुझ जैसा अदना पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान जब कभी संवैधानिक मामलों में फंसता था, सीधे मधु जी को टेलीफोन करता था और उसकी हर समस्या का समाधान मधु लिमये से पांच मिनट टेलीफोन पर बात करने से ही हो जाता था. मधु लिमये पत्रकारों के लिए किस प्रकार ट्रेनिंग कॉलेज का काम करते थे और किस प्रकार उन्हें जानकारी देते थे, इसके लिए उदाहरण के तौर पर एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा. घटना मार्च-अप्रैल 1992 की है. उस समय मैं हिंदी संडे ऑब्जर्वर में काम करता था और राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले थे. इन चुनावों में राजनीतिक दल ऐसे लोगों को उन राज्यों से चुनवा कर भेज रहे थे, जहां के वे मूल निवासी नहीं थे. मुझे इस विषय पर रिपोर्ट लिखनी थी और यह उजागर करना था कि वामपंथी दलों को छोड़ कर तमाम बड़े राजनीतिक दल यह अनैतिक काम कैसे करने जा रहे हैं. मैं सीधा मधु जी के पास पहुंचा और इस विषय पर उनकी राय जाननी चाही. मैंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि 1978 में कांग्रेस पार्टी के प्रणव मुखर्जी के गुजरात से राज्य सभा में चुने जाने पर जनता पार्टी के लोगों ने कितना हंगामा किया था. इस पर मधु लिमये का जवाब था कि किसी व्यक्ति का दूसरे राज्य से राज्य सभा में जाना न केवल अनैतिक है, बल्कि गैर कानूनी भी है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर मतदाता बनने की एक प्रक्रिया होती है और यह हलफनामा दिया जाता है कि वह अब दूसरे राज्य का निवासी नहीं रहा. लेकिन आमतौर पर चोर दरवाजे से राज्य सभा में जाने वाले लोग, इस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं करते और किसी भी मुख्यमंत्री के मार्फत पता दे कर मतदाता बन जाते हैं और राज्य सभा में घुस जाते हैं.

मधु लिमये ने अगले दिन मुझे अपने साथ संसद की लाइब्रेरी चलने का हुक्म दिया. वे तिपहिया स्कूटर में बैठ कर खराब स्वास्थ्य के बावजूद संसद भवन पहुंचे और मुझे एक स्थान पर बैठा कर 1952 से 1992 तक राज्य सभा सदस्य रहे लोगों का जीवन परिचय दिखाने लगे और कहा कि पूरी सूची तैयार करो, इनमें से कौन-कौन अपने मूल राज्य से ना हो कर दूसरे राज्य से राज्य सभा का सदस्य बना. मुझे देख कर हैरत हुई कि मौजूदा राजनेताओं में कई ऐसे लोग हैं जो संविधान की मूल भावना को ठेंगा दिखाते हुए कई बार भिन्न-भिन्न राज्यों से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं. श्री लिमये ने बताया कि इस अपराध से भारत की कोई पार्टी मुक्त नहीं है.

मधु लिमये को अंतिम बार भाषण देते हुए मैंने जनवरी 1990 में देखा था, अवसर था दिसंबर 1989 के लोक सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के फैजाबाद लोकसभा और उसी के अंतर्गत आने वाली अयोध्या विधान सभा सीट पर भाकपा के मित्रसेन यादव और जनता दल के जयशंकर पांडेय का चुना जाना. हिन्दुस्तानी बिरादरी नामक एक संगठन की ओर से इन दोनों लोगों को इसलिए सम्मान किया गया था कि ये दोनों लोग उस स्थान पर साम्प्रदायिक शक्तियों को चुनावों में मात दे कर विजयी हुए थे, जिसे साम्प्रदायिक शक्तियां अपना सबसे बड़ा गढ़ मानती थीं. इस अवसर पर भाषण करते हुए मधु लिमये ने कहा था कि साम्प्रदायिक शक्तियों के इरादों को नेस्तनाबूद करके ही इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखा जा सकता है. उन्होंने अपने इसी भाषण में संघ परिवार से सवाल किया था कि वह अन्य राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाता है. क्या इसकी एक भी मिसाल उसके पास है? मधु लिमये के शब्दों में ही क्या संघ परिवार बता सकता है कि मुसलमानों का कहां तुष्टीकरण हुआ है? क्या वे सामाजिक रूप से ऊपर उठ गए हैं? क्या शैक्षणिक रूप से ऊपर उठ गए हैं या आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह झूठा ढिंढ़ोरा पीटना बन्द करना चाहिए. सच्चर कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश हो जाने के बाद जब आधिकारिक रूप से उस बात की पुष्टि हो गई है कि जो मधु लिमये कह रहे थे, वह सही था. ■

19 जून, 1986 के गोवा का राजभवन में वृक्षारोपण करते हुए साथ में हैं राज्यपाल डॉक्टर गोपाल सिंह

1967 में सोवियत संघ की यात्रा के दौरान एस.एम. जोशी के साथ

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मधु जी से मुझे असीम स्नेह मिला

मधु जी हमेशा इस विचार पर कायम रहे कि विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन नेताओं का अहम इतना बड़ा है कि वे लम्बे समय तक एक-दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे. उनके मुताबिक यह सोशलिस्ट आन्दोलन की सबसे बड़ी नाकामी है. बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं. बाद में समाजवादी साहित्य को इकट्ठा करने के लिए वे मदद चाहते थे. हम लोगों ने समाजवादी न्यास के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया. इसमें मधु जी, मस्तराम कपूर, गोपीचंद मनचंदा शामिल थे. न्यास का मकसद जितना मुमकिन हो सके, उतना समाजवादी साहित्य प्रकाशित करने की कोशिश करना था. ये सारी कोशिशें हम छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन लगातार करते रहे.

मधु लिमये एक कद्दावर समाजवादी नेता थे और राम मनोहर लोहिया के प्रबल समर्थक थे. सोशलिस्ट पार्टी भारत में कई बदलाव से गुज़री है, कभी वह कांग्रेस का हिस्सा थी तो कभी अलग रही. कभी सीएसपी (कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) थी तो कभी पीएसपी (प्रजा सोशलिस्ट पार्टी) तो कभी सोशलिस्ट पार्टी. यह पार्टी लगातार टूटती रही, हर टूट के बाद इसमें विलय होता रहा. आखिर में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, तो जो लोग भी इसके खिलाफ थे, उन्हें जेल जाना पड़ा. जब 1977 में वे जेल से बाहर आए तब जनता पार्टी का गठन हुआ. इसमें सभी समाजवादी गुटों का विलय हुआ, जिसमें आरएसएस की पार्टी जनसंघ भी शामिल थी. जनसंघ के नेता अपनी पहचान नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन जेपी (जयप्रकाश नारायण) ने शर्त रख दी कि वे तभी चुनाव प्रचार करेंगे, जब सभी पार्टियां एक नाम और एक पार्टी के तहत हो जाएंगी. लिहाज़ा सभी पार्टियों का विलय हो गया. जनता पार्टी सत्ता में आ गई. उसके बाद चंद्रशेखर को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया. मधु लिमये, नाना जी देशमुख आदि को पार्टी का महासचिव बनाया गया. यह वही समय था, जब मैं मधु लिमये के संपर्क में आया. उनके स्पष्ट विचारों और उनकी दूरंदेशी नीतियों ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा.

वर्ष 1988 में मैं राज्य सभा के लिए चुना गया. उसके बाद मैं मधु जी के निवास पर नियमित रूप से जाने लगा. वहां जाने का मकसद यह था कि सदन के पटल पर होने वाली विभिन्न बहसों को सही दिशा देने के लिए उनकी राय ली जा सके. उन्होंने मुझे असीम स्नेह दिया और मेरा मार्गदर्शन किया. वो इस बात से भी खुश थे कि मेरे जैसा एक व्यक्ति, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, भी संसद की बहसों में जोश, तत्परता और सक्रियता से हिस्सा ले सकता है. दरअसल अपने कुछ एक लेखों में उन्होंने मेरा ज़िक्र किया, जिसे लेकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं. उन्होंने कई लोगों से इसका ज़िक्र भी किया कि कमल को संसद के प्रति सुरुचि है. जैसा कि सब जानते हैं कि संसद एक संस्था है. वहां यदि भाषण पढ़ना है तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने कभी अपना भाषण पढ़ा नहीं. मैंने संसद में हमेशा अपना भाषण तात्कालिक (यानी बिना पढ़े) दिया है. मेरे विषय स्पष्ट होते थे. मैं श्री चंद्रशेखर का अनुसरण

वर्ष 1988 में मैं राज्य सभा के लिए चुना गया. उसके बाद मैं मधु जी के निवास पर नियमित रूप से जाने लगा. वहां जाने का मकसद यह था कि सदन के पटल पर होने वाली विभिन्न बहसों को सही दिशा देने के लिए उनकी राय ली जा सके. उन्होंने मुझे असीम स्नेह दिया और मेरा मार्गदर्शन किया. वो इस बात से भी खुश थे कि मेरे जैसा एक व्यक्ति, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, भी संसद की बहसों में जोश, तत्परता और सक्रियता से हिस्सा ले सकता है. दरअसल अपने कुछ एक लेखों में उन्होंने मेरा ज़िक्र किया, जिसे लेकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं. उन्होंने कई लोगों से इसका ज़िक्र भी किया कि कमल को संसद के प्रति सुरुचि है. जैसा कि सब जानते हैं कि संसद एक संस्था है. वहां यदि भाषण पढ़ना है तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मैंने कभी अपना भाषण पढ़ा नहीं. मैंने संसद में हमेशा अपना भाषण तात्कालिक (यानी बिना पढ़े) दिया है. मेरे विषय स्पष्ट होते थे.

करता था, जो एक पक्के समाजवादी थे और मेरे विचार अधिकतर जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर से मेल खाते थे.

मधु जी हमेशा इस विचार पर कायम रहे कि विपक्ष एकजुट हो सकता है, लेकिन नेताओं का अहम इतना बड़ा है कि वे लम्बे समय तक एक-दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे. उनके मुताबिक यह सोशलिस्ट आन्दोलन की सबसे बड़ी नाकामी है. बहरहाल उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं. बाद में समाजवादी साहित्य को इकट्ठा करने के लिए वे मदद चाहते थे. हम लोगों ने समाजवादी न्यास के नाम से एक ट्रस्ट स्थापित किया. इसमें मधु जी, मस्तराम कपूर, गोपीचंद मनचंदा शामिल थे. न्यास का मकसद जितना मुमकिन हो सके, उतना समाजवादी साहित्य प्रकाशित करने की कोशिश करना था. ये सारी कोशिशें हम छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन लगातार करते रहे. इसका दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा यह था कि इस सिलसिले में बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन इसी बीच जनवरी 1995 में मधु जी का निधन हो गया. यह कम से कम दो लोगों, मेरे और गोपी मनचंदा, के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी. हमने अभी-अभी समाजवादी साहित्य को इकट्ठा करने का काम शुरू किया था और मधु जी के दिशानिर्देशन में हमने बहुत ही अच्छा काम किया होता.

मधु जी के जीवन का दूसरा पहलू भी है. सभी पूर्व सांसदों को संसद के सेंट्रल हॉल और लाइब्रेरी आदि में जाने की अनुमति होती है. मैने खुद देखा है कि वे संसद की लाइब्रेरी में नियमित रूप से जाते थे. संसद की लाइब्रेरी भारत की सबसे अच्छी लाइब्रेरियों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्यवश सांसदों द्वारा अपने भाषणों के लिए संदर्भ तलाशने के अतिरिक्त इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. पहले यह लाइब्रेरी संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर थी, अब इसके लिए अलग इमारत बन गई है. यहां ऐसे साहित्य की भरमार है, जो कहीं नहीं मिल सकती हैं. जब तक लाइब्रेरी की नई इमारत नहीं बनी थी, उस समय मधु जी जब लाइब्रेरी में आते थे तो मुझे पढ़ते और किताबों से नोट्स लेते देखकर बहुत खुश होते थे. मुझे विश्वास है कि मधु जी यदि जीवित होते तो वे समाजवादी विचार को और उचित ढंग से प्रस्तुत करते. बदकिस्मती से मौजूदा राजनीति या मंडल के बाद की राजनीति के लाभार्थी, जिन्हें अपनी प्रसिद्धि के लिए वीपी सिंह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए था, उन्होंने उन्हें भुला दिया और सभी जाति, व्यक्ति और परिवार उन्मुख पार्टी बनकर रह गए. ये चीज़ें मधु जी को पसंद नहीं थी. मधु जी की सोच हमेशा दो हिस्सों में विभाजित थी. पहला सिद्धांत, नीति और सामाजिक बदलाव और दूसरा हिस्सा व्यावहारिक राजनीति का था. यदि आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो आप अपनी किसी भी नीति को लागू नहीं कर पाएंगे. यह उनके विचारों की केंद्र बिंदु थी. जब भी हमारी मुलाक़ात हुई उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए रचनात्मक सुझाव दिए. हम उन्हें सदा याद रखेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

दीवार पर लिखी इबारत जिसे दिल्ली पढ़ना नहीं चाहती

शुजात बुख़ारी

श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जो कुछ हुआ, उसने नवम्बर 1989 की मेरी याद ताज़ा कर दी. उस साल तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने घाटी में सशस्त्र आंदोलन के शुरू में बारामुला और अनंतनाग की दो सीटों के लिए चुनाव करवाने का फैसला किया था. तब भारत के खिलाफ जनमानस का गुस्सा भड़का नहीं था, क्योंकि बंदूकधारी कश्मीरी लड़कों ने अभी-अभी अपना सर उठाया था और एक चुनी हुई सरकार सत्ता में थी. लेकिन मिलिटेंट्स ने यह सुनिश्चित किया कि केवल 5 प्रतिशत लोग ही मतदान कर सकें. इस चुनाव में सैफुद्दीन सोज़ बारामुला से और प्यारे लाल हन्डू अनंतनाग से चुन कर संसद पहुंचे. श्रीनगर के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुहम्मद शफी भट को छोड़ कर बाक़ी के सभी उम्मीदवार डर से मैदान छोड़ कर चले गए. नतीजतन शफी निर्विरोध चुन लिए गए थे.

श्रीनगर से निकलने वाले एकमात्र अंग्रेजी दैनिक समाचार पोस्ट के ट्रेनी रिपोर्टर के तौर पर मैं यह देख कर भयभीत था कि लगभग हर एक मतदान केंद्र पर या तो गोली चली थी या बम. इन निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक हमले हुए थे. इन हमलों ने लोगों को घरों के अन्दर रहने पर मजबूर कर दिया था. अभी सम्पूर्ण विद्रोह के कोंपल नहीं फूटे थे, लेकिन मिलिटेंट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी. बड़ी सुरक्षा तैनाती के बावजूद वे पूर्ण बहिष्कार करवाने में सफल रहे.

9 अप्रैल को जब मैं दिन भर की गतिविधियों को देख रहा था, तो कई पुराने दृश्य दिमाग में चलने लगे. ये लगभग उसी तरह की स्थिति थी. दिन बीतने तक मतदान प्रतिशत 8 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका. इस बार किरदार दूसरे थे. हालांकि मिलिटेंट्स अब भी तस्वीर का हिस्सा हैं और उनका स्वरूप पिछले दो वर्षों के दौरान अधिक स्वदेशी हुआ है. लेकिन इस बार रविवार को हुए खून-खराबे के किरदार सिविलियन थे. यदि 1998 में नौजवान कश्मीरियों ने बंदूक उठाई थी, तो आज की नस्ल ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे हैं. चुनाव को नाकाम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले और पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों से मुकाबला किया और चुनाव कर्मियों व अधिकारियों को भगाया. दिलचस्प बात यह है कि 2002 के बाद होने वाले सभी चुनाव आम तौर पर शांतिपूर्ण और साफ़ सुथरे रहे हैं. जिसे चुनाव में हिस्सा नहीं लेना था, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था और उस पर कोई जोर-ज़बरदस्ती भी नहीं थी. छह साल के अन्तराल पर जब 1996 में चुनाव हुए, तो उसे सुरक्षा बलों की जोर-ज़बरदस्ती के लिए याद किया गया. बहरहाल, आने वाले चुनावों में जब लोगों ने वोट दिए और मतदान 65 प्रतिशत तक पहुंच गया, तो इसे भारत की जीत के रूप में प्रचारित किया गया और यह कहा गया कि लोगों ने भारतीय लोकतंत्र में अपना विश्वास दिखाया है.

लेकिन 9 अप्रैल के चुनाव में जो हुआ, वो ज़मीनी हकीकत पर कई सवाल खड़े करता है. कुछ जगहों पर हिंसा की वारदातों ने कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका होगा, लेकिन भारतीय व्यवस्था के खिलाफ लोगों के गुस्से को नकारा नहीं जा सकता. यह गुस्सा 2016 में भी ज़ाहिर हुआ था. इस स्तर पर चुनाव का बहिष्कार या विरोध एक बड़ा सियासी संदेश है. इसकी स्वीकारोक्ति अनंतनाग में 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर सरकार ने की. यदि मिलिटेंट्स ने 1989 के चुनाव को असफल बनाया था, तो इस बार आम लोग थे, जो इस प्रक्रिया पर अपनी मुहर नहीं लगाना चाहते हैं. अनंतनाग के उम्मीदवार, जो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के भाई हैं, ने चुनाव आयोग से चुनाव स्थगित करने

अब सवाल यह उठता है कि नई दिल्ली ने चुनाव स्थगित कर क्या ज़मीनी स्तर पर अपनी पराजय स्वीकार कर ली है? ज़ाहिर तौर पर यह फैसला उन लोगों को हौसला देगा, जो सरकार के आदेशों को चुनौती दे रहे हैं. संयुक्त हुर्रियत कांफ्रेंस जो इस नए विरोध प्रदर्शन को संचालित कर रही है, (भले ही उसका इस विरोध प्रदर्शन पर पूरा नियंत्रण नहीं हो) ने इसे अपनी मौलिक जीत करार दिया है. दिल्ली का इस विरोध प्रदर्शन के सामने झुक जाना उसके पक्ष को कमज़ोर कर देगा. दिल्ली अब तक अलग रुख अपनाए हुए थी और दुनिया को बता रही थी कि कश्मीर में लोकतंत्र फल-फूल रहा है. 9 अप्रैल के उपचुनाव के बाद अगले चुनाव को स्थगित करने का मतलब दिल्ली को समझाना पड़ेगा. यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के राज्य प्रमुख जी.ए. मीर ने भी यह स्वीकार किया है कि राज्य की मुख्य धारा की पार्टियों ने अपनी ज़मीन खो दी है.

का आग्रह किया, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया. सत्ताधारी दल के उम्मीदवार की इस अपील ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया.

यदि मतदान अधिक हुआ होता, तो नई दिल्ली उसे अपने शासन के अनुमोदन के तौर पर देखती, लेकिन मतदान के इतने कम प्रतिशत पर भला वह क्या कहेगी? कम मतदान को उस व्यवस्था के खिलाफ फैसला माना जाना चाहिए. यह दलील कि पाकिस्तान और मिलिटेंट्स ने प्रतिकूल वातावरण बनाया है, पूरी तरह से सही नहीं है. हम कई महीनों से देखते आए हैं कि स्थानीय आबादी मिलिटेंट्स का बचाव करने और उन्हें भाग जाने में मदद करने के लिए अपने घरों से निकल रही है. जिन लोगों ने उग्र मिलिटेंसी का दौर देखा है, वे आश्चर्य करते हैं कि लोग कैसे एनकाउंटर के स्थान की ओर जा रहे हैं, जबकि 90 के शुरुआत में लोग एनकाउंटर स्थल से दूर भागते थे. चुनावी प्रक्रिया की नाकामी के साथ यह सिद्धांत भी नाकाम हो गया कि लोग केवल शासन व्यवस्था के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं. मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां (जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस शामिल हैं) पहले की तरह चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाईं. यह ज़मीनी हकीकत की तरफ साफ़ इशारा है. एक लोकसभा की सीट के लिए 8 लोगों का मारा जाना एक बहुत बड़ी कीमत है. जीतने वाले के लिए यहां एक नैतिक असमंजस है, जिसकी वजह केवल कम मतदान ही नहीं है.

आज़ादी के लिए बढ़ते हुए समर्थन के अलावा यह सरकार की घोर नाकामी को भी दर्शाता है. प्रशासन को कश्मीर के हालात की जानकारी एक लम्बे समय से थी, लेकिन उन हालात से गलत तरीके से निपटना प्रशासन की बानगी बन गई. इसमें जवाबदेही की भी कमी थी. प्रदर्शनकारियों को भगाने के बजाय उन्हें गोली मारना बुलेट का पहला विकल्प बन गया. जिस आज़ादी के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने 2008 के बाद कश्मीर में हालात का मुकाबला किया है, उसने उन्हें अपरिहार्य बना दिया और राजनैतिक नेतृत्व ने हमेशा उनका बचाव किया. बुलेट के इस इस्तेमाल ने लोगों के गुस्से व विरोध को और भड़का दिया और युवाओं को मिलिटेंसी अपनाने के लिए प्रेरित किया.

अब सवाल यह उठता है कि नई दिल्ली ने चुनाव स्थगित कर क्या ज़मीनी स्तर पर अपनी पराजय स्वीकार कर ली है? ज़ाहिर तौर पर यह फैसला उन लोगों को हौसला देगा, जो सरकार के आदेशों को चुनौती दे रहे हैं. संयुक्त हुर्रियत कांफ्रेंस जो इस नए विरोध प्रदर्शन को संचालित कर रही है, (भले ही उसका इस विरोध प्रदर्शन पर पूरा नियंत्रण नहीं हो) ने इसे अपनी मौलिक जीत करार दिया है. दिल्ली का इस विरोध प्रदर्शन के सामने झुक जाना उसके पक्ष को कमज़ोर कर देगा. दिल्ली अब तक अलग रुख अपनाए हुए थी और दुनिया को बता रही थी कि कश्मीर में लोकतंत्र फल-फूल रहा है. 9 अप्रैल के उपचुनाव के बाद अगले चुनाव को स्थगित करने का मतलब दिल्ली को समझाना पड़ेगा. यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस के राज्य प्रमुख जी.ए. मीर ने भी यह स्वीकार किया है कि राज्य की मुख्य धारा की पार्टियों ने अपनी ज़मीन खो दी है. लिहाज़ा दीवार पर लिखी इबारत साफ़ है.

कश्मीर कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ नहीं रहा. वर्ष 2003 से 2007 तक की अवधि इस बात का प्रमाण है कि यहां लोग उस प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं, जिसका लक्ष्य मसले का हल तलाश करना है. बहरहाल, पिछले आठ साल के घटनाक्रम ने यह बताया है कि नई दिल्ली कश्मीर में केवल बन्दूक की गोलियों के सहारे अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहती है. पिछले दो सालों में खतरों और प्रेरकों (प्रोवोकेशंस) ने स्थिति को और जटिल कर दिया है. यह संदेश कि जम्मू और कश्मीर एक कानून और व्यवस्था का मुद्दा है, वह जमीनी स्तर पर कबूल नहीं किया गया. कश्मीरी नौजवान आज यह कहने में शर्म महसूस नहीं करते हैं कि मैं भारतीय नहीं हूं. वे पत्थर से अर्द्धसैनिक बलों का मुकाबला करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं कि मुझे मार दें. अब ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है? दरअसल, राजनीतिक प्रक्रिया की अनुपस्थिति ने दिल्ली को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है. लेकिन अगर राजनीतिक अफवाहों में कोई सच्चाई है, तो दिल्ली मसले के राजनीतिक समाधान के संदर्भ में नहीं सोचती, बल्कि वो मानती है कि यदि हिंसा होती भी है, तो उसमें केवल कश्मीरी ही अपनी जान खोते हैं. चुनाव बहिष्कार और हिंसा, जिसने दिल्ली को मतदान स्थगित करने के लिए मजबूर किया, एक बड़ा राजनीतिक संदेश है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

मधु लिमये सादगी और वैचारिक राजनीति का पैमाना थे

19 साल की उम्र में खुदीराम बोस फांसी के फंदे पर झूल गए थे. 14 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने कोड़े मारे थे और शायद 14 साल में ही भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख फूंका था.

15 साल की उम्र में पुणे में 1 मई 1937 को एक बालक ने मजदूर आंदोलन में हिस्सा लिया. उस बालक का नाम मधु लिमये था. मधु लिमये बाद में भारत में समाजवादी आंदोलन के मुख्य स्तम्भ बने. डॉ. राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों के सान्निध्य में विशिष्ट पहचान बनाने वाले मधु लिमये भारत में समाजवादी राजनीति के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति माने जा सकते हैं. मधु लिमये की पीढ़ी समाप्त होने के बाद, खासकर मधु लिमये जी के देहावसान के बाद, विचार को लेकर राजनीति का आग्रह रखने वाले लोग अब नहीं के बराबर रहे. मधु लिमये सादगी और वैचारिक राजनीति का पैमाना बन गए हैं. उनके जीवन की सादगी अब कहीं दिखाई नहीं देती. वे खुद चाय बनाते थे. उनके घर में जब भी उनका कोई साथी या अतिथि आता था, तो वे स्वयं चाय बनाकर उसे पिलाते थे. उनके जीवन में जो सादगी थी, उससे बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली, जिनमें से कुछ हमारे बीच हैं. मधु लिमये जी के ऊपर लोग विचार-विमर्श करें, उनसे ताकत लें और सरकार व समाज पर दबाव बनाने का काम करें. मधु लिमये जी के जीवन से जुड़े अंतरंग संस्मरण सुनाने वाले लोग भी अब समाप्त हो रहे हैं. मधु जी ने जीवन में बहुत कुछ किया. याद करें, तो उन्होंने 5 जुलाई 1978 को संसद में इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा, जिसे विशेषाधिकार समिति ने सही माना और श्रीमती गांधी को लोकसभा से बर्खास्त कर दिया गया और इंदिरा गांधी को एक सप्ताह के लिए जेल भी जाना पड़ा. इससे पहले जब संसद का समय बढ़ाने की कोशिश की गई, तो मधु लिमये ने अपने नौजवान साथी शरद यादव से कहा कि वे लोकसभा से इस्तीफा दे दें.

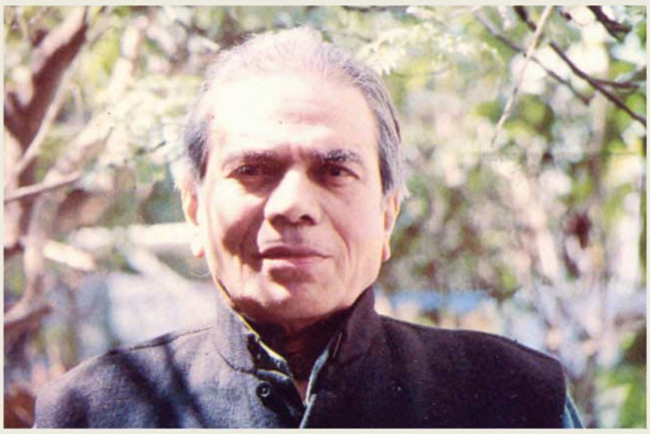

शरद यादव जबलपुर से जनता उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत कर लोकसभा में आए थे. उन्हें संसद में आए एक साल ही हुआ था. शरद यादव ने मधु लिमये की सलाह को माना और उनके साथ ही लोकसभा से इस्तीफा दे दिया.

मधु जी ने दोहरी सदस्यता के सवाल को प्रमुखता से उठाया और ये इतना आगे बढ़ा कि जनता पार्टी का विभाजन होने के बाद सरकार गिर गई. मधु लिमये जी ने गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था. इस आंदोलन में उनकी वैचारिक दृढ़ता के कारण भारत सरकार के ऊपर दबाव बना और गोवा को मुक्त कराया गया. उस आंदोलन में भाग लेने के कारण मधु लिमये जी को 12 साल जेल की सजा दी गई. आज खासकर जो राजनीति में आते हैं, उन्हें मधु जी के नाम में दिलचस्पी नहीं है.

मधु लिमये जी व्यावहारिक व्यक्ति नहीं, सैद्धांतिक व्यक्ति थे. मधु जी ने सत्ता के साथ अपना नाम जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की. उन्होंने अपना सारा जीवन वंचितों के जीवन में खुशियां लाने के लिए लगा दिया. उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुख-सुविधा और धन-दौलत के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब वे नहीं रहेंगे, तो उनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवन यापन करेंगे. क्योंकि उन्होंने सारे समाज को अपना परिवार मान लिया था. इसलिए आज उन्हें याद करने वाले ऐसे लोग ज्यादा हैं, जो उनके वैचारिक परिवार का हिस्सा हैं.

“मधु लिमये जी व्यावहारिक व्यक्ति नहीं, सैद्धांतिक व्यक्ति थे. मधु जी ने सत्ता के साथ अपना नाम जोड़ने की कभी कोशिश नहीं की. उन्होंने अपना सारा जीवन वंचितों के जीवन में खुशियां लाने के लिए लगा दिया. उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुख-सुविधा और धन-दौलत के बारे में नहीं सोचा. उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब वे नहीं रहेंगे, तो उनके परिवार के लोग किस प्रकार जीवन यापन करेंगे. क्योंकि उन्होंने सारे समाज को अपना परिवार मान लिया था. इसलिए आज उन्हें याद करने वाले ऐसे लोग ज्यादा हैं, जो उनके वैचारिक परिवार का हिस्सा हैं.”

आज से 20-30 साल बाद जब कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति के इन संघर्षशील नेताओं के बारे में पढ़ेगा, तो उसके मन में अवश्य ये सवाल उठेगा कि क्या मधु लिमये जी जैसे लोग सचमुच पैदा हुए थे. 20 साल की बात छोड़ दें, आज जब पलटकर देखते हैं, तो विश्वास ही नहीं होता कि मधु लिमये जी जैसे लोग हमारे इसी समाज में थे, जिस समाज में कार, धन-दौलत, मकान और अथाह मुद्रा एक आदर्श राजनेता की पहचान बन गए हैं. मधु लिमये जी जैसे लोग आज के लाखों लोगों के व्यक्तित्व पर भारी रहेंगे, क्योंकि आदर्श मधु लिमये जी को माना जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं. ■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

राम मंदिर के लिए राह तैयार करती संस्थाएं

परंजय गुहा ठाकुरता

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय देने के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देना अनुचित नतीजे के तौर पर सामने आ सकता है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 30 सितंबर, 2010 को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि विवाद में जो निर्णय दिया था, उससे यही लगा कि हिंदू कट्टरपंथी जो बात कहते आए हैं, वह सही है. इन्हीं विश्वासों के आधार पर इन लोगों ने योजना के तहत 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस कर दिया. यह बात लिब्राहन आयोग कहती है. ऐसी ही धारणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अन्य संगठनों की रही है. इनके नेताओं ने उस वक्त भीड़ को संबोधित किया और इस बात का आह्वान किया कि वे मस्जिद तोड़ दें. ऐसे में आम लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि सर्वोच्च अदालत इस विवाद में कोई अंतिम निर्णय देगी. लेकिन निर्णय देने के बजाय भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने विवाद से संबंधित सभी पक्षों को आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की सलाह दी और खुद मध्यस्थता करने का प्रस्ताव दिया. उनके बारे में यह खबर आई कि उन्होंने कहा, थोड़ा दीजिए, थोड़ा लीजिए, इसे सुलझाने की एक कोशिश कीजिए. अगर सभी पक्ष वार्ता के लिए चुने जाने वाले मध्यस्थों के साथ मुझे बैठाना चाहेंगे, तो मैं इसके लिए तैयार हूं. उनके मुताबिक यह मामला भावनाओं और धर्म से जुड़ा है.

उन्होंने कहा कि अगर आप इसका समाधान नहीं कर पाएंगे, तो कोर्ट यह काम करेगी. लेकिन क्या मौजूदा परिस्थितियों में ऐसी वार्ता बराबरी के स्तर पर हो पाएगी. खास तौर पर तब, जब केंद्र और उत्तर प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकारें हों. बहुत लोग यह मान रहे थे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश तथ्यों पर आधारित कोई फैसला देंगे. क्या वह मान्यता सही है कि मस्जिद की गुंबद के नीचे वाली जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था? अगर यह सही है, तो भी उस जमीन का मालिकाना हक उन्हें कैसे मिल जाएगा, जिस पर 1528 में मस्जिद बनी थी? क्या मस्जिद बनाने के लिए किसी

मंदिर को ढहाया गया था?

यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब राज्यसभा में बहुमत मिले और वे विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए कानून पारित करवा लें. भाजपा के घोषणापत्र में ऐसी बात कही गई थी. लेकिन उसके पहले उन्हें न्यायपालिका को इस मामले से बाहर करना होगा. क्या इससे इस मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का अचानक शामिल हो जाना स्पष्ट हो रहा है. याद रहे कि स्वामी इस मामले में कभी शामिल नहीं थे. 22-23 दिसंबर, 1949 की रात को 50 लोगों ने मस्जिद में घुसकर तीन मूर्तियां स्थापित कर दीं. तब से लेकर 30 सितंबर, 2010 तक, जब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका विवादित जगह पर रामलला की दावेदारी के पक्ष में ही दिखती रही है. विधायिका तो इसके लिए 1993 में एक अधिग्रहण कानून भी लाई थी. उच्च न्यायालय ने रामलला की दावेदारी को कानूनी मान्यता दे दी. अब उच्चतम न्यायालय तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय देने के बजाय दो असमान पक्षों को आपसी बातचीत से मामला सुलझाने का सलाह दे रहा है.

संभव है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बन जाए. लेकिन यह भारत की धर्मनिरपेक्षता की कीमत पर होगा. राम मंदिर बनाने की कीमत कई स्तर पर चुकानी पड़ेगी. लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठेंगे. लोकतंत्र इसका शिकार बनेगा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धर्मनिरपेक्षता एक अनिवार्य शर्त है. ■

यह बिल्कुल साफ है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब राज्यसभा में बहुमत मिले और वे विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए कानून पारित करवा लें. भाजपा के घोषणापत्र में ऐसी बात कही गई थी. लेकिन उसके पहले उन्हें न्यायपालिका को इस मामले से बाहर करना होगा. क्या इससे इस मामले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का अचानक शामिल हो जाना स्पष्ट हो रहा है. याद रहे कि स्वामी इस मामले में कभी शामिल नहीं थे. 22-23 दिसंबर, 1949 की रात को 50 लोगों ने मस्जिद में घुसकर तीन मूर्तियां स्थापित कर दीं. तब से लेकर 30 सितंबर, 2010 तक, जब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तब तक न्यायपालिका और कार्यपालिका विवादित जगह पर रामलला की दावेदारी के पक्ष में ही दिखती रही है. विधायिका तो इसके लिए 1993 में एक अधिग्रहण कानून भी लाई थी. उच्च न्यायालय ने रामलला की दावेदारी को कानूनी मान्यता दे दी. अब उच्चतम न्यायालय तथ्यों और सबूतों के आधार पर निर्णय देने के बजाय दो असमान पक्षों को आपसी बातचीत से मामला सुलझाने का सलाह दे रहा है.

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश की चुप्पी में छिपे हैं कई राज

कानून के जानकार मानते हैं कि रेलवे के होटलों के बदले जमीन प्राप्त करने के आरोप को भी किसी जांच से सिद्ध नहीं किया जा सकता है. ऐसा इसलिए कि होटलों के आवंटन के लिए जो आईआरसीटीसी जिम्मेदार है, उसमें औपचारिक या दस्तावेजी रूप से रेल मंत्री के रूप में लालू की कोई भूमिका साबित नहीं हो सकती. रही बात कोचर द्वारा प्रेम गुप्ता को जमीन हस्तांतरण की बात, तो वह होटल आवंटन से लगभग दो साल (22 महीने) पहले की बात है. लिहाजा जांच होने पर भी इसे साबित करना आसान नहीं है. शायद यह बात सुशील मोदी को भी बखूबी पता है, इसलिए वे आरोप तो लगाते हैं और जांच कराने की मांग भी करते हैं लेकिन जांच करवाने की दिशा में पहल करते नहीं दिखते. बल्कि अपने हर आरोपों के बचु गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश करते हैं.

इर्शादुल हक

पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की कार्यशैली के संबंध में अक्सर दो बिंदुओं पर चर्चा होती थी. पहला-कुछ समस्या का समाधान यह है कि उसके समाधान पर हाथ ही ना डालो और दूसरा कई सवालों का जवाब यह है कि उसके जवाब ही न दो. लोकतांत्रिक राजनीति में साफगोई से अपनी बात (राय) रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण खूबी मानी जाती है. लेकिन राजनीति के महारथियों के आचरण पर गौर करें तो लगता है कि लोकतंत्र में बातें रखना जितना महत्वपूर्ण है, कभी-कभी चुप्पी साध लेना भी उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है. खास तौर पर तब, जब कोई राजनेता सत्ता के शीर्ष पर बैठा हो तो चुप्पी साध लेने का अपना ही महत्व है. पीवी नरसिंह राव की कार्यशैली और राजनीति में चुप्पी साध लेने की रणनीति का जिक्र यहां इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर वर्णित सभी खूबियां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हैं. नीतीश कुमार देश के उन चंद कैलकुलेटिव व संयमित नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिनके बयानों पर अमूमन विवाद नहीं होता. इतना ही नहीं, जब उन्हें घेरने की कोशिश की जाती है तो वे या तो चुप्पी साध लेते हैं या फिर माकूल समय का इंतजार करते हैं. अगर माकूल जवाब देने की पोजिशन में वे नहीं होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि विमर्श के विषय को ही बदल दिया जाए. कई बार स्थितियां उनके पक्ष में होती हैं और वे या तो माकूल समय पर जवाब दे देते हैं या फिर विमर्श के विषय को बदल देने में सफल हो जाते हैं. लेकिन हर बार ऐसा हो, यह संभव नहीं होता है. ऐसे में, जब राज्य में भाजपा नेता सुशील मोदी लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर तूफान मचाने की कोशिश कर रहे हों तो स्वाभाविक तौर पर नीतीश इन्हीं रणनीतियों पर काम करते दिख रहे हैं. यानी या तो वे चुप्पी की रणनीति अपनाते हुए माकूल समय का इंतजार कर रहे हैं या विमर्श के विषय को बदलने की कोशिश में जुटे हैं. लेकिन इस बार, अभी तक ना तो वह विमर्श के विषय को बदल पाए हैं और न ही अभी तक उनके लिए जवाब देने का माकूल समय आया है. दरअसल भाजपा विधान मंडल दल के नेता सुशील कुमार अपने साप्ताहिक जनता का दरबार कार्यक्रम के बाद आयोजित होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू परिवार पर जमीन घोटाला, मिट्टी घोटाला या कम्पनी घोटाले का आरोप किस्तवार लगा रहे हैं. मोदी यह काम पिछले चार सप्ताह से कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कई बार वे आरोपों की गठरी साप्ताहिक रूप से खोलने के बजाय बीच-बीच में भी हल्ला बोल दे रहे हैं. हर आक्रमण के बाद वे नीतीश से जानना चाहते हैं कि घोटालों के आरोपी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को वे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें. मोदी के इस ताबड़तोड़ आक्रमण और दोनों मंत्रियों को

सुशील मोदी के लालू परिवार पर आरोपों और उन आरोपों के तात्कालिक प्रभावों पर बात करने के बाद, हम फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इस प्रकरण पर चुप्पी साधने के मुद्दे पर आते हैं. राजनीति विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी इस बात को बखूबी जानता है कि राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति या सत्ता में बने रहना है. चूंकि नीतीश कुमार बिहार के सत्ताशीर्ष पर हैं, ऐसे में वे सुशील मोदी द्वारा तेज और तेजस्वी यादव को काबीना से निकालने की मांग का कोई जवाब क्यों देंगे? नीतीश अपने बयानों और अपनी छवि के प्रति काफी सजग नेता माने जाते हैं. वह सुशील मोदी के आरोपों को, लालू प्रसाद की तरह झुठला देने का कोई जोखिम नहीं उठा सकते.

काबीना से हटाने के मुद्दों पर नीतीश कुमार लगातार चुप हैं. न सिर्फ चुप हैं, बल्कि उनके पोज से ऐसा लगता है कि उन्हें मोदी के आरोपों की कोई खबर ही नहीं है. नीतीश मंत्रिमंडल में सात वर्षों तक उपमुख्यमंत्री रह चुके सुशील मोदी, नीतीश की कार्यशैली को बखूबी जानते हैं. लिहाजा वे भी अपने आरोपों की पोटली एक ही बार में उड़ेल देने के बजाय किश्तवार उड़ेल रहे हैं. मोदी की रणनीति यह है कि नीतीश भले चुप रहें तो रहें, पर हमला जारी रखो और समय खींचते रहो. उधर नीतीश कुमार मोदी के हर किश्तवार हमले का जवाब देने के बजाय उतने ही प्रभाव के साथ नए विषयों पर विमर्श को शिफ्ट करने में लगे हैं. मिसाल के तौर पर- मोदी

अगर लालू परिवार की सम्पत्ति की जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री से कर रहे हैं तो वे शराबबंदी से आगे नशा मुक्ति के अभियान पर विमर्श को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं. इसी तरह मोदी अगर तेज व तेजस्वी को काबीना से हटाने की मांग मुख्यमंत्री से करते हैं तो मुख्यमंत्री, उतनी ही शिद्दत से दहेज की कुप्रथा को मिटाने का ऐलान कर विमर्श के विषय को बदलने की कोशिश करते हैं. अगर पत्रकारों की टोली, मोदी के आरोपों पर कुछ प्रतिक्रिया मांगती भी है तो नीतीश का जवाब होता है- हर विषय पर बोल कर गला खराब करने की क्या जरूरत है?

चूंकि मोदी द्वारा, लालू परिवार पर आरोपों से जुड़ी कहानी पर हम पिछले सप्ताह गहराई से चर्चा कर चुके हैं. इसलिए उस चर्चा पर बात केंद्रित करने के बजाय हम इन आरोपों से जुड़े कुछ दूसरे मुद्दों पर बात करते हैं. मोदी ने अब तक लालू परिवार पर मिट्टी खरीद घोटाला, मॉल निर्माण घोटाला, बेनामी जमीन खरीद घोटाला और निजी कम्पनी इंफोसिस्टम्स की मिल्कियत से संबंधी घोटालों के आरोप लालू प्रसाद के परिवार पर लगाए हैं. आरोपों की इन कड़ियों में कई बार सुशील मोदी ने बड़बोलेपन का भी सहारा लिया है. मिसाल के तौर पर मिट्टी खरीद घोटाला को लें. मोदी ने 90 लाख रुपए की मिट्टी, निर्माणाधीन मॉल की जमीन से निकाल कर चिड़ियाखाना को बेचने का आरोप लगाया था. लेकिन लालू ने साफ कहा था कि एक रुपए की भी मिट्टी चिड़िया खाने को नहीं दी गई. लालू के इस जवाब के बाद मोदी ने चुप्पी साध ली और अपने दूसरे आरोप की तरफ बढ़ गए. मोदी ने जिन दूसरे आरोपों को हवा दी, उनमें से कुछ को देखने से लगता है कि तकनीकी और कानूनी तौर पर, चाहे मोदी आकाश-पाताल एक कर लें, वे उन आरोपों को सिद्ध नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर लालू परिवार के लिए निर्माणाधीन मॉल की 94 कट्ठा जमीन की मिलकियत को लें. मोदी ने आरोप लगाया था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने कोचर बंधुओं को रेलवे के दो होटल दिए थे. बदले में कोचर ने 94 कट्ठा जमीन राजद नेता प्रेम गुप्ता की कंपनी को दी थी, बाद में उस कम्पनी के सारे शेयर राबड़ी देवी और उनके पुत्रों को ट्रांसफर कर दिए गए. मोदी के इस आरोप का जवाब लालू ने देते हुए कहा था कि रेलवे की स्वायत्त संस्था आईआरसीटीसी ने खुली निविदा के आधार पर कोचर बंधुओं को होटल और यात्री निवास लीज पर आवंटित किया था, जिसमें बतौर रेल मंत्री उनकी कोई भूमिका नहीं थी. और यह भी कि कोचर बंधुओं ने प्रेम गुप्ता की कंपनी को, होटल आवंटन के 22 महीने पहले बेची थी. ऐसे में लालू ने यह भी सवाल दागा था कि क्या कोचर बंधुओं को सपना आया था कि भविष्य में होटलों का आवंटन होगा, इसलिए प्रेम गुप्ता को जमीन बेच दो? इतना ही नहीं, लालू ने यह भी दावा किया था कि केंद्र में मोदी की सरकार है, रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु से जांच करवाने को कह दें. इससे पहले मोदी ने भी कहा था कि वह रेल मंत्री से इस मामले की जांच करने को कहेंगे. लेकिन मोदी ने इस जांच की लिखित गुजारिश रेल मंत्रालय से की या नहीं, इसकी जानकारी उन्होंने अब तक किसी को नहीं दी और अपने दूसरे आरोपों के मुहिम पर निकल पड़े. कानून के जानकार मानते हैं कि रेलवे के होटलों के बदले जमीन प्राप्त करने के आरोप को भी किसी जांच से सिद्ध नहीं किया जा सकता है. ऐसा इसलिए कि होटलों के आवंटन के लिए जो आईआरसीटीसी जिम्मेदार है, उसमें औपचारिक या दस्तावेजी रूप से रेल मंत्री के रूप में लालू की कोई भूमिका साबित नहीं हो सकती. रही बात कोचर द्वारा प्रेम गुप्ता को जमीन हस्तांतरण की बात, तो वह होटल आवंटन से लगभग दो साल (22 महीने) पहले की बात है. लिहाजा जांच होने पर भी इसे साबित करना आसान नहीं है. शायद यह बात सुशील मोदी को भी बखूबी पता है, इसलिए वे आरोप तो लगाते हैं और जांच कराने की मांग भी करते हैं लेकिन जांच करवाने की दिशा में पहल करते नहीं दिखते. बल्कि अपने हर आरोपों के बचु गेंद नीतीश कुमार के पाले में डालने की कोशिश करते हैं.

अब सवाल यह है कि लालू परिवार पर सुशील मोदी के इन आरोपों का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा है? गौर से देखें तो इन आरोपों के दो, मगर विपरीत प्रभाव दिखते हैं. पहला- लालू प्रसाद के दोनों मंत्री पुत्रों तेजस्वी और तेज प्रताप की छवि को सवालों के घेरे में खड़ा कर सुशील मोदी ने तेज व तेजस्वी विरोधी भावनाओं को मजबूत किया है. समाज का एक वर्ग जो पारंपरिक रूप से लालू या लालू परिवार का विरोधी रहा है, उसे लालू परिवार पर हमला बोलने का नया हथियार मोदी ने थमा दिया है. अगर जांच हो और तेज व तेजस्वी पाक-साफ निकल भी जाएं (जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं) तब तक उनके विरोधियों के लिए यह हथियार हमले के लिए बना रहेगा. गोया इन आरोपों की झड़ी लगा कर मोदी ने जनमानस के एक हिस्से को लालू परिवार के विरुद्ध तैयार कर दिया है. यह तो हुआ मोदी के आरोपों के प्रभाव का पहला पक्ष. उनके आरोपों के प्रभाव का दूसरा पक्ष खुद सुशील मोदी की छवि के लिए भी नुकसानदेह है. हमने ऊपर दो आरोपों का उल्लेख किया है, जिसमें बताया गया है कि एक आरोप पर लालू के जवाब के बाद मोदी ने चुप्पी साध ली और दूसरे आरोप (कोचर बंधुओं को होटल दे कर जमीन लेने का आरोप) को कानूनी तौर पर सिद्ध कर पाना काफी मुश्किल होगा. ये आरोप मोदी ने तो लगा दिया पर रेल मंत्रालय से इसकी जांच के लिए कोई लिखित आग्रह नहीं किया है. लिहाजा इन आरोपों के बाद मोदी की अगंभीर छवि (जिसका जिक्र अक्सर लालू करते हैं, कि मोदी झूठे हैं, बेसिर पैर की बात करते हैं) ही उभरी है. दूसरे शब्दों में इन आरोपों के बाद अपने राजनीतिक समर्थकों में मोदी की अगंभीर छवि और मजबूत करने में लालू एक हद तक सफल रहे हैं.

सुशील मोदी के लालू परिवार पर आरोपों और उन आरोपों के तात्कालिक प्रभावों पर बात करने के बाद, हम फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, इस प्रकरण पर चुप्पी साधने के मुद्दे पर आते हैं. राजनीति विज्ञान का सामान्य विद्यार्थी भी इस बात को बखूबी जानता है कि राजनीति का परम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति या सत्ता में बने रहना है. चूंकि नीतीश कुमार बिहार के सत्ताशीर्ष पर हैं, ऐसे में वे सुशील मोदी द्वारा तेज और तेजस्वी यादव को काबीना से निकालने की मांग का कोई जवाब क्यों देंगे? नीतीश अपने बयानों और अपनी छवि के प्रति काफी सजग नेता माने जाते हैं. वह सुशील मोदी के आरोपों को, लालू प्रसाद की तरह झुठला देने का कोई जोखिम नहीं उठा सकते. साथ ही नीतीश इन आरोपों पर रेल मंत्रालय द्वारा जांच करवाने के लिए सुशील मोदी को कहकर फंसना भी नहीं नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने मोदी को छेड़ा तो मोदी उनसे कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय को जो जांच करनी है वह करे और राज्य सरकार के अधीन जांच का जो दायरा है, उसके तहत वह जांच करे. लिहाजा नीतीश के लिए यही रास्ता है कि वह इस मामले में चुप्पी साधे रहें. ऐसे में लगता है कि लालू और नीतीश की यह रणनीति है कि सुशील मोदी बोलते-बोलते थक जाएं, साथ ही उनकी कोशिश यह भी है कि मीडिया और समाज के लिए विमर्श का कोई और मुद्दा मिल जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

सोशल इंजीनियरिंग में फेल हुई भाजपा

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम अटकलों को दरकिनार कर महागठबंधन की जीत हुई. तब लोगों को पता चला कि लालू के माय समीकरण और नीतीश कुमार के पिछड़ा, दलित-महादलित के साथ सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग ने राजद और कांग्रेस को नया जीवन दे डाला. बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा मगध में भी महागठबंधन काफी सफल रहा. गया जिले में ही दस में से सात पर महागठबंधन की जीत हुई. औरंगाबाद से भी दिग्गज भाजपा नेता पूर्व मंत्री रामाधार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए. जहानाबाद-अरवल जिले में तो एनडीए का सफाया हो गया.

सुनील सौरभ

मगध के पांच जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है. इन नियुक्तियों या मनोनयन में भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने अपने परंपरागत वोट बैंक को ही ध्यान में रखा है. मगध के पांच जिलों में से तीन गया, जहानाबाद और नवादा जिले में भूमिहार तो अरवल में बनिया और औरंगाबाद में कुशवाहा जाति के लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया है.

बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए मगध के पांच जिलों के 26 विधानसभा क्षेत्र सभी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं. मगध पर जिस किसी पार्टी या गठबंधन की पकड़ मजबूत हुई, बिहार की सत्ता पर उसी का डंका बजता रहा है. 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर जब नीतीश कुमार की जदयू और लालू यादव की राजद ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, तब एनडीए की मोदी लहर में सभी दल बह गए थे. लालू-राबड़ी विरोध और भाजपा के सहारे बिहार की सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार ने सभी गिले-शिकवे भुलाकर अपने घोर राजनीतिक विरोधी लालू यादव और कांग्रेस से महागठबंधन का महाप्रयोग कर डाला.

2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम अटकलों को दरकिनार कर महागठबंधन की जीत हुई. तब लोगों को पता चला कि लालू के माय समीकरण और नीतीश कुमार के पिछड़ा, दलित-महादलित के साथ सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग ने राजद और कांग्रेस को नया जीवन दे डाला. बिहार के अन्य क्षेत्रों के अलावा मगध में भी महागठबंधन काफी सफल रहा. गया जिले में ही दस में से सात पर महागठबंधन की जीत हुई. औरंगाबाद से भी दिग्गज भाजपा नेता पूर्व मंत्री रामाधार सिंह कांग्रेस प्रत्याशी से हार गए. जहानाबाद-अरवल जिले में तो एनडीए का सफाया हो गया. नवादा में हिसुआ से भाजपा के अनिल कुमार तथा वारसलीगंज से भी भाजपा की अरुणा देवी जीतने में सफल रहीं. इस प्रकार मगध के 26 में से 21 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन की जीत हुई. मोदी लहर में भी बिहार में एनडीए और भाजपा के प्रत्याशियों की करारी हार से यह बात जगजाहिर हुई कि बिहार के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को गलत 'फीडबैक' दिया. तभी से लगने लगा था कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बिहार के संगठन में व्यापक फेरबदल करना चाहता है. पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सोशल इंजीनियरिंग के सहारे अतिपिछड़ा और महादलित वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास करने लगा. प्रदेश स्तर पर नित्यानंद राय को अध्यक्ष बनाकर इसकी शुरुआत की गई. यह उम्मीद थी कि मगध के पांच जिलों में अपने वोट बैंक के अलावा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सोशल इंजीनियरिंग के फॉमूले का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ. अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मगध व पूरे बिहार में दलित महादलित व पिछड़ों का वोट पाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल होगा.

यह सही है कि जब भाजपा का सदस्यता अभियान चलता है तो उसमें अगड़ी जाति के कार्यकर्ता ही अधिक सक्रिय रहते हैं. साफ है कि जिसकी सदस्यता अधिक होगी, जिला अध्यक्ष भी उसी का होगा. गया और जहानाबाद जिले में तो भाजपा के गठन के बाद से ही अधिकतर एक जाति के ही कार्यकर्ता अध्यक्ष बनते रहे हैं. कमोबेश नवादा में भी यही स्थिति रही है. औरंगाबाद में प्राय: राजपूत जाति के ही कार्यकर्ता भाजपा जिला अध्यक्ष बनते रहे हैं. गया में भाजपा दो-धुरी के बीच घूमती रहती है. विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह तथा गया शहर के विधायक और प्रतिपक्ष के नेता डॉ. प्रेम कुमार जिला संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने में लगे रहते हैं. पिछले तीन दशक से गया जिलाध्यक्ष पद पर कृष्ण कुमार सिंह उर्फ बाबू की ही पकड़ मजबूत रही है. वहीं गया महानगर के अध्यक्ष पद पर डॉ.

प्रेम कुमार की पसंद ही प्रमुख रही है क्योंकि डॉ. प्रेम कुमार अपने विधानसभा क्षेत्र में संगठन पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में विश्वास रखते हैं. जबकि कृष्ण कुमार गया जिला भाजपा संगठन पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने में तन, मन, धन से जुटे रहते हैं. यही स्थिति औरंगाबाद की भी है. वहां पूर्व मंत्री और औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामाधार सिंह जिला संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए सब कुछ करते हैं. इस बार भी मगध के पांच जिलों में भाजपा जिलाध्यक्ष के पद पर गया में धनराज शर्मा, जहानाबाद में पूनम सिन्हा, नवादा में शशिभूषण कुमार बबलू, अरवल में ज्योति रंजन मेहता का मनोनयन किया गया है. गया, नवादा और अरवल जिले में दलित, महादलित, पिछड़े व अतिपिछड़े वर्ग का वोट अधिक है, लेकिन भाजपा नेतृत्व अभी तक इस वोट बैंक को जोड़ने में असफल रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

उपेक्षा का शिकार ऐतिहासिक मकबरा

राणा अवधूत कुमार

महज 10-12 वर्ष पूर्व शेरशाह के ऐतिहासिक मकबरे को देखने के लिए देशी-विदेशी पर्यटक लालायित रहते थे. आज हाल यह है कि स्थानीय लोगों को भी नाक पर रूमाल रखकर मकबरे के बगल से गुजरना पड़ता है. पिछले कई वर्षों से शहर के नालियों की गंदगी तालाब में बहाए जाने से इसकी हालत नारकीय हो गई है. जबकि पटना हाईकोर्ट ने 2007 में ही तालाब में गंदे पानी प्रवाहित करने व मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दी थी. इसके बावजूद इस आदेश की आज तक अनदेखी होती रही है. यह हालत उस अंतरराष्ट्रीय धरोहर की है जिसे विश्व के ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है. हालांकि मकबरे को राष्ट्रीय महत्व की घोषणा करने वाले प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1951 के तहत संरक्षित तो किया गया लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार का वर्षों पुराना विवाद होने के कारण यह ऐतिहासिक स्थल उपेक्षित रहा है. अब तो यह स्थल सासाराम की तमाम गंदगी को अपने में समेटे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है. कुछ वर्ष पूर्व जब यहां विदेशी सैलानियों का आकर्षण बढ़ा तो ऐसा लगा कि अब यह स्थल भी बोधगया-सारनाथ की तरह पर्यटन जोन के रूप में विकसित हो जाएगा. लेकिन इसके लिए कोई पहल न तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने की और न ही राज्य सरकार ने कोई रुचि दिखाई. रही-सही कसर स्थानीय लोगों ने मकबरा परिसर में अतिक्रमण कर व नालियों का पानी प्रवाहित कर पूरी कर दी. मकबरा परिसर में अतिक्रमण पर न तो पुरातत्व विभाग और न ही राज्य सरकार कुछ करने को तैयार है. स्थानीय प्रशासन की खामोशी से अतिक्रमणकारियों के हौसले और बुलंद होते गए हैं. 52 एकड़ में फैला मकबरा परिसर आज सिकुड़ कर महज 25 एकड़ बचा रह गया है. अतिक्रमण के इस खेल में स्थानीय विधायक की संलिप्तता भी कई सवाल खड़े करती है. इसका कारण यह है कि भगवा समर्थित पार्टी-संगठनों के लोग शेरशाह मकबरे की भव्यता-ऐतिहासिकता बनाए व बचाए रखने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते. जबकि हकीकत यह है कि विदेशों में भी इस शहर की पहचान ऐतिहासिक मकबरे की वजह से है.

हाई कोर्ट का आदेश हुआ बेमानी :- मकबरे के अस्तित्व को बचाने के लिए करीब एक दशक पूर्व स्थानीय लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. तब कोर्ट ने तमाम पक्ष-विपक्ष को सुनने के बाद मकबरे के संरक्षण व सौंदर्यीकरण को लेकर कई निर्देश दिए थे. लेकिन हैरानी की बात है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई इसको लेकर सचेत नहीं है. कोर्ट के आदेश के बाद नीतीश सरकार ने 97 लाख रुपए आवंटित जरूर किए, लेकिन योजना व एजेंसी के अभाव में थोड़ी-बहुत साफ-सफाई कर समस्त राशि स्थापना दिवस समारोह पर खर्च कर दी गई. हाई कोर्ट ने तालाब में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के साथ नहाने-धोने और नालियों की गंदगी पर रोक लगाने के साथ अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने का आदेश भी दिया था. लेकिन स्थानीय प्रशासन ने आज तक इसपर कोई कार्रवाई नहीं की. कोर्ट ने स्थल की भव्यता को बरकरार रखने के लिए विशेषज्ञों की देखरेख में कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे. कमेटी को ही इसे संरक्षित रखने की जिम्मेवारी देते हुए एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने का आदेश भी दिया था, लेकिन राज्य सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव में न तो तालाब की वैज्ञानिक तरीके से सफाई हो सकी और न ही अन्य संरक्षण कार्य हो सके.■

धार्मिक पर्यटन का केंद्र है अशोक धाम

एसके गांधी

सर्वम् शिवमयम् जगत् की जयघोष के बीच लखीसराय जिले में शिवलिंग प्रकटीकरण का 41 वां साल पूरा हो गया है. ज्योतिर्लिंग अशोक धाम मंदिर बिहारियों के बाबा वैद्यनाथ के तौर पर प्रतिष्ठित है. 7 अप्रैल 1977 लखीसराय के धार्मिक इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है. इसी दिन नगरपालिका क्षेत्र स्थित वार्ड नं.-01 के रजौना चौकी में गिल्ली-डंडा खेलने के क्रम में अशोक एवं गजानंद नामक दो किशोर द्वारा की गई जमीन की खुदाई के दौरान अचानक दो फीट लंबा एवं साढ़े सात फीट व्यास के अभूतपूर्व ज्योतिर्लिंग का उद्भव हुआ. तभी से लखीसराय नगर परिषद क्षेत्र स्थित उत्तर-पश्चिम दिशा में अवस्थित एक छोटा सा गांव रजौना चौकी समस्त बिहार की अघोषित धार्मिक राजधानी बन गया है.

इतिहासकारों एवं पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार खुदाई से निकले शिवलिंग 7-8 वीं सदी के पालवंशकालीन राजा इंद्र दमनेश्वर द्वारा पूजित धार्मिक अवशेष हैं. पालवंश के राजा इंद्रदमन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे. इस शिवलिंग की पूजा भगवान श्रीराम द्वारा किए जाने की भी चर्चा जनमानस में है. कालांतर में इस स्थल की खुदाई करने वाले अशोक के नाम पर ही इसे अशोक धाम के नाम से प्रसिद्धि मिली. स्वप्रस्फुटित शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की तरह ही जागृत हैं.

स्थानीय चौकी निवासी स्व. नुनुलाल सिंह ने भव्य मंदिर निर्माण के लिए लगभग 33 कट्ठा जमीन बतौर दान में दिया था. बाद में ट्रस्ट को कुल मिलाकर 111 कट्ठे का एक बड़ा भूखण्ड प्राप्त हो गया. इसके बाद 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्द ने वैदिक रीति से भूमि पूजन कर इस स्थल पर ऐतिहासिक एवं भव्य मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया.

इस दौरान नवगठित इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट ने 3.5 एकड़ परिसर में शिव मंदिर बनाने का फैसला लिया. इस बीच वर्ष 1997 से 2001 तक मंदिर निर्माण की गति काफी मंद तरीके से चलती रही. 2002 में 111 कट्ठे का एक बड़ा भू-भाग मिलते ही भोले बाबा के 125 फीट ऊंचे मंदिर को बिहार में देवघर के रूप में विकसित किया गया.

देश के विशिष्ट शिल्पकार तैलंगना बंधुओं ने मात्र 6 माह में मंदिर शिखर का निर्माण कर दिया. कुल मिलाकर अशोकधाम स्थित श्री इन्द्रदमनेश्वर महादेव मंदिर मनोहारी, प्रतापी व समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धिदायक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है. स्थानीय मनकट्ठा, अशोकधाम हॉल्ट, लखीसराय एवं किउल रेलवे जंक्शन से सीधे अशोकधाम मंदिर तक पहुंचा जा सकता है. सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में प्रति वर्ष लाखों श्रद्धालु विवाह, मुंडन, जनेउ व कई शुभमुहूर्त के संस्कार के लिए आते हैं. इसके अलावा मंदिर कमिटी वर्ष 2009 से अनवरत् गरीब परिवार की कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्कार भी कराती है.

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के मुताबिक दान से धन अर्जित करने के मामले में लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर का स्थान सर्वोपरि है.■

feedback@chauthiduniya.com

गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा है जरूरी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr.NAHID FATIMA
DGO, Gynaecologist
Phulwarisharif,Patna(Imarat Saria Hosp.)

बच्चों के जन्म के समय यदि माँ स्वस्थ नहीं है तो आप मान कर चलिए होने वाले बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। फुलवारी शरीफ पटना की अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट डॉ. नाहिद फातिमा से बात हुई और उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष टिप्स दिये। बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि गर्भधारण के बाद महिलाओं को हमेशा चिकित्सक के सम्पर्क में रहें, 3 माह या 4 माह के समय से आयरण और कैलशियम युक्त गोली अवश्य ले। नियमित व्यायाम करते रहें। वजन बढ़ने न दें। बी.पी. को कन्ट्रोल रखें, हिमोग्लोबीन और खून की मात्रा कम न होने पाए। महिलाओं को कभी खाली पेट नहीं रहना चाहिए एक ही बार ज्यादा भोजन न लें। हल्का-हल्का भोजन बार-बार करते रहें। पौष्टिक युक्त ही भोजन लें। साफ-सफाई का अधिक ध्यान रखें। विशेष बात यह कि 2 घंटा काम करने के बाद एक घंटा शरीर को आराम दें। सिढ़ियों पर चढ़ने उतरने से बचें। भोजन में हरी-पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और समय पर भोजन करें।■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate 100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

इधर बाबा का गुणगान उधर दलित का अपमान

संजीव गुप्ता/सूफी यायावर

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे और 15 अप्रैल को एक भाजपा सांसद के हाथों दलितों का अपमान हो रहा था. सीतापुर के महोली विधानसभा क्षेत्र स्थित सरस्वती शिशु मन्दिर में धौरहरा की भाजपा सांसद रेखा वर्मा का जनता दरबार चल रहा था. दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए धानुक (दलित) बिरादरी के जिला पंचायत सदस्य सर्वेश बंसल को न केवल अपमानित किया गया, बल्कि बसपाई कहकर दुत्कारा गया और वहां से भगा दिया गया. यह कृत्य उसी भाजपा सांसद ने किया जिसकी पार्टी में बसपा से आए नेता आज मंत्री बने बैठे सत्ता-सम्मान पा रहे हैं. जिला पंचायत सदस्य को सांसद से जुड़े भाजपा पदाधिकारी ने अपमानित किया और सांसद अपने सामने यह सब देखती रहीं.

उल्लेखनीय है कि बसपा शासनकाल में इसी सरस्वती शिशु मन्दिर के अवैध होने का मामला प्रशासनिक पेंच में फंस गया था और उसके बंद होने की स्थिति आ गई थी, तो इसी स्थानीय दलित नेता सर्वेश बंसल ने हरगांव विधानसभा से बसपा विधायक दलित रामहेत भारती की मदद से विद्यालय का उद्धार कराया था. भाजपा के अधिकांश नेता दूसरे दलों, खास तौर पर बसपा से आए हैं. सीतापुर के वर्तमान सांसद राजेश वर्मा भी बसपा से ही आए थे. ये बसपा से ही धौरहरा के पूर्व सांसद भी हैं. दिलचस्प यह है कि रेखा वर्मा भी बसपा से ही आई हैं और भाजपा की सांसद बनी बैठी हैं. वे पहले बसपाई ब्लॉक प्रमुख थीं. इनके पति अरुण वर्मा स्वयं बसपा के सदस्य थे. गोला से विधायक बनने में असफल रहने के बाद वे हाथी से कूद कर भाजपा पर सवार हो गए. महोली के नव निर्वाचित भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा से टिकट पाने की जद्दोजहद कर रहे थे.

सांसद रेखा वर्मा द्वारा सर्वेश बंसल को अपमानित करने का अकेला मामला नहीं है. महोली कोतवाली क्षेत्र के उरदौली गांव में संज्ञेय आपराधिक मामले में गिरफ्तार ग्राम प्रधान शेर सिंह वर्मा को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के लिए सांसद ने जातिवाद की सारी हदें तोड़ डालीं. यहां तक कि अपने दरबार में महोली के उप-जिलाधिकारी अतुल प्रकाश श्रीवास्तव को बुलाकर फटकारा और इतना दबाव बनाया कि महोली पुलिस को शेर सिंह वर्मा को लॉकअप से ही छोड़ना पड़ा. सांसद के इशारे पर दूसरा अपराध ये हुआ कि शेर सिंह वर्मा को छुड़वा कर उसी मामले में कंजड़ समाज के दो निर्दोष लोगों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया.

सीतापुर जिले में इस तरह की बेजा गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं. भाजपा के नेता इसमें शामिल हैं और उधर दिल्ली या लखनऊ से बड़ी-बड़ी तकरीरें आती रहती हैं. 15 अप्रैल को महोली कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा गांव उरदौली जातिवादी हिंसा में झुलसने से बच गया. कंजड़ बिरादरी के एक बुजुर्ग के दाह संस्कार को लेकर विवाद शुरू हुआ. उरदौली गांव में रहने वाले कंजड़ समाज के समलिया की मृत्यु के बाद उनके परिजन दाह संस्कार के लिए उरदौली-बम्भौरा मार्ग पर स्थित दलित वर्ग के पैतृक शवदाह स्थल पर पहुंचे. इस भूखंड पर कहार, भुर्जी, कंजड़ और तेली बिरादरी के लोग शव का दाह संस्कार करते आ रहे हैं. यह भूखंड मरघट (गाटा संख्या- 47) के नाम से ही जाना जाता है. पता चला कि उक्त भूखंड के स्वामी रहे एक पूर्व प्रधान ने अपने करीबी लालजी, पुत्र चन्दन के नाम से गुपचुप उसी जमीन का पट्टा कर दिया. फिर लालजी ने भी दूसरे के नाम से वो जमीन बेच डाली. जबकि पूरे इलाके में जमीन का वह हिस्सा दाह संस्कार के लिए ही इस्तेमाल होता रहा है. इसी भूखंड पर दुलारे कंजड़ की समाधि भी है, जो 1950 में बनी थी. अब जमीन के नए स्वामी ने वहां दाह संस्कार का विरोध करना शुरू कर दिया. इससे गांव का माहौल बिगड़ने लगा. मृतक के परिजनों ने अपने समाज के लोगों को मौके पर बुलवा लिया. कंजड़ समाज के सैकड़ों लोग अपने धारदार औजार लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा होने लगे. थाना रामकोट के वजीर नगर गांव के कंजड़ बिरादरी का सेवानिवृत्त दारोगा राम प्रसाद, पुत्र साहबदीन कंजड़ों का नेतृत्व करने लगा. दलित बनाम सवर्ण का माहौल बनाकर अपनी नेतागीरी चमकाने के लिए ग्राम प्रधान शेर सिंह वर्मा भी वहां पहुंच गए. ऐसे स्थानीय नेताओं के उकसावे में आकर कंजड़ समुदाय के लोगों ने शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख कर जाम लगा दिया और माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया. वरिष्ठ उप-निरीक्षक सुरेश तिवारी और पुलिस बल ने शव हटाने का प्रयास किया तो प्रधान के गुर्गों और कंजड़ों ने हिंसक माहौल बना दिया, जिससे पुलिस को पीछे हटना पड़ा. दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पूरी तरह से बंद हो गया. महोली के एसडीएम अतुल प्रकाश श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह को भारी पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचना पड़ा. उन्होंने मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया. अराजकता फैलाने पर आमादा ग्राम प्रधान शेर सिंह वर्मा, राम प्रसाद और उनके गुर्गे बबलू पुत्र कन्धई, सुरेश पुत्र सुन्दर, राकेश पुत्र समलिया, मुन्ना पुत्र बौरे, मुन्नालाल पुत्र मथुरा सहित करीब दो दर्जन अज्ञात लोगों ने बातचीत कर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से हाथापाई शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी. पुलिस ने ग्राम प्रधान शेर सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त दारोगा रामप्रसाद और उसके साथी बबलू को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग से शव हटवा कर गांव के श्मशान स्थल पर दाह संस्कार करवाया. गांव में अभी भी पुलिस तैनात है.

इसी मामले में धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया और अपनी बिरादरी के ग्राम प्रधान शेर सिंह वर्मा को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए महोली एसडीएम को अपमानित किया और वर्मा को छुड़वा कर ही दम लिया. सांसद के दबाव पर ग्राम प्रधान को महोली कोतवाली की हवालात से ही छोड़ दिया गया, लेकिन रामप्रसाद, बबलू, सुरेश, राकेश, मुन्ना, मुन्नालाल समेत दो दर्जन अज्ञात लोगों पर 147/148/149/342/427/7 सीएलए एक्ट में बाकायदा अभियोग पंजीकृत हुआ और वर्मा के साथ ही गिरफ्तार हुए कंजड़ समाज के दो लोगों को जेल भेज दिया गया. अन्य आरोपितों को भी जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन सांसद की जाति का ग्राम प्रधान छुट्टा घूमता रहेगा.

कुछ ऐसा ही वाकया अंबेडकर जयंती के दिन ही महोली विधानसभा के पिसांवा थाना क्षेत्र के देवकली गांव में भी हुआ. गांव में दलित समाज के लोगों ने अंबेडकर जयंती पर ग्राम समाज की जमीन पर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास किया. इस पर विरोध हुआ तो तनाव उत्पन्न हो गया. मौके पर पहुंचे उप-जिलाधिकारी और पुलिस बल ने प्रतिमा को अपने कब्जे में लेकर दोनों पक्षों को समझाया. शासन की मंजूरी के बगैर प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश के आरोप में कुछ लोगों पर अभियोग भी दर्ज किया गया. क्षेत्रीय लेखपाल आलोक कुमार मिश्रा ने बताया कि देवकली गांव में एक जमीन (गाटा संख्या 370) पर काफी पहले से एक चबूतरा बना हुआ था. गांव के खेमकरन, सूबेदार, बनवारी, इंद्रपाल, नंद किशोर, सर्वेश और रामहेत ने बिना प्रशासन की अनुमति के, उसी चबूतरे पर अंबेडकर की प्रतिमा रख दी. गैर दलित समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया. इस पर दोनों तरफ से लोग हथियार वगैरह लेकर जुट गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस की मदद से प्रतिमा हटवाई और उसे अपने कब्जे में ले लिया. लेखपाल आलोक कुमार मिश्र की तहरीर पर पिसांवा पुलिस ने बिना प्रशासनिक इजाजत के सरकारी जमीन पर प्रतिमा स्थापित करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कर लिया. आरोप है कि पुलिस ने दलितों की तहरीर को नजरअन्दाज़ कर दिया और एक-तरफा कार्रवाई की. गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है.

बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भाजपा का पार्टी स्तर पर राजनीतिक-वैचारिक परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन भाजपा के सांसदों, विधायकों और नेताओं पर उसका असर नहीं दिख रहा. इससे पार्टी का अपमान हो रहा है और दलित भी क्षुब्ध हो रहे हैं. पिछले दिनों न केवल सीतापुर, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अंबेडकर जयंती तनावपूर्ण और हिंसक शक्ल में बदली. मेरठ जिले के किठौर थानान्तर्गत गेसूपुर सुमाली गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति पर काला रंग फेंक दिया और चश्मा तोड़ डाला. इस पर भीषण तनाव फैला. पुलिस अधिकारियों ने दूसरी प्रतिमा स्थापित कराने का आश्वासन देकर नाराज लोगों को शांत कराया.

इसी तरह जौनपुर जिले के गोरारी गांव में अंबेडकर जुलूस निकालने पर तनाव फैला और पथराव, आगजनी, फायरिंग की घटना घटी. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने हवा में गोलियां चलाईं. पथराव में एक सिपाही समेत दर्जनभर लोग घायल हो गए. दो गुमटियां भी फूंक डाली गईं. अंबेडकर जयंती पर गोरारी गांव से डीजे और गाजे बाजे के साथ शोभायात्रा निकली थी. शोभायात्रा मुसलमानों की बस्ती के करीब पहुंची, तो लोगों ने आबादी के बीच से जुलूस को जाने से रोका. इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और बाद में हिंसक शक्ल में बदल गया.

आजमगढ़ में भी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के चुनुकपार गांव में अंबेडकर प्रतिमा की स्थापना को लेकर दो वर्ग के लोग आमने-सामने हो गए. हालात बेकाबू हुआ, तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. दो लोगों को हिरासत में लिया गया. मौके पर फोर्स तैनात है. गांव में ग्रामसभा की जमीन पर लोगों ने अंबेडकर प्रतिमा स्थागपित करने की कोशिश की थी. लेखपाल चंद्रभान यादव ने इसे रोका, तो दलित गुस्से में आ गए. अंबेडकर नगर जिले में भी एक विवादित भूमि पर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के मसले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई. पुलिस ने प्रतिमा जब्त कर ली और 11 लोगों को गिरफ्तार किया. यह घटना अलीगंज थाना क्षेत्र के दरियापुर कुतुब गांव में हुई थी.■

feedback@chauthiduniya.com

अध्यक्ष के चुनाव में होगी दलित प्रेम की परीक्षा

उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए होने वाले चयन में ही भाजपा के दलित प्रेम की परीक्षा होनी है. विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा आलाकमान ने पिछड़ों का ध्यान रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बना दिया. अब केशव मौर्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लिहाजा, उन्हें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटना है. अब उस पद पर दलितों का दावा है. राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री राजपूत (जबकि संत की कोई जाति नहीं होती), एक उप मुख्यमंत्री पिछड़े और दूसरा उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, इसलिए अध्यक्ष पद पर दलित का दावा स्वाभाविक है. दलित समुदाय के लोगों में यह मांग बढ़ी कि पिछड़ी जाति के अध्यक्ष के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उस दलित समुदाय के नेता को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, जिसकी राजनीतिक ताकत अधिक है और जिसने मायावती के खिलाफ अधिक लोहा लिया है और भाजपा का खुला साथ दिया है. राज्य की करीब बीस फीसदी दलित आबादी में 16 फीसदी आबादी पासी जाति की है. यानि, पासी दूसरी सबसे बड़ी दलित उपजाति है. इस आधार पर पासी समुदाय के लोगों का दावा अधिक मजबूत है. हालांकि दलित समुदाय के कई नेता अध्यक्ष बनने का प्रयास कर रहे हैं. इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक प्रधान, आगरा के मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया, लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, पूर्व विधायक मुंशीलाल गौतम और विद्याशंकर सोनकर के नाम शामिल हैं. इनमें अशोक प्रधान, रामशंकर कठेरिया के नाम प्रमुखता पर हैं. कौशल किशोर पासी समुदाय से आते हैं और यूपी विधानसभा के चुनाव में मलिहाबाद सीट से उनकी पत्नी जय देवी भी चुनाव जीत कर आई हैं, लिहाजा इस रेस में कौशल की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है. यह तो हुई दावेदारी की बात, लेकिन असली परीक्षा तो भाजपा आलाकमान की है, जिसे अंबेडकर जयंती मास में ही प्रदेश अध्यक्ष तय करना है. दलित समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ब्राह्मण नेता प्रदेश अध्यक्ष का पद झटकने की तैयारी में हैं और इसके लिए केंद्र सरकार के एक मंत्री भी अपने खास आदमी के लिए सक्रिय हैं. प्रदेश संगठन के विभिन्न पदों पर भी मनोनयन होना है. इसमें भाजपा नेतृत्व के सैद्धांतिक स्टैंड पर लोगों की नजर है. ■

बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भाजपा का पार्टी स्तर पर राजनीतिक-वैचारिक परिवर्तन तो दिख रहा है, लेकिन भाजपा केसांसदों, विधायकों और नेताओं पर उसका असर नहीं दिख रहा. इससे पार्टी का अपमान हो रहा है और दलित भी क्षुब्ध हो रहे हैं. पिछले दिनों न केवल सीतापुर बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अंबेडकर जयंती तनावपूर्ण और हिंसक शक्ल में बदली.

बदलाव की नई शक्ल ले रहा योगी का गोरखपुर

बंद मिलें खुल जाएं तो सुधर जाए पूर्वांचल

पूर्वांचल के लोगों की उम्मीद एक बार फिर से जगी है. 29 वर्ष बाद गोरखपुर जिले को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. वीरबहादुर सिंह के बाद गोरखनाथ धाम के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया बने हैं. अब लोगों में उम्मीद जगी है कि गोरखपुर का विकास होगा. पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह के बेटे भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह कहते हैं कि अब गोरखपुर प्रदेश का सबसे सुंदर शहर बनेगा और यहां विकास की गंगा बहेगी. मुख्यमंत्री गोरखपुर के विकास को लेकर लगातार सक्रिय हैं. योगी ने 19 अप्रैल को भी प्रशासनिक अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर काम की गति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए. गोरखपुर से लखनऊ बुलाए गए अधिकारियों में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी समेत कई अधिकारी शामिल थे.

शत्रुंजय सिंह/शैलेश सिंह

पूर्वांचल की बंद पड़ी मिलें खुल जाएं तो पूरे क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी. चीनी मिलों के बंद हो जाने से भी इस व्यापक गन्ना क्षेत्र का बड़ा नुकसान हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दौरे में पडरौना चीनी मिल खुलवाने का आश्वासन दिया था. लेकिन इस ओर कोई पहल नहीं हुई. पूर्वांचल के गन्ना बेल्ट में गन्ने की खेती से यहां के किसान खुशहाल थे, लेकिन 1990 के बाद से मिलें बंद होने लगीं और किसान बर्बाद होने लगे. आज हाल यह है कि पूर्वांचल की अधिकतर चीनी मिलें बंद हैं, कुछ चल रही हैं तो उन्हें भीषण घाटे में बताया जा रहा है. पूर्वांचल के देवरिया जिले में 14 चीनी मिलें थीं, उनमें महज पांच किसी तरह चल रही हैं. चीनी मिलों के बंद होने के कारण गन्ने की मांग में कमी आई और किसानों को गन्ना उगाने से परहेज करना पड़ा. पूर्वांचल के दूसरे उद्योगों का भी यही हाल हुआ. मऊ जिले की कताई मिल और स्वदेशी कॉटन मिल, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना इसके उदाहरण हैं. हालांकि गोरखपुर के खाद कारखाने को दोबारा शुरू करने की तैयारी चल रही है. गोरखपुर में एम्स की स्थापना और खाद कारखाने को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास भी हो चुका है. 1970 में स्थापित गोरखपुर का खाद कारखाना अपने उत्पाद के लिए पूरे देश में मशहूर था. लेकिन इसके बंद होने से इस क्षेत्र के लाखों कामगार बेरोजगार हो गए और बाहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश हो गए. पूर्वांचल में तो पिछले पचास साल से कोई नया कारखाना या फैक्ट्री नहीं लगी. जो चल रही थीं, उनमें से भी अधिकतर बंद हो चुकी हैं. मऊ ज़िले की कताई मिल और स्वदेशी कॉटन मिल इसके उदाहरण हैं. राज्य सरकार द्वारा संचालित मऊ जिले की कताई मिल के बड़े से परिसर में अभी भी कई पूर्व कर्मचारी अपने बकाए की आस में रह रहे हैं. कारखाने में करीब तीन हजार कर्मचारी काम करते थे. मिल मुनाफ़े में थी, लेकिन जानबूझकर कुछ लोगों ने यहां विवाद पैदा कर वर्ष 2005 में इसे बंद करा दिया. कुछ स्थानीय नेता और अधिकारी मिल बंद कराकर उसकी जमीन खरीद लेने का षडयंत्र बुन रहे थे. मामला कोर्ट में जाने के कारण यह नहीं हो सका. यही हाल स्वदेशी कॉटन मिल का भी हुआ. यह मिल केंद्र सरकार का उपक्रम था. सैकड़ों एकड़ में फैली ये फैक्ट्री आज वीरान पड़ी है.

लेकिन पूरे पूर्वांचल के लोगों की उम्मीद एक बार फिर से जगी है. 29 वर्ष बाद गोरखपुर जिले को प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है. वीरबहादुर सिंह के बाद गोरखनाथ धाम के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया बने हैं. अब लोगों में उम्मीद जगी है कि गोरखपुर का विकास होगा.

गोरखपुर और आसपास के जिलों में फोरलेन का शिलान्यास तो पहले हो चुका था, लेकिन भूमि अधिग्रहण सम्बंधी पेंच के चलते काम तेज नहीं हो पा रहा था. योगी के तेवर देख कर अब अफसरों की सक्रियता दिखने लगी है. गोरखपुर वाराणसी फोर-लेन का निर्माण करीब 2500 करोड़ की लागत से होना है. गोरखपुर से बड़हलगंज तक करीब 100 गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है. एक साल में दस फीसदी किसानों को भी जमीन का मुआवजा नहीं बंट सका. लखनऊ और बनारस से नेपाल की तरफ जाने वाले सैलानियों और मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश न करना पड़े, इसके लिए कालेसर से जंगल कौड़िया तक फोरलेन बाईपास प्रस्तावित है. 18 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए, लेकिन जिला प्रशासन जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सका.

पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह के बेटे भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह कहते हैं कि अब गोरखपुर प्रदेश का सबसे सुंदर शहर बनेगा और यहां विकास की गंगा बहेगी. मुख्यमंत्री गोरखपुर के विकास को लेकर लगातार सक्रिय हैं. योगी ने 19 अप्रैल को भी प्रशासनिक अधिकारियों को लखनऊ बुलाकर काम की गति की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए. गोरखपुर से लखनऊ बुलाए गए अधिकारियों में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और गोरखपुर विकास प्राधिकरण के वीसी समेत कई अधिकारी शामिल थे. 18 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेकर गोरखपुर सिविल टर्मिनल का नाम महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल कर दिया.

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही गोरखपुर में बदलाव की आहट महसूस की जाने लगी. गोरखपुर के विकास का जो खाका योगी ने शासन-प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ हुई कई दौर की बैठक में प्रस्तावित किया है, उस पर अमली जामा पहनाया जाने लगा है. लोगों को लग रहा है कि तीन दशक पहले गोरखपुर के विकास की जो गति वीरबहादुर सिंह के निधन के बाद थम गई थी, उसे अब फिर से नई गति मिलेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष गोरखपुर में एम्स की स्थापना और खाद कारखाने की फिर से शुरुआत के लिए शिलान्यास किया था. पिछले सात महीने में एम्स को लेकर जितनी प्रगति नहीं हुई, उससे कहीं अधिक पिछले दस दिनों में हुई. गन्ना शोध संस्थान की जिस जमीन पर एम्स प्रस्तावित है, वहां अफसरों का आना-जाना बढ़ गया है. जीडीए एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का भू-प्रयोग चिकित्सा शिक्षा के लिए करने की कवायद में जुट गया है. गन्ना शोध संस्थान को पिपराइच में शिफ्ट करने का आदेश दिया जा चुका है. एम्स की चारदीवारी का निर्माण भी तेजी से हो रहा है. करीब 3,500 मीटर लंबी चारदीवारी दो महीने में तैयार हो जाएगी. मुख्यमंत्री योगी पहले भी दावा कर चुके हैं कि अगस्त महीने तक एम्स की ओपीडी शुरू कर दी जाएगी. सपा सरकार के समय बच्चों के लिए शुरू हुए 500 बेड का निर्माण भी अंतिम दौर में है. लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता पर भी जोर-शोर से काम हो रहा है.

गोरखपुर में चलेगी मेट्रो ट्रेन

गोरखपुर के विकास की योगी-अवधारणा का ही हिस्सा है गोरखपुर में भी मेट्रो ट्रेन. अब गोरखपुर में भी मेट्रो की शुरुआत की भूमिका बनने लगी है. लखनऊ मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने कहा कि गोरखपुर मे मेट्रो की पूरी सम्भावना है और 2020 के गोरखपुर को देखते हुए यह जरूरी भी है. सात महीने में डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी. केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिलने के चार साल के अन्दर मेट्रो का काम पूरा कर लिया जाएगा. गोरखपुर की मेयर डॉ. सत्या पांडेय भी कहती हैं कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा भले ही नहीं मिला, लेकिन मेट्रो मिल जाने से यहां के लोगों को ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी. गोरखपुर प्राकृतिक संसाधनों और नदियों से चारों तरफ से घिरा है, उस नजरिए से भी यहां पर्यटन विकास की बहुत संभावनाएं हैं. गोरखपुर की मेयर कहती हैं कि गोरखपुर शहर महाराज जी (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) का शहर है और कर्म स्थली भी है. गोरखपुर महानगर के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू भी हो गई हैं. इसके साथ ही घुघली-महराजगंज से फरेंदा रेलवे लाइन और सहजनवां से दोहरीघाट तक नई रेलवे लाइन बिछाने के काम में भी गति आ रही है.

फोर-लेन से आवागमन हो जाएगा सुलभ

गोरखपुर और आसपास के जिलों में फोरलेन का शिलान्यास तो पहले हो चुका था, लेकिन भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी पेंच के चलते काम तेज नहीं हो पा रहा था. योगी के तेवर देख कर अब अफसरों की सक्रियता दिखने लगी है. गोरखपुर वाराणसी फोर-लेन का निर्माण करीब 2,500 करोड़ की लागत से होना है. गोरखपुर से बड़हलगंज तक करीब 100 गांवों में जमीन अधिग्रहण होना है. एक साल में दस फीसदी किसानों को भी जमीन का मुआवजा नहीं बंट सका. लखनऊ और बनारस से नेपाल की तरफ जाने वाले सैलानियों और मालवाहक वाहनों को शहर में प्रवेश न करना पड़े, इसके लिए कालेसर से जंगल कौड़िया तक फोरलेन बाईपास प्रस्तावित है. 18 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए, लेकिन जिला प्रशासन जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सका. गोरखपुर से महराजगंज और गोरखपुर से देवरिया होते हुए सलेमपुर तक जाने वाले फोरलेन का निर्माण भी अब तेजी पकड़ रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद रहते हुए शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक करीब 25 किलोमीटर फोर-लेन सड़क की मांग करते रहे हैं. पिछले दिनों योगी ने अफसरों को इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है.

झील का सौंदर्यीकरण और खेल स्टेडियम

करीब 800 हेक्टेयर में फैली नैसर्गिक रामगढ़ झील के सौंदर्यीकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह के समय में ही कवायद शुरू हो गई थी. 2009 में ताल के जीर्णोद्धार के लिए केंद्र सरकार ने 129 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए थे. लेकिन देरी के चलते इसकी लागत 198 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है. करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी झील से बमुश्किल 30 से 35 फीसदी सिल्ट ही निकाला जा सका है. योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जीर्णोद्धार की उम्मीदें बढ़ गई हैं. योगी ने समीक्षा बैठक में झील को नया जीवन देने की लागत पूछी, तो अफसरो ने करीब 300 करोड़ रुपए की जरूरत बताई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. वहीं अन्तरराष्ट्रीय स्तर के वाटर स्पोर्ट्स के लिए 100 करोड़ के प्रस्ताव की धूल साफ होने लगी है. झील के चारों तरफ 10 मीटर चौड़ी सड़क का भी निर्माण होना है. मुख्यमंत्री ने जाम से राहत के लिए पैडलेगंज से कूड़ाघाट तक झील के किनारे सड़क निर्माण करने का निर्देश दिया है. झील के नजदीक बन रहे चिड़ियाघर के दिन भी बहुरने लगे हैं. बजट की अड़चन दूर हुई, तो दो साल में यहां वन्य प्राणियों की धमाचौकड़ी दिखने लगेगी. झील के पास ही दो पंच सितारा होटलों को भी मंजूरी मिल चुकी है. गोरखपुर के खिलाड़ियों के लिए भी योगी सरकार ने एक अच्छी पहल शुरू की है. अब गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाए जाने की तैयारी चल रही है. कानपुर और लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी इंटरनेशनल खेल स्टेडियम बनेगा. स्टेडियम बनाने की कवायद शुरू हो गई है. चौरी चौरा क्षेत्र में स्टेडियम बनाए जाने की चर्चा है. कानपुर में बने ग्रीन पार्क स्टेडियम की तर्ज पर गोरखपुर का स्टेडियम बनेगा, जिसमें कम से कम 30 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी. गोरखपुर में अभी रिजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम और सैयद मोदी स्टेडियम है. इस स्टेडियम ने देश-विदेश में सैयद मोदी जैसे कई प्रसिद्ध खिलाड़ी दिए हैं.

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से भी जुड़ेगा गोरखपुर

हवाई यात्रियों को गोरखपुर से नई दिल्ली और कोलकाता के लिए अभी एअर इंडिया और जेट एयरवेज की सेवाएं मिल रही हैं. जल्द ही अन्य एयरलाइंसों की उड़ानों के भी शुरू होने की उम्मीद है. गोरखपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलने के प्रयास भी हो रहे हैं. एयरपोर्ट के करीब दो एकड़ जमीन को लेकर सहमति बन गई है. जमीन जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया को आवंटित कर दी जाएगी. इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गुरु गोरक्षनाथ टर्मिनल रखने को लेकर भी सहमति बन गई है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा हो जाने के बाद नेपाल से लेकर कुशीनगर जाने वाले बौद्ध सैलानियों को काफी सहूलियत मिलेगी. काठमांडू के लिए सीधी उड़ान से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. यही नहीं, गोरखपुर और आसपास से बड़ी संख्या में बैंकॉक और सऊदी अरब जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी.

गीडा को और कारगर करने की कवायद

पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर सिंह ने पूर्वांचल के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए 1989 में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की स्थापना की थी. 28 वर्षों के लंबे सफर के बाद नोएडा जिस मुकाम पर पहुंच चुका, वहां पहुंचने में गीडा को अभी देर लगेगी. प्रस्तावित योजना में से सिर्फ 10 फीसदी ही अमल हो सका है. वर्तमान में करीब 390 फैक्ट्रियां गीड़ा से संचालित हो रही हैं, जिनमें करीब आठ हजार मजदूर काम करते हैं. सुविधाओं के अभाव में उद्योग जैसे-तैसे संचालित हो रहे हैं. सांसद रहते हुए योगी आदित्यनाथ के प्रयास से टेक्सटाइल पार्क तो बना, अब आईटी पार्क को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. आईटी पार्क के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है. बजट की मंजूरी प्रदेश सरकार को देनी है. गीडा के विकास को नजदीक से देखने वाले चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गीडा की जरूरतों का अच्छी तरह अहसास है. उद्यमियों को उम्मीद है कि नोएडा की तर्ज पर अब गीडा का भी विकास होगा.

अब बन जाएगा प्रेक्षागृह

28 जनवरी 1987 को वीरबहादुर सिंह के जमाने में सिविल लाइंस में प्रेक्षागृह की नींव पड़ी थी. करीब डेढ़ करोड़ की रकम खर्च होने के बाद जमीन विवाद में मामला कोर्ट में पहुंच गया. कोर्ट में मामला लंबित होने से निर्माण कार्य रुका हुआ है. नाट्यकर्मी केसी सेन ने प्रेक्षागृह के निर्माण के लिए अनूठा आंदोलन शुरू किया. वे पिछले 28 वर्षों से प्रत्येक शनिवार प्रेक्षागृह की मांग को लेकर नाटक का मंचन कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी ने साफ कर दिया है कि प्रेक्षागृह की अड़चनों को अविलंब दूर किया जाए.■

feedback@chauthiduniya.com

गृहिणी के संघर्ष के रंग

अनंत विजय

आपके व्यक्तिगत पुस्तकालय में कुछ ऐसी किताबें होती हैं, जो रैक पर लगी होती हैं और आपको लगातार उस पर कुछ लिखने के लिए उकसाती रहती हैं. पता नहीं औरों के साथ ये कितना होता है, लेकिन मेरे साथ तो ये लगातार होता है. ऐसी ही एक किताब है कवयित्री डॉ. मोनिका शर्मा की कविताओं का संकलन 'देहरी के अक्षांश पर'. यह काव्य संकलन करीब आठ दस महीने पहले मैंने पढ़ लिया था, लेकिन इस पर लिखना रह गया था. वैसे भी कविता में अपनी गति धीमी और समझ सीमित है. बावजूद इसके कविता पर टिप्पणी करता रहता हूं, खासकर जो कविताएं पसंद आती हैं. मोनिका शर्मा के संग्रह की कई कविताएं अच्छी हैं. इस काव्य संग्रह की विशेषता यह है कि इसमें प्रकाशित सभी कविताएं स्त्रियों को केंद्र में रखकर लिखी गई हैं. कवयित्री अपने मन की बात में इसको स्वीकार भी करती हैं, जब वो लिखती हैं, कुछ देखा-जिया सा शब्दों में ढालना हो तो कविताएं सोच समझकर नहीं लिखी जातीं. मन को छूने और हृदय को उद्वेलित करने वाला हर भाव स्वतः सुरों में बंधकर कविता का स्वरूप ले लेता है. देहरी के भीतर और बाहर अपने परिवेश में जो देखा-जिया, वही अनुभूति मेरी कविता का केन्द्र है. कवयित्री का मानना है कि गृहस्थी की धुरी पर एक साधारण स्त्री की असाधारण भूमिका को प्रतिबिंबित करती हैं मेरी कविताएं. अपनी कविता मिथ्या मुस्कुराहट में कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, वो होती है निपुण भेद छुपाने में/ घर के सारे मतभेद-मनभेद/ देहरी के भीतर ही समा लेने की/ पा जाती है दक्षता/ जो अपने भी ना करें साझा/ अंतर्वेदना तो/ संरक्षित कर लेती है हर कष्ट/ स्वयं के ही भीतर/ फर की पीड़ा कहने के/ आदत ही छूट जाती है उसकी/ इस सीमा तक/ कि उसके अपने भी नहीं जान पाते/ उसकी मिथ्या मुस्कुराहट का भेद. इस कविता में मोनिका बहुत साधारण सुरों में किसी भी घर को संभालने वाली स्त्री की पीड़ा को सामने रख देती हैं. मुझे लगता है कि ये कविता की ताकत होती है कि वो कितनी सामान्य भाषा में अपनी बात पाठकों तक पहुंचाती है. एक तरफ मोनिका शर्मा स्त्रियों के अस्तित्व को अपनी कविताओं में अपने तरीके से परिभाषित करती हैं, तो दूसरी तरफ बेटियों को निर्भीक बनने के लिए ललकारती भी हैं. मोनिका शर्मा की लंबी कविताएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं. उनकी एक कविता आखिर क्यूं विक्षिप्त हुए हम? समाज की बेटियों को लेकर सोच पर प्रहार करती है. मोनिका शर्मा का पत्रकार होना भी

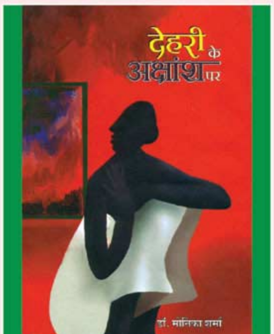

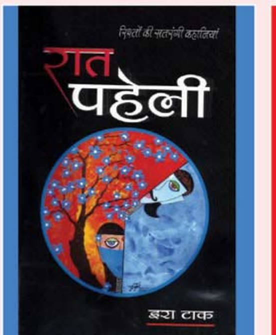

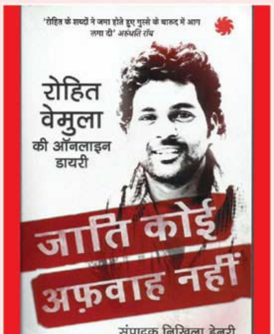

उनके कवित्व के भूगोल का दायरा विस्तृत करता है. मोनिका की कविताएं नारेबाजी की शक्ल में ना होकर आपको सोचने के विवश करती हैं और यही उनकी ताकत भी है. उनके परिचय में एक दिलचस्प जानकारी है, थार सप्तक 7 में उनकी कविताएं प्रकाशित हैं. तार सप्तक की तर्ज पर थार सप्तक के प्रकाशन के बारे में बहुत से पाठकों को संभवतः जानकारी ना हो.

मोनिका शर्मा की ही तरह राजस्थान की एक और रचनाकार इरा टाक की कहानियों का संग्रह जब पढ़ना शुरू किया, तो उसके पीछे छपी टिप्पणियों ने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी. जानी मानी कथाकार गीताश्री ने लिखा है कि युवा पीढ़ी की सशक्त हस्ताक्षर इरा टाक ने अपनी लंबी और छोटी कहानियों से बहुत चौंकाया है. इसी तरह से कथाकार कवि सुदरचंद ठाकुर के मुताबिक इरा टाक की कहानियां मानवीय रिश्तों में छिपी संवदेनाओं के अलग- अलग पहलुओं को उजागर करती हैं. बेहद ईमानदारी से लिखी गई ये कहानियां जगह-जगह आपको रोकती हैं और आपसे सवाल पूछती हैं. युवाओं को ये खास तौर पर पसंद आएंगी. लेकिन कहानी संग्रह को पढ़ने के बाद लगा कि इन लोगों ने किताब में छपने वाली टिप्पणियों की परंपरा का निर्वाह किया है. इरा टाक की कहानियों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि उनके पास अनुभव है, उनके पास भाषा भी है, लेकिन साथ ही उनकी कहानियों में एक कच्चापन भी है. ज्योतिष जोशी ने कहानी संग्रह की भूमिका लिखी है, उन्होंने समीक्षानुमा भूमिका में कहानियों के सारांश प्रस्तुत करते हुए टिप्पणी की है. इरा की कहानियां कई बार सपाट अनुभवों के बयान की तरह लगती हैं. इरा की कहानियों की भाव-भूमि या अनुभव संसार बिल्कुल ही उस कालखंड का है, जिसमें कहानीकार ने अपनी आंखें खोलीं. इरा में एक बेहतर कहानीकार की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन उनको अपनी कहानियों को सपाट जमीन पर लेकर आगे बढ़ने की बजाय पठनीयता के हरे भरे रास्ते से आगे लेकर जाने की ओर ध्यान देना चाहिए. हिमाचल बुक्स से प्रकाशित इस संग्रह में प्रूफ की भयंकर भूलें हैं. प्रकाशक की लापरवाही से तो एक कहानी के अंत में इरा टाक का नाम भी प्रकाशित हो गया है, जो अवांछित है. इस संग्रह की कहानी *चांद पास है* मुझे सबसे अच्छी लगी. खास तौर पर नायिका के मन का द्वंद्व, फिर प्रेम की तलाश में नैतिकता को त्याग कर अपने मन मुताबिक रास्ते पर कदम बढ़ा लेना और फिर विवाहित स्त्री का हिचक. इन सारी स्थितियों को इरा टाक ने अच्छे से बुना है.

राजस्थान के इन दो रचनाकारों के अलावा अभी हाल ही में जगरनॉट बुक्स से प्रकाशित 'रोहित वेमुला की ऑनलाइन डायरी' भी पढ़ी. इसमें हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला, जिसने खुदकुशी कर ली थी, की सोशल साइट्स पर लिखी टिप्पणियों को संकलित किया गया है. अरुंधति राय की राय इस पुस्तक के कवर पर छपी है 'रोहित के सुरों ने जमा होते हुए गुस्से के बारूद में आग लगा दी'. दरअसल रोहित वेमुला की टिप्पणियों को पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि उसका व्यक्तित्व तमाम तरह के अंतर्विरोधों से भरा हुआ था. 22 जुलाई 2010 को वो लिखते हैं, मैंने हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया है. यहां का माहौल अद्भुत है. लोग अच्छे हैं. खुशी महसूस हो रही है. कुछ अच्छे दोस्तों को ढूंढ रहा है. 21 अप्रैल 2011 को रोहित लिखते हैं, मुझे आज एक बात पता चली, मेरे ऊपर परीक्षा से संबंधित कोई शाप है. भले ही मैं कितनी भी मेहनत क्यों न करूं, मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर सकता. मैं इस शिक्षा से बिल्कुल ऊब चुका हूं. मैंने इस विषय में पढ़ाई करने का फैसला क्यों किया. इस भीड़ में मैं अपने को बिल्कुल अलग थलग पाता हूं. इसके बाद 12 मार्च 2012 को वे लिखते हैं, जिंदगी एक सिगरेट की तरह है, जो एक तरफ से जल रही है. आप इसे पिएं या ना पिएं, यह खत्म हो जाने वाली है. 2013 से रोहित के विचारों में उग्रता प्रकट होने लगती है, जब वे स्वतंत्रता को लेकर, दलित सवर्ण संबंधों को लेकर, हिंदू मुसलमान के रिश्तों पर तल्ख टिप्पणियां करने लगते हैं. छात्र राजनीति में सक्रिय होने के बाद उन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना, जिस हैदराबाद विश्वविद्यालय का माहौल उनको 2010 में अद्भुत लगा था, वही धीरे-धीरे बदलने लगा था. 2015 में रोहित वेमुला ने याकूब मेमन की फांसी की सजा के सिलसिले में मृत्युदंड के विरोध में प्रतिरोध सभा में शामिल होने का आह्वान किया था. आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी की सजा पर 30 जुलाई 2015 को उसने लिखा- भारत, तुम्हारे हाथ खून से सने हैं. ये कौन सी सियासत थी, जो एक अच्छे भले छात्र का तीन-चार साल में ऐसा ब्रेनवाश करती है कि आतंकवादी को फांसी दिए जाने पर उसको अपना ही वतन खूनी लगने लगता है. रोहित वेमुला की आत्महत्या पर शोर मचाने वालों को उनकी यह टिप्पणियां पढ़नी चाहिए और उसके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाना चाहिए. क्योंकि इसमें उस तरह की सियासत के बीज हैं, जो छात्रों को नफरत करना सिखाते हैं. ■

anant.ibn@gmail.com

कुटज

परिचय

कुटज का वृक्ष भारतवर्ष की अत्यन्त प्रसिद्ध औषधि है. अतिसार, रक्तातिसार, पित्तातिसार, आमातिसार, मरोड़ी के अतिसारों में यह औषधि मंत्र की तरह तत्काल आराम पहुंचाती है. इसका प्रयोग प्राचीनकाल से ही औषधि के रूप में किया जा रहा है. प्राचीन आयुर्वेदीय संहिताओं तथा निघण्टुओं में इसका उल्लेख प्राप्त होता है. चरक संहिता में तिक्तस्कन्ध, योनिरोग, पाण्डु, मूत्रकृच्छ, विष, अपस्मार, ग्रहणी, रक्तपित्त, अतिसार, ज्वर, राज्यक्ष्मा, कुष्ठ आदि में अन्य औषधि के साथ कुटज का उल्लेख मिलता है. सुश्रुत में प्रावृट-ऋतु में इसके पुष्पित होने का उल्लेख मिलता है. यह मूलतः उष्णकटिबंधीय एशिया में म्यांमार, इण्डोचीन एवं मलेशिया में प्राप्त होता है. समस्त भारत में पर्वतीय पर्णपाती वनों में 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर तथा उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में पाया जाता है. इसकी दो प्रजातियां होती है. 1. कुटज, 2. श्वेत कुटज.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **मुख रोग-** कुटज छाल का क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से दंतशूल में लाभ होता है.
- **अतिसार-** नागरमोथा, अतीस, पान, कुटज की छाल तथा लाक्षा चूर्ण को समभाग (2-5 ग्राम) की मात्रा में लेकर जल के साथ सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.
- 5-10 मिली कुटज छाल स्वरस में 1 चम्मच मधु मिलाकर दिन में तीन बार सेवन करने से अतिसार में लाभ होता है.
- इन्द्रजौ की छाल के क्वाथ 50 मिली को गाढ़ाकर उसमें 6 ग्राम अतीस का चूर्ण मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से त्रिदोष जनित अतिसार का शमन होता है.
- **रक्तातिसार-** 40 ग्राम इन्द्रजौ की छाल को 375 मिली पानी में उबालकर जब एक चौथाई शेष रह जाए, छानकर उसमें उतना ही अनार का रस मिलाकर अग्नि पर गाढ़ा करके, छः ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ सुबह-शाम मिलाकर पिलाने से रक्तातिसार में लाभ होता है.

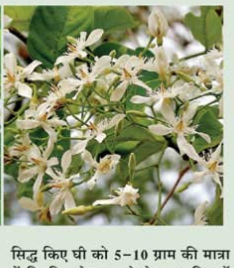

- **पित्तातिसार-** कुटज बीज को 50 मिली जल में उबालकर, छानकर मधु मिलाकर दिन में तीन बार पिलाने से पित्तातिसार में लाभ होता है.
- **रक्तप्रवाहिका-** 15 ग्राम कुटज की ताजी छाल को छाछ में पीसकर सेवन करने से रक्तज प्रवाहिका में लाभ होता है.
- **अश्मरी-** 5 ग्राम कुटज मूल छाल को दही में घिसकर दिन में दो बार सेवन करने से अश्मरी टूट-टूट कर निकल जाती है.
- **प्रमेह-** कुटज, रोहिणी, बहेड़ा, कैथ, शाल, छतिवन तथा कबीला के पुष्पों को समभाग लेकर चूर्ण बना लें. 2-5 ग्राम दो चम्मच मधु मिलाकर सेवन करने से कफज तथा पित्तज प्रमेह में लाभ होता है.
- **कुष्ठ-** 10 ग्राम कुटज छाल को जल में पीसकर दिन में तीन बार सेवन करने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है.
- **व्रण-** कुटज की छाल का क्वाथ बनाकर घाव को धोने से घाव भर जाता है.
- कुटज की छाल को चावल के पानी में पीसकर लेप करने से फफोले तथा फुंसियों में लाभ होता है. इसकी ताजी छाल का प्रयोग अधिक लाभकारी होता है.
- **कुष्ठ-** कुष्ठ प्रभावित अवयव पर इन्द्रव के सूक्ष्म चूर्ण को लगाने या उद्वर्त्तन करने से लाभ होता है.
- 20-30 मिली कुटज छाल क्वाथ में कठ गूलर, विडंग, नीम की छाल, नागरमोथा, सोंठ मरिच तथा पिप्पली का कल्क मिलाकर पीने से सभी प्रकार के त्वचा रोगों में लाभ होता है.
- **रक्तपित्त-** कुटज छाल कल्क से सिद्ध किए घी को 5-10 ग्राम की मात्रा में नियमित सेवन करने से रक्त-पित्त में लाभ होता है.
- **ज्वर-** समभाग इन्द्रयव, कुटकी और मुलेठी से निर्मित क्वाथ में 10-30 मिली चावल का धोवन और मधु मिलाकर पीने से पित्तज्वर का शमन होता है.
- कुटज, चक्रमर्द के बीज, वासा, गुडूची, निर्गुण्डी, भृंगराज, सोंठ, कण्टकारी तथा अजवायन से निर्मित क्वाथ 10-30 मिली का सेवन करने से शीत ज्वर में लाभ होता है.
- **सर्पदंशजन्य शोथ-** कुटज फल को पीसकर दंश-स्थान पर लगाने से दंशजन्य शोथ का शमन होता है. ■

प्रयोज्यांग- *मूल, त्वक्, बीज, पत्र, फल तथा पंचांग या चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

मात्रा- *चूर्ण 2-3 ग्राम. क्वाथ 25-30 मिली.*

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

कुछ लोग वैज्ञानिक ज्ञान को विभिन्न प्राकृतिक नियमों को समझने की एक पद्धति के रूप में देखते हैं. इस सन्दर्भ में उनका मानना है कि विज्ञान का उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक नियमों पर नियंत्रण और मानव-प्रजाति के हित के लिए उनका प्रयोग करना है. वे वैज्ञानिक खोजों, आविष्कारों, नए तकनीकी ज्ञान आदि को मात्र बौद्धिक, प्रयोगमूलक एवं उपयोगितावादी दृष्टिकोणों से देखते हैं, जिनका ज्ञान सीधे तौर पर आंख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियों से या परोक्ष रूप में वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित यांत्रिक उपकरणों-जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि द्वारा संचारित इलैक्ट्रॉनिक-तरंगों से होता है. हालांकि इसका कोई खण्डन नहीं कर रहा है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो इस प्रकार के बौद्धिक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मिलाकर देख सकते हैं.

यदि इन दोनों विभिन्न दृष्टियों को मिलाकर सम्पूर्णता से नहीं देखा जाता है, तो एक प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है. जो सही मायने में आध्यात्मिक हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, जिसे न देखा जा सकता है और न ही जिसके अस्तित्व को वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है, जिस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत तथ्यों को प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया जाता है. वे यह मानते हैं कि ईश्वर केवल आन्तरिक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है. जबकि दूसरी तरफ वैज्ञानिक दृष्टि में पूर्ण विश्वास रखने वाले लोग तथ्यों या प्रमाणों के अभाव में तथाकथित ईश्वर के अस्तित्व एवं उनसे सम्बन्धित मिथक अवधारणाओं, चमत्कारों आदि को स्वीकार नहीं करते. यदि अधिकांश मानव-जाति को एक अति प्राकृतिक अलौकिक शक्ति-जिसे ईश्वर या अन्य किसी भी नाम से क्यों न पुकारें- में विश्वास नहीं होता, तो इन दोनों नितांत भिन्न एवं विरोधी दृष्टिकोणों के कारण समस्त मानव-सभ्यता का न जाने क्या रूप होता. यद्यपि मानव-समाज में परिवर्तन हुआ है, उसके आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन आया है, परन्तु ईश्वर की अवधारणा में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है. हिन्दुओं के लिए राम राम ही हैं, ईसाईयों के लिए ईसामसीह ईसामसीह हैं और मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद पैगम्बर मुहम्मद ही हैं. भले ही वर्षों के अन्तराल में अपनी-अपनी धार्मिक मान्यता रखने वाले समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है.

इन विचारों से एक मौलिक प्रश्न उठता है कि क्या कोई एक ईश्वर है, जिसने दो बिल्कुल अलग-अलग प्रकार के असंबद्ध और स्वतंत्र वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सिद्धान्तों को निर्मित किया है? क्या ये वैज्ञानिक विचार एवं सिद्धान्त मानव की चेतना का स्वाभाविक क्रमिक विकास हैं या इन्हें विशुद्ध आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिक सिद्धान्त, जिनके आधार पर

मनुष्य ने अपनी बद्धि का प्रयोग करके जो खोजें की हैं और नई तकनीक निर्मित की है, वे मानव-चेतना के सहज विकास-क्रम में महज एक संयोग मात्र हैं या उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है?

जब आइंस्टाइन ने पदार्थ और ऊर्जा की पारस्परिक संबंधता या सापेक्षता के सिद्धांत को अपने प्रसिद्ध फार्मूले के द्वारा प्रतिपादित करने का प्रयास किया था, तो उन्होंने इस सम्पूर्ण ब्रह्मांड को इस एक सिद्धान्त, सूत्र के आधार पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया था. लेकिन वे अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि वे चेतना, पदार्थ एवं ऊर्जा की पारस्परिक सम्बंधता को पूर्णतः समझ नहीं पाए. चूंकि आइंस्टाइन एक विशेष रूप से प्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिक थे, अतः उन्होंने ऊर्जा और पदार्थ के परे एक सूक्ष्म अनंत जगत का अनुभव तो किया परंतु उसकी व्याख्या करने में वे असमर्थ रहे. दूसरे सुरों में, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन में चूंकि बौद्धिक सत्यता थी, इसलिए उन्होंने इस जगत के परे व्याप्त उस सूक्ष्म शक्ति को मानने और उसकी व्याख्या करने में अपनी सीमाओं को स्वीकार किया. यदि आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभावान वैज्ञानिक ने कुछ और आगे जाकर इस समस्या/विषय को दूसरे दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया होता, जैसा कि गीता और बाइबिल जैसी अनेक आध्यात्मिक पुस्तकों में व्याख्यायित है, तो वे शायद विभिन्न प्रकार के तथ्यों का निरूपण करने वाले सूत्रों को मात्र एक सिद्धान्त के माध्यम से प्रतिपादित कर देते. यदि वे आध्यात्मिक साधकों एवं संतों में पाए जाने वाले अंतर्ज्ञान/अंतदृष्टि को विकसित कर पाते, तो वे ब्रह्मांड और प्रकृति में परिव्याप्त सूक्ष्म एवं रहस्यमय रूपों की और अधिक खोजबीन कर उन पर और अधिक प्रकाश डाल पाते. ■

जारी...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बनें आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

अधिग्रहण में अनियमितता, 8 साल बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

टोकेंगे, रोकेंगे, ठोकेंगे, ज़मीन नहीं देंगे

> ये अजीब विडंबना है कि आदिवासियों की जमीन पर लगने वाली फैक्ट्री शहरों को तो चकाचौंध कर देती है, लेकिन आदिवासियों के घरों को रौशन नहीं कर पाती. कई बार उस विकास की बुनियाद भी नहीं पड़ती, जिसके कारण आदिवासी विस्थापन और अधिग्रहण का दंश सहते हैं. ये एक ऐसी ही कहानी है, जिसमें न अधिग्रहण वैध है, न मुआवजा मिला और न ही कंपनी खुली...

सीधी, मध्य प्रदेश

चौथी दुनिया ब्यूरो

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री, दोनों यदा-कदा खुद को आदिवासियों और जनजातियों का रहनुमा बताते रहते हैं. लेकिन आदिवासियों की जमीनी हकीकत को देखने पर इनके दावे खोखले प्रतित होते हैं. 12 अप्रैल को दामोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मध्य प्रदेश की धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, उसके पास रहने लायक जमीन का टुकड़ा हो, साथ ही हर परिवार को आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए राशि मुहैया कराई जाएगी. अपने और अपनी सरकार के कार्यों का गुणगान करते हुए मुख्यमंत्री शायद इस बात से बेखबर थे कि जहां वे खुद को आदिवासियों का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से लगभग 300 किमी की दूरी पर सीधी में आदिवासी, प्रशासन और कॉर्पोरेट की मिलीभगत से फर्जी हथकंडे अपना कर छिनी गई अपनी जमीन को वापस पाने की कोशिशों में लगे थे.

वो 2009 का साल था, जब सीधी जिले के दो गांवों भुमका और मूसामूड़ी में कंपनी खोलने के नाम पर सरकार और कॉर्पोरेट्स ने आदिवासियों को बरगलाना शुरू किया. उन्हें तरह-तरह के झांसे दिए गए. लेकिन आदिवासी अपनी जमीनें देने के पक्ष में नहीं थे. इसी कड़ी में एक कंपनी सामने आई, आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसने इस इलाके में बिजली कंपनी लगाने की इच्छा जताई थी. इस कंपनी ने भुमका एवं मूसामूड़ी के किसानों के जमीन अधिग्रहण के प्रति सहमति जानने के लिए 29-10-2009 एवं 06-11-2009 को ग्राम सभा की बैठक बुलाई. हालांकि उस बैठक में भुमका और मूसामूड़ी के किसान शामिल नहीं हुए, क्योंकि वे कंपनी को जमीन देने के पक्ष में नहीं थे. ग्राम सभा की बैठक में किसानों के शामिल नहीं होने के कारण सभा स्थगित कर दी गई. इस कंपनी और इसका साथ दे रहे अधिकारियों को जब लगा कि इस तरह से जमीनें अधिग्रहित नहीं की जा सकेंगी, तो उन्होंने एक नया पैंतरा चला. 18-12-2009 को तत्कालीन एसडीएम/भू-अर्जन अधिकारी मझौली ने अपने उपखंड कार्यालय मझौली में ग्राम पंचायत के सचिव को बुलाकर बिना ग्राम सभा की बैठक के, फर्जी तरीके से फाइलों में जमीन अधिग्रहण को लेकर 169 व्यक्तियों की सहमति दिखा दी. इस तरह से मेसर्स आर्यन कंपनी के पक्ष में ग्राम सभा की सहमति का प्रस्ताव पारित कर दिया गया. जिन 169 व्यक्तियों को अधिग्रहण से सहमत बताया गया, उनमें से 159 व्यक्ति भुमका एवं मूसामूड़ी के निवासी हैं ही नहीं. 18-12-2009 को हुई ग्राम सभा बैठक की कार्रवाई पंजी में ग्राम पंचायत भुमका के जिन 10 व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, उनका कहना है कि उनकी जानकारी में भूमि अधिग्रहण सम्बंधी कोई ग्राम सभा आयोजित हुई ही नहीं है. ग्राम पंचायत भुमका के तत्कालिन सरपंच का भी यही कहना है कि भूमि अधिग्रहण पर सहमति के लिए आयेजित की गई जिस ग्राम सभा का जिक्र किया जा रहा है, वो मेरी जानकारी में नहीं हुई है. इन सब बातों से स्पष्ट है कि इस मामले में न सिर्फ जमीन अधिग्रहण को लेकर फर्जीवाड़ा किया गया है, बल्कि पूरी तरह से पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं, क्योंकि बिना सरपंच के किसी भी ग्राम सभा की बैठक हो ही नहीं सकती है.

सरकारी मुलाजिम किस तरह से कॉर्पोरेट कंपनियों के इशारे पर जनता को ठगने का काम करते हैं, इसे इस घटना से समझा जा सकता है. हालांकि इस फर्जी अधिग्रहण का एक सिरा सियासत से भी जुड़ा है. स्थानीय आदिवासियों और उनके लिए इस मामले में आगे बढ़कर संघर्ष कर रहे संगठनों की मानें, तो ये आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड भाजपा नेताओं की कंपनी है. यही कारण भी है कि भाजपा सरकार में इसे पूरी तरह से संरक्षण दिया गया और इसके लिए न सिर्फ नियमों से ऊपर उठ कर रास्ता बनाया गया, बल्कि गरीब आदिवासियों से जबरन जमीनें भी ली गई. कागजी कार्रवाई की मानें, तो मेसर्स आर्यन पॉवर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड हेतु मूसामूड़ी गांव के आदिवासियों की जमीन लेने के लिए 11-09-2009 को भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत भू-अर्जन प्रकरण क्र. 1/अ-82/2010-11 के द्वारा अधिसूचना जारी की गई. इसके बाद 18-03-2011 को अवार्ड पारित कर मूसामूड़ी के 374 खातेदारों की 522.25 एकड़ एवं मध्यप्रदेश शासन की 27 एकड़ भूमि 87,334 रुपए प्रति एकड़ की दर से कंपनी के लिए अधिग्रहित की गई. इसी तरह भू-अर्जन प्रकरण क्र. 2/अ-82/2010-11 के द्वारा भुमका के 137 खातेदारों की 413-17 एकड़ एवं मध्यप्रदेश शासन की 106 एकड़ भूमि 61,907 रुपए प्रति एकड़ की दर से अधिग्रहित की गई. इस प्रकार दोनों गांवों के कुल 511 खातेदारों की कुल 935.42 एकड़ एवं दोनों गांवों के मध्यप्रदेश शासन की कुल 133 एकड़ भूमि अर्थात कुल 1068.42 एकड़ भूमि को आर्यन पॉवर जनरेशन के लिए अधिग्रहित किया गया. गौर करने वाली बात ये भी है कि अधिग्रहित की गई 511 खातेदारों की कुल 935.42 एकड़ जमीन में से लगभग 650 एकड़ भूमि आदिवासी परिवारों की है, लगभग 75 एकड़ भूमि पिछड़े वर्ग के परिवारों की है तथा लगभग 250 एकड़ भूमि सामान्य वर्ग (जो अन्य गांव के निवासी है) के परिवारों की है.

इन लोगों की जो जमीनें अधिग्रहित की गई हैं, वे सभी कृषि योग्य भूमि हैं. लेकिन अधिग्रहण को लेकर हुई कागजी प्रक्रिया में इन जमीनों को बंजर बताया गया है. भुमका एवं मूसामूड़ी दोनों गांवों की जमीनें दो फसली एवं सिंचित हैं. इन जमीनों के लिए किसानों द्वारा जलकर का भी भुगतान किया जाता है, जिनकी रशीद भी इनके पास है. इसके बावजूद मेसर्स आर्यन पॉवर कंपनी द्वारा पटवारी, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से सांठ गांठ करके इन जमीनों को असिंचित एवं बंजर बताकर अवार्ड राशि जमा की गई है. गौर करने वाली बात ये है कि ये किसान अब भी उन जमीनों पर खेती कर रहे हैं. अधिग्रहण में मेड, कूप, पेड़, मिट्टी इत्यादि के लिए कोई मुआवजा ही तय नहीं किया गया है. अधिग्रहित भूमि का रकबा भी कम बताया गया है. अधिग्रहण के समय पर्यावरण सुनवाई में प्रस्तुत आपत्ति को भी नहीं सुना गया. अधिग्रहण में तो फर्जीवाड़ा हुआ ही है, मुआवजे की जो राशि तय की गई है, वो भी बहुत ही कम है. भुमका की जमीनों के लिए 61,907 रुपए व मूसामूड़ी के लिए 87,334 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की बात कही गई है, जो तत्कालीन बाजार भाव के हिसाब से बहुत ही कम है. जबकि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार जमीन मालिकों को बाजार भाव का चार गुणा भुगतान करने का प्रावधान है. गौर करने वाली बात ये भी है कि इन जमीनों के बगल में ही स्थापित जेपी पावर कंपनी ने जमीनों के लिए भू-स्वामियों को 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया है. अधिग्रहण में फर्जीवाड़े और मुआवजे की कम राशि को देखते हुए जमीन मालिकों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया है. अधिकतर किसानों के मुआवजा राशि न लेने के कारण एसडीएम/भू-अर्जन अधिकारी मझौली ने चोरी चुपके किसानों के बैंक खाते में मुआवजा राशि जमा करा दी. इसकी जानकारी होने पर किसानों ने मुआवजा वापस लेने के लिए धरना आंदोलन किया, तब फिर किसानों के खाते में जमा की गई मुआबजा राशि एसडीएम/भू-अर्जन अधिकारी मझौली के खाते में वापस की गई.

पीड़ित आदिवासी किसान इस फर्जीवाड़े के खिलाफ 2011 से ही आंदोलन कर रहे हैं. टोको-रोको-ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन के माध्यम से किसान अपनी जमीन को वापस पाने तथा जमीन छीनने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इंसाफ के लिए संघर्षरत किसानों ने भूख हड़ताल भी किया. 24 फरवरी 2017 से मूसामूड़ी में शुरू किसानों के भूख हड़ताल को विभिन्न किसान संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है. एनएपीएम (जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय), किसान मंच, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, वामपंथी दलों सहित कई अन्य दलों और संगठनों ने मूसामूड़ी व भुमका के किसानों के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद किया है. टोको-रोको-ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी का कहना है कि ये पूरा मामला प्रशासन की तरफ से गरीब किसानों और आदिवासियों के शोषण का है. उनका कहना है कि जिस कंपनी के नाम पर जमीन अधिग्रहित की गई है, उसका आज छह साल बाद भी कोई अता-पता नहीं है. हम चाहते हैं मूसामूड़ी एवं भुमका गांव के जमीन अधिग्रहण मामले में नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार मुआवजा राशि वितरित की जाय या फिर अधिग्रहित जमीन को भू-स्वामियों को वापस किया जाए. ■

> सरकार किसानों की चौतरफा लूट कर रही है, चाहे अध्रिहण के नाम पर उनकी जमीन छीनने की बात हो या उनके उत्पाद का उचित दाम ना देकर लूट करना हो. इन सब की वजह से देश में व्यापक रूप से किसान आत्महत्या कर रहे हैं. यहां के किसान अपनी जमीन बचाने के संघर्ष में जुटे रहें, उनकी जमीन कोई नहीं ले सकता है, किसान मंच इनके साथ है.
>
> **-विनोद सिंह,** *राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मंच*

विरोध प्रदर्शन के बाद निरस्त पट्टा बहाल

वर्ष 2000-01 में मूसामूड़ी एवं भुमका के 10 आदिवासियों को भूमि का पट्टा मिला था. लेकिन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली ने मेसर्स आर्यन एमपी पॉवर कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 2013 में इन आदिवासियों की जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया था. निरस्त बंटन के पट्टे की 22 एकड़ भूमि का भू-स्वामी मेसर्स आर्यन पॉवर कंपनी को बना दिया गया था. गौर करने वाली बात ये है कि पट्टा निरस्त करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है ही नहीं, यह काम कलेक्टर ही कर सकता है. पट्टा निरस्त किए जाने के बाद से ही पीड़ित आदिवासी किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे. 24 फरवरी से ये किसान भूख हड़ताल पर थे, जिसमें इन्हें कई किसान संगठनों का साथ मिला. 34 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जिला प्रशासन ने किसानों की मांग को पूरा करने का वादा किया था. अंततः 9 अप्रैल 2017 को इनका निरस्त पट्टा बहाल कर दिया गया. ■

कलेक्टर ने मानी है फ़र्जीवाड़े की बात

सीधी के अपर कलेक्टर ने माना है कि आर्यन पॉवर कंपनी के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण में अनियमितता हुई है. 6 अप्रैल 2017 को राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव और पुनर्वास आयुक्त को लिखे अपने पत्र में अपर कलेक्टर सीधी ने मूसामूड़ी एवं भुमका के किसानों की जमीन अधिग्रहण हेतु की गयी ग्राम सभा को फर्जी एवं काल्पनिक बताया है. पत्र में कलेक्टर ने इस तथ्य का हवाला भी दिया है कि उक्त जमीनों के पास ही जेपी पावर्स ने 5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से जमीनों का अधिग्रहण किया था. कलेक्टर ने लिखा है, 'जय प्रकाश पावर वेंचर्स प्रा.लि. को विद्युत प्लांट की स्थापना हेतु कंपनी एवं शासन के मध्य किए गए अनुबंध की कंडिका 21 के अनुसार 5 लाख रुपए प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में जो भी अधिक हो की दर से मुआवजा दिए जाने की स्वीकृति दी गई है. इसी बात को लेकर ग्राम भुमका एवं मूसामूड़ी के प्रभावित किसानों में असंतोष व्याप्त है.' कलेक्टर ने लिखा है कि शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में दोषियों को सजा देने और किसान आदिवासियों के साथ न्याय करने के लिए कलेक्टर साहेब को प्रशासन से स्वीकृति कब तक मिलती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

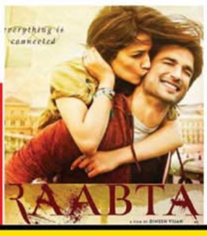

मिर्जिया की याद दिलाता है राब्ता

निर्देशक दिनेश विजन की पहली प्रस्तुति *राबता* का ट्रेलर निर्देशक ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जिया की यादें ताजा करता है. फिल्म में एक ही वक्त पर दो कहानियां चलती हैं, एक अतीत की ओर दूसरी वर्तमान की ओर. सुशांत और कृति का अतीत वाला लुक काफी ड्रमैटिक लग रहा है. सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन स्टारर राब्ता में दोनों की दमदार केमिस्ट्री नज़र आ रही है. इस फिल्म के ट्रेलर में रोमांस के साथ-साथ एक्शन और थ्रिलर का जबरदस्त समावेश है. ट्रेलर में सुशांत और कृति के बीच के प्यार को दिखाया गया है. वहीं बीच में एक ऐसे किरदार का प्रवेश होता है, जो कहानी को कहीं अतीत में ले जाता है. फिर फिल्म की कहानी अतीत और वर्तमान दोनों राह पर चलती दिखती है. फिल्म की कहानी साफ बता रहीं है कि राब्ता एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है. यह फिल्म 9 जून को प्रदर्शित होने जा रही है. फिल्म में भरपूर थ्रिलर और एक्शन भी है. फिल्म की ज्यादातर शूटिंग केपटाउन में हुई है.■

कैटरीना के करियर को बचाएंगे सलमान खान

ख़तरनाक स्टंट करती दिखेंगी कैटरीना कैफ

बॉलीवुड फिल्मकार आदित्य चोपड़ा अपनी सुपरहिट फिल्म *एक था टाइगर* का सीक्वल *टाइगर जिंदा है* बना रहे हैं. कैटरीना *टाइगर जिंदा है* के एक्शन सीक्वेंस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाली हैं, जिससे कि वे अच्छे से स्टंट कर सकें. कैटरीना इससे पहले भी *एक था टाइगर* और *बैंग-बैंग* जैसी फिल्मों में स्टंट कर चुकी हैं.

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड की बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ इस बात से खुश हैं कि उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म *टाइगर जिंदा है* के सीक्वल में काम करने का मौका मिला. जी हां, बॉलीवुड फिल्मकार आदित्य चोपड़ा अपनी सुपरहिट फिल्म *एक था टाइगर* का सीक्वल *टाइगर जिंदा है* बना रहे हैं. फिल्म में सलमान खान और कैटरीना कैफ की मुख्य भूमिका होगी. इससे पहले *एक था टाईगर* बॉक्स बॉफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी. अली अब्बास जफ़र के निर्देशन में बन रही *टाइगर जिंदा है* के पहले हिस्से की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है. अब सलमान और कैटरीना मुंबई के यशराज फिल्म्स स्टूडियो में इसका बचा काम पूरा करेंगे. हालांकि मई में इस फिल्म की बाकी शूटिंग पांच और फॉरेन लोकेशंस पर की जाएगी.

एक समय ऐसा भी था जब कैटरीना रणबीर कपूर के साथ रिलेशन में थीं, जिसकी वजह से कैटरीना और सलमान खान के बीच काफी दूरियां आ गईं. इसी दौरान पिछले कुछ वर्षों में कैटरीना की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार पिटती चली गईं और वे टॉप की अभिनेत्रियों की लिस्ट से लगभग बाहर गईं. इसकी वजह से उनके करियर का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर गिरता चला गया. आज एक तरफ जहां दीपिका-प्रियंका जैसी अभिनेत्रियां हॉलीवुड में अपने कदम जमा रही हैं, वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड में आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर, करीना कपूर खान, कंगना रनौत और अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियां कैटरीना से आगे निकलती दिख रही हैं. इधर सलमान खान कैटरीना का करियर बचाने के लिए एक बार फिर से आगे आए हैं और उन्हें *टाइगर जिंदा है* में साथ काम करने का मौका दिया है. कैटरीना भी इस समय अपना सारा ध्यान *टाइगर जिंदा है* की तैयारियों में लगा रही हैं. अब वे कोई चांस नहीं लेना चाहतीं. फिल्म में एक्शन सीन की शूटिंग के लिए वे स्पेशल ट्रेनिंग भी ले रही हैं, ताकि वे स्टंट सीन अच्छे से कर सकें.

फिल्म में कैटरीना दुश्मनों को छक्के छुड़ाती दिखेंगी. वे चाकू सहित कई हथियारों से लड़ती नज़र आएंगी. कैटरीना रेजा कटानी से एक्शन और स्टंट की ट्रेनिंग लेंगी. रेजा ने ही कैट को *धूम 3* के एक्शन सीन के लिए ट्रेनिंग दी थी. ये ट्रेनिंग ख़ासकर एक आम नागरिक को एक सैनिक में बदलने की ट्रेनिंग होती है.

कैटरीना के डूबते करियर को सलमान ने दिया सहारा

रणबीर कपूर से ब्रेकअप होने के बाद कैटरीना कैफ को अपने करियर का ख्याल आया. *फैंटम*, *फितूर* और *बार बार देखो* जैसी फिल्मों के असफल होने के बाद कैटरीना को समझ आया कि अपने डूबते करियर को बचाना आसान नहीं है. वे सलमान खान की शरण में गईं और सलमान ने पुराने गिले शिकवे मिटाते हुए कैट को *टाइगर जिंदा है* करने के लिए हां कह दिया, ताकि कैटरीना का नाम हिट फिल्म से जुड़ सके. इसके बाद कैटरीना को सलमान के साथ एक और बड़ी फिल्म मिली है, जिसका नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है. इसका निर्माण सलमान के जीजा अतुल अग्निहोत्री कर रहे हैं. सलमान के कहने पर ही कैटरीना को फिल्म में जगह दी गई है. कैटरीना के करियर में बहार लाने की सलमान जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं. वाकई सलमान का दिल काफी बड़ा है, जो वे कैटरीना के डूबते करियर को बचाने के लिए उनके साथ काम करने को राजी हुए.

कैटरीना का करियर >>

कैटरीना कैफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में फिल्म *बूम* से की थी, जिसमें बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन भी थे. फिल्म फ्लॉप रही, कैटरीना को इससे से कोई ख़ास फायदा नहीं हुआ और अमिताभ बच्चन को भी इस फिल्म के लिए काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी. लेकिन इसके बाद कैट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. देखते ही देखते वे करोड़ों दिलों की धड़कन बन गईं. उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दीं. हालांकि समय के साथ-साथ उनके करियर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले. आइए नजर डालते हैं कैट की उन हिट फिल्मों पर जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया.■

कैटरीना की हिट फिल्में, जिनके कारण वे सुपर स्टार बनीं

जग्गा जासूस के रिलीज होने के आसार कम

अगर हम पिछले साठ सालों में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों की बात करें, तो रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर *जग्गा जासूस* पहली ऐसी फिल्म है, जिसकी रिलीज डेट एक-दो नहीं, बल्कि सात बार बदल चुकी है. इतना ही नहीं, फिल्म के क्लाइमैक्स को अब तक तीन बार शूट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी फिल्म का फाइनल क्लाइमैक्स तय ही नहीं हो पा रहा है. अब जब फिल्म के रिलीज होने के कुछ आसार बनें, तो डायरेक्टर अनुराग बसु ने मीडिया में साफ कह दिया कि बतौर निर्देशक वे फिल्म के क्लाइमैक्स को दोबारा शूट करना चाहते हैं.

इंडस्ट्री में ताजा ख़बर है कि पिछले करीब पांच साल से पूरी नहीं हो पा रही इस फिल्म के क्लाइमैक्स री-शूट में अब फिल्म के लीड एक्टर्स के कारण ही अड़ंगा लग रहा है. हीरोइन कैटरीना *टाइगर जिंदा है* की शूटिंग में बिजी हैं और रणबीर संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में. ऐसे में जग्गा जासूस का ट्रेंड में क्रेज अब लगभग ख़त्म सा हो रहा है. फिल्म के रिलीज होने के आसार भी कम होते जा रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

मई 2017 में आने वाली फिल्में

इस महीने बॉक्स ऑफिस पर कई छोटी-बड़ी बजट की फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. इनमें क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की भी फिल्म शामिल है, जिसका दर्शकों को ख़ास इंतज़ार हैं.

12 मई 2017

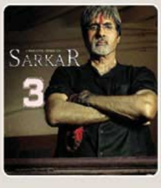

सरकार-3
अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी और यामी गौतम

हिंदी मीडियम
इरफ़ान खान और सबा क़मर

मेरी प्यारी बिंदू
परिणीति चोपड़ा आयुष्मान खुराना और संजय मिश्रा

19 मई 2017

हाफ ग्रर्लफ्रेंड
अर्जुन कपूर श्रद्धा शर्मा और रिया चक्रबोर्ती

26 मई 2017

सचिनः ए बिलियन ड्रीम्स
सचिन तेंदुलकर